लोक-सभा

मंगलवार,
२३ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक सभा

मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली परिवहन सेवा

*१०१३. **श्री डाभी** : क्या आवास, निर्माण और संभरण मंत्री २४ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय के निकट बस यात्रियों के लिए छप्पर कब बनेंगे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : निर्माण की मंजूरी दी गयी है और उसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री डाभी : क्या केन्द्रीय सचिवालय के निकट के सभी बस के अड्डों के पास छप्पर बनाये जायेंगे ।

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो सचिवालय के उत्तरीय खण्ड के सामने बनाया जायेगा ।

श्री डाभी : केन्द्रीय सचिवालय के निकट के सभी बसों के अड्डों के लिए क्यों नहीं बनाये जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सामान्यतया यह काम दिल्ली परिवहन सेवा करती है । पर इस विशेष मामले में चूंकि कुछ अतिरिक्त व्यय

होने वाला था इसलिए सरकार ने व्यय का कुछ भाग उठाने का निश्चय किया ।

कोयले का उत्पादन

*१०१५. **श्री इब्राहीम** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत और अन्य औद्योगिक देशों के प्रति व्यक्ति बारी कोयला उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति बारी कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार ने बिहार की ऐसी छोटी छोटी कोयले की खानों को जिनसे लाभ नहीं होता, एक में मिला देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १९५१, १९५२ और १९५३ में भारत और अन्य औद्योगिक पाश्चात्य देशों के प्रति व्यक्ति बारी उत्पादन का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६]

(ख) राज्य की कोयले की खानों के अतिरिक्त अन्य खानों में प्रति व्यक्ति वाली उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं कर सकती । नई खानों को चालू करने की अनुमति देने के पूर्व सरकार इस बात का पता लगा लेती है कि अभिन्यास योजना तथा यंत्रीकरण उत्पादन को बढाने में लाभदायक सिद्ध होंगे ।

(ग) सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है जो पूर्ण समस्या का अध्ययन करके सरकार के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी।

श्री इब्राहीम : बिहार में ऐसी कितनी खानें हैं जो अलाभदायक हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस समय मैं ठीक संख्या नहीं बता सकता—पर उनकी संख्या लगभग ७५० है।

श्री कासलीवाल : क्या देश की कोयले की खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार आजकल इस समस्या पर विचार कर रही है।

श्री पी० सी० बोस : भारत और यूरोप में मशीनों से खोदाई की जाने वाली खानों की जन-पाली का तुलनात्मक उत्पादन क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस समय मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री हेडा : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि बड़े बड़े उत्पादन के लाभों में कर्मचारियों को अंश देने की अनुमति देने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी: इस सम्बन्ध में एक पृथक् प्रश्न पूछा जाना चाहिए।

वस्त्र जांच समिति

*१०१७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १९ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २३७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन पर किन किन राज्यों ने अपने विचार भेज दिये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये **परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७**]

श्री झूलन सिंह : हथकरघों की जगह पर बिजली के करघों के लगाने की समस्या और हथकरघा वस्त्र के लिए एक विशेष क्षेत्र को सुरक्षित करने के प्रश्न पर राज्यों की राय सामान्यतया क्या है ?

श्री कानूनगो : विभिन्न प्रकार के मत हैं।

डा० रामा राव : क्या आन्ध्र और मद्रास सरकारों ने वस्त्र जांच समिति की सिफारिशों में से बहुतों को अस्वीकार कर दिया है ?

श्री कानूनगो : बात यह है कि उन्होंने अपनी पूरी राय नहीं दी है, और जो कुछ भी राय उन्होंने दी है उसे तब तक प्रकट नहीं किया जा सकता जब तक सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं कर लेती।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय मंत्री ने बताया कि विभिन्न प्रकार के मत प्राप्त हुए हैं। क्या अधिकतर मत हथकरघा उद्योग के लिए अधिक क्षेत्र सुरक्षित करने के पक्ष में हैं ?

श्री कानूनगो : अन्तिम उत्तर में इस का भी उत्तर सम्मिलित है। हमारे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं, और अभी मुझे उसे बताना भी नहीं चाहिए।

श्री कामत : सार्वजनिक हित के लिए ?

पालार नदी

*१०१९. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास सरकार से इस आशय का कोई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि मैसूर सरकार पालार नदी के जल का उपयोग करती है ; और

(ख) इस विवाद के तय करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस विवाद को तय करने के लिये दोनों राज्यों के मुख्य इंजीनियर और केन्द्रीय सरकार के एक शिल्पिक पदाधिकारी की बैठक हाल में ही होने वाली है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों राज्यों का यह विवाद बहुत पुराना है और मद्रास सरकार के पदाधिकारियों को मैसूर सरकार के पदाधिकारियों से बातचीत करने को कहा गया था पर फिर भी मामला तय नहीं हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विवाद को जल्दी से तय करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री हाथी : प्रयत्न यह किया गया कि हम ने दोनों राज्य सरकारों को लिखा कि वे एक बैठक करें और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक पदाधिकारी विवाद को निबटाने में उनकी मदद करेगा । दोनों सरकारें इस सुझाव पर सहमत हो गई हैं और यह पदाधिकारी जल्दी ही वहां जाने वाला है और आशा है कि मामला तय हो जायेगा ।

इन्जीनियरों का प्रतिनिधि मण्डल

***१०२०. श्री राधा रमण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून १९५५ में चार इन्जीनियरों का एक प्रतिनिधिमण्डल रूस गया था; और

(ख) क्या रूस की सरकार भी एक ऐसा प्रतिनिधिमंडल भारत को भेज चुकी है, और यदि हां, तो कब ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

श्री राधा रमण : क्या उस प्रतिनिधिमण्डल को उस देश में कुछ विशेष परियोजनाओं का अध्ययन करना था और, यदि हां, तो कौन सी परियोजनाओं का; और क्या प्रतिनिधिमण्डल ने कोई प्रतिवेदन पेश किया है और, यदि हां, तो वह कैसा है ?

श्री हाथी : उन्होंने एक प्रतिवेदन पेश किया है जिसमें यह बताया गया है कि वहां पर शिल्पिक प्रशिक्षण के लिये कौन कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं ।

श्री राधा रमण : यह प्रतिनिधिमण्डल वहां कितने दिन ठहरा और उसने किस किस संस्थापन को उस अवधि में देखा ?

श्री हाथी : वे यहां से ३१ मई, १९५५ को रवाना हुए थे और ६ जुलाई, १९५५ को वापस आये । उन्होंने बहुत सी प्रशिक्षण संस्थायें, कारखाने और अन्य स्थान देखे । उनके कामों की एक लम्बी सूची है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसकी एक प्रतिलिपि बाद में दे सकता हूं ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार ऐसे प्रतिनिधिमण्डल किन्हीं अन्य देशों को भेजना चाहती है ?

श्री हाथी : यदि वह किसी विशेष देश के बारे जानना चाहते हों तो मैं बता सकता हूं । स्वभावतः हमारे विशेषज्ञ विभिन्न स्थानों और विभिन्न सम्मेलनों में जाते हैं, वे प्रशिक्षण संस्थाओं और अन्य उपलब्ध सुविधाओं को भी देखते हैं ।

श्री राघवैया : माननीय मंत्री ने बताया कि प्रशिक्षण, आदि देखने के लिये अनेक देशों को प्रतिनिधिमण्डल भेजे जाने की सम्भावनायें हैं । क्या सरकार शिल्पिक पहलुओं का अध्ययन कराने के लिये एक प्रतिनिधिमण्डल रूस को भेजने वाली है ?

श्री हाथी : उक्त प्रतिनिधि-मण्डल इसी अभिप्राय से गया था ।

दारचीनी का तेल

*१०२१. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय दारचीनी के तेल का आयात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो १९५३-५४ में आयात किये गये तेल की मात्रा और उसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). व्यापार के आंकड़ों में दारचीनी के तेल के आंकड़े पृथक् से नहीं दिखाये जाते । अतः यह बताना संभव नहीं है कि क्या उसका आयात किया जाता है । यह "प्राकृतिक आवश्यक तेलों" में से एक है, अतः इसके आयात की अनुमति है ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या यह सच है कि मलाबार में दारचीनी की खेती के बड़े बड़े क्षेत्र समुचित देखभाल और परिपालन न होने के कारण नष्ट हो गये हैं या नष्ट हो रहे हैं ?

श्री करमरकर : मुझे पता नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि मलाबार में बड़े बड़े क्षेत्रों में दारचीनी के बाग थे और आयात किये गये दारचीनी के तेल से प्रतियोगिता होने के कारण वहां तेल निर्माण करना संभव नहीं है ?

श्री करमरकर : हमें इस बात की जानकारी नहीं है ।

श्री पुन्नूस : इस तेल का मूल्य क्या है और यहां पर उसकी उत्पादन-क्षमता क्या है ?

श्री करमरकर : देशी उत्पादन का मोटे तौर पर अनुमान दो टन के लगभग है । मुझे दुःख है कि मेरे पास दारचीनी के आंकड़े अलग से नहीं हैं । मैं प्राकृतिक आवश्यक तेलों के आंकड़े बता सकता हूं ।

श्री पुन्नूस : क्या गैर-सरकारी लोगों ने दारचीनी की खेती और इस उद्योग के विकास में सहायता के लिये सरकार से प्रार्थना की है ?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे पता है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है ।

फिल्म विभाग में हानि

*१०२४. **डा० सत्यवादी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १५ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म विभाग की हानियों के सम्बन्ध में औपचारिक जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ है और उस पर सरकार ने क्या विचार प्रकट किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के नियम ४९ के अन्तर्गत क्षति की पूर्ति करने के लिए दण्ड देने की प्रक्रियात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

कोयले की खानें

*१०२५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षितता) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत

१९५४–५५ में यह देखने के लिए कोयले की खानों का कोई निरीक्षण किया गया है कि खानों की खोदाई सुयोजित तथा सुचारु ढंग से हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन कोयला खानों का निरीक्षण किया गया ; और

(ग) निरीक्षण में क्या बातें मिलीं ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां ।

(ख) १९५४–५५ में जिन कोयला खानों का निरीक्षण किया गया उनकी एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) मांगी गयी जानकारी कोयला बोर्ड से मंगाई गयी है क्योंकि निरीक्षण के परिणामों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए उसे बोर्ड के पास भेजा जाता है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : निरीक्षित कोयले की खानों का कुल उत्पादन क्या है ? विवरण में बताया गया है कि केवल चार कोयला खानों का निरीक्षण किया गया है ।

श्री आर० जी० दुबे : हमें पता नहीं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं सम्पूर्ण आंकड़े चाहता हूं ।

श्री आर० जी० दुबे : मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमें धातुकार्मिक कोयले का संरक्षण करना है, क्या कारण है कि केवल चार कोयला खानों का ही निरीक्षण किया गया ?

श्री आर० जी० दुबे : हमारे देश में लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास के लिए कोक कोयला बहुत आवश्यक चीज़ है । इसी कारण सर्वप्रथम कोक कोयले की कोयला खानों का निरीक्षण करना उचित समझा गया ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि जब कोयला इतना महत्वपूर्ण है तो सरकार ने केवल चार कोयला खानों का ही निरीक्षण क्यों किया, अधिक खानों का क्यों नहीं किया ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : पिछले वर्ष में १८ खानों का निरीक्षण हो चुका है और १९५४–५५ में केवल चार खानों का निरीक्षण किया गया है । यह एक लम्बी चौड़ी प्रक्रिया है और इसके लिए विस्तृत निरीक्षण की आवश्यकता होती है । १९५४–५५ में हमने जितनी खानों का निरीक्षण किया है उससे अधिक खानों का निरीक्षण करना सम्भव नहीं था ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : धातुकार्मिक कोयले को घरेलू कामों और इंजिनों के कामों में प्रयोग करने को निरुत्साहित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : सरकार इस बात के लिए प्रयत्न कर रही है कि किसी अलाभकर ढंग से कोयले की खोदाई न की जाय और घरेलू कामों के लिए घरेलू कोक का खूब प्रचार किया जा रहा है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : १९५२ में कोयले का उत्पादन ७० लाख टन निश्चित किया गया था । १९५३ और १९५४ के आंकड़े क्या हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है । एक अलग प्रश्न पूछा जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या खानों की शिल्पिक मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर खानों की काम की हालत के बारे में की गयी जांच में कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि खानों की दशा का सुधार करने के लिए

बहुत यांत्रिक औजारों का प्रयोग शुरू किया गया है पर मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हमारी प्रगति कुछ धीमी रही है।

भारत का राष्ट्रीय ध्वज

*१०२६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ मार्च, १९५५ को ब्रिटिश जहाज़ "क्लैन मैकलीन" पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ था, जब कि उक्त जहाज दरबीर से केपटाउन को जाते हुए गहरे समुद्र में से जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां): (क) तथा (ख). जी, नहीं। इस आशय का आरोप प्राप्त होने पर, जांच की गई थी और यह पाया गया था कि भारतीय ध्वज का अपमान नहीं हुआ था।

श्री रघुनाथ सिंह : जांच किसने की ?

श्री सादत अली खां : मॉरिशस स्थित हमारे आयुक्त ने इस मामले की अच्छी तरह जांच की और बाद में, जब यह जहाज कलकत्ता में ठहरा, तो कलकत्ता के नौवहन अधिकारी (शिपिंग मास्टर) ने अधिक जांच की। उन दोनों ने जहाज के पदाधिकारी को इस अपमान से मुक्त किया है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि शिप पर क्या बात हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस विषय में और कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

श्री पुन्नूस : जानकारी के लिये एक महत्वपूर्ण प्रश्न.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि दो पदाधिकारियों ने जांच की थी और उन्होंने कहा है कि भारतीय ध्वज का अपमान होने वाली कोई बात नहीं हुई। इसमें और आगे विचार करने की क्या बात है ?

श्री कामत : ऐसी कोई घटना तो हुई थी.....

श्री पुन्नूस : किन्तु प्रतीत होता है कि कुछ हुआ था; चाहे अपमान न हुआ हो--

एक माननीय सदस्य : हो सकता है कोई हानि हुई हो।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

काश्मीर को अनुदान

*१०२७. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार को उसकी नवीन योजना के अन्तर्गत उद्योगों के विकास के लिये कितना अनुदान दिया गया था ; और

(ख) किन उद्योगों के लिये अनुदान दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य जम्मू तथा काश्मीर राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई पुनरीक्षित पंचवर्षीय योजना का उल्लेख कर रहे हैं। पुनरीक्षित योजना में सम्मिलित योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है।

मोटर गाड़ियां

*१०२८. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मोटर गाड़ी निर्माताओं ने अपनी गाड़ियों का निर्यात करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी गाड़ियों के लिये अनुमति मांगी गई है ;

(ग) किन देशों को मोटर गाड़ियों का निर्यात करने का विचार किया गया है ; और

(घ) अब तक, वास्तव में, कितनी मोटर गाड़ियों का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ३० ।

(ग) श्रीलंका ।

(घ) कोई भी नहीं ।

श्री हेडा : इस देश में किन किन निर्माताओं ने निर्यात करने की प्रार्थना की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केवल एक निर्माता था और वह है हिन्दुस्तान मोटर्स ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात का विचार करते हुए कि मोटर गाड़ी उद्योग का बड़े कठोर प्रशुल्क द्वारा संरक्षण किया जाता है, ताकि भारत में पुर्जे जोड़ कर बनाई गई मोटर गाड़ियां भारतीय बाजार में प्रतियोगिता में ठहर सकें, इन मोटर गाड़ियों का निर्यात करने की क्या आवश्यकता है, ताकि निर्माता उस का लाभ उठा सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि अधिक प्रशुल्क के बावजूद भी वे समझते हैं कि वे इस देश से निर्यात कर सकते हैं तो यह हमारे ही लाभ की बात है ।

श्री वी० पी० नायर : भारत में पुर्जे जोड़ कर बनाई गई मोटर गाड़ियों की अपेक्षा यूरोप में बनने वाली मोटरगाड़ियां और भारत से बाहर बनने वाली दूसरी मोटर गाड़ियां अधिक सस्ती होती हैं, इसे दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार आशा करती है कि मोटर गाड़ियों के निर्यात में वृद्धि होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस के बारे में मतभेद हो सकता है । माननीय सदस्य को अपना मत बनाने का अधिकार है ।

श्री कासलीवाल : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि कार निर्माता यह समझते हैं कि वे कारों का निर्यात कर सकते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस कारण ऐसा सोचते हैं कि वे विदेशों से आयात की जाने वाली उन कारों के आर्डर वापिस ले लेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यहां निर्यात के लिये प्रार्थना पत्र आया है । आर्डर वापिस लेने के बारे में कोई प्रार्थना नहीं आई है । यह भी सम्भव है कि निर्यात हो ही न सके । जब वे निर्यात करते हैं और जब वे आयात का आर्डर वापिस लेने की मांग करेंगे, उस समय मुझे इस बात का विचार करना पड़ेगा कि क्या मैं उन्हें आर्डर वापिस लेने की अनुमति दे सकता हूं ।

श्री हेडा : इस निर्माता विशेष की मोटर गाड़ियों की इस देश में कितनी मांग है और तदनुसार कितनी मोटरगाड़ियां तैयार होती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि उत्पादन और मांग लगभग बराबर हैं ।

कॉसई योजना

*१०३०. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ६ दिसम्बर १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तब से पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कॉसई योजना अन्तिम रूप में प्रस्तुत कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) योजना का ब्यौरा देने वाला टिप्पण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९]**

श्री एन० बी० चौधरी : क्या नदी के निचले प्रदेशों में अधिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिये योजना में संशोधन करने के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों और सुझावों की ओर सरकार ने ध्यान दिया है ?

श्री हाथी : पश्चिमी बंगाल सरकार से अग्र प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि उसने इस पर विचार किया होगा।

श्री एन० बी० चौधरी : सिंचाई और विद्युत् मंत्री के साथ यहां जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो विचार और सुझाव प्रस्तुत किये गये थे, क्या वे केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार को भेज दिये गये हैं ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान्।

डा० रामा राव : क्या यह रोड़ी सीमेन्ट, आदि का बांध होगा या ईंटों का बांध ? यदि हां, तो कौनसा भाग रोड़ी सीमेन्ट, आदि का होगा ?

श्री हाथी : जिस स्थान से पानी वहता है वह भाग रोड़ी का होगा।

श्री बी० के० दास : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ?

श्री हाथी : उसने विविध योजनाओं की सूची प्रस्तुत की है, किन्तु जब वे योजना आयोग के साथ चर्चा करने के लिये आएंगे, तब प्राथमिकता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : योजना का अनुमानित व्यय क्या होगा, और क्या निचले प्रदेशों में नाले खोदने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हाथी : व्यय और अन्य ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं जो मैंने अभी सभा-पटल पर रखा है।

विद्युत् परियोजनाओं के लिये उपकरण

*१०३१. **श्री बोगावत** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैनेडा की सरकार ने कोलम्बो योजना के अधीन भारत को इसकी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये बिजली का सामान मुहैया करने का वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कैनेडा सरकार की भेंट स्वीकार कर ली है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) हां, श्रीमान्।

श्री बोगावत : कितने की भेंट है और किन राज्यों में उन का यह सामान प्रयोग में लाया जायेगा ?

श्री हाथी : ३० लाख डालर की भेंट है। राज्यों से उनकी आवश्यकताएं पूछी गई हैं। अब तक, हमें केवल बम्बई सरकार से डीज़ल तेल से चलने वाले कुछ इंजिनों की प्रार्थना प्राप्त हुई है।

श्री बोगावत : बम्बई सरकार ने किन क्षेत्रों में या भागों में यह सामान लगाने की प्रार्थाना की है ?

श्री हाथी : सामान की आवश्यकता के साथ साथ उन्हें उन क्षेत्रों का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती कि वे कहां इस सामान का प्रयोग करना चाहते हैं। यह ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का भिन्न भाग है।

श्री बोगावत : क्या बिजली के इस सामान को ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारघर व रान्द्र योजना के लिये प्रयोग में लाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न उस सहायता से सम्बन्धित है जो हम प्राप्त करने वाले हैं और यह मुख्यतया डीज़ल जनरेटिंग सेटों के रूप में होगी। यदि उस क्षेत्र को इनकी आवश्यकता होगी तो स्वभावतः बम्बई सरकार उनके लिये हमें लिखेगी।

श्री भावगत झा आज़ाद : क्या कैनेडा सरकार ने ऐसी भेंट के साथ कोई शर्त रखी है ?

श्री हाथी : कोई विशेष शर्त नहीं।

पुनर्वास पदाधिकारी सम्मेलन

*१०३२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री २३ अगस्त, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५४ में श्रीनगर में आयोजित पुनर्वास पदाधिकारी सम्मेलन में की गई कौन कौन सी सिफारिशों को तब से स्वीकार किया गया है ;

(ख) अब तक उनमें से कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ; और

(ग) जिन सिफारिशों के बारे में पहले निर्णय किया जा चुका है उनके क्रियान्वित न होने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों की ओर उनकी क्रियान्विति के के बारे में वर्तमान स्थिति बताने वाला विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०]**

सरदार इकबाल सिंह : इस सम्मेलन द्वारा की गई १८ सिफारिशों में से इस वर्ष के अन्तर्गत केवल दो सिफारिशें क्रियान्वित हुई हैं। अन्य सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये कितने समय की आवश्यकता है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : सभी सफिारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं। उनमें से कुछ छोटी हैं और शीघ्र ही कार्यान्वित की जा सकती हैं किन्तु निष्क्रान्त सम्पत्ति, प्रतिकर की देनगी, धारा १६ के अधीन मामलों का परीक्षण, इत्यादि विषयों सम्बन्धी सिफारिशों की क्रियान्विति में पर्याप्त समय लग जाने की सम्भावना है।

सरदार इकबाल सिंह : सिफारिश संख्या ६ के अनुसार सरकारी विभागों और सरकारी कर्मचारियों से बकाया किराया वसूल किया जाना चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर उनके नाम में पट्टा अथवा आवंटन रद्द कर दिया जाना चाहिये। इस वर्ष कितने पट्टे और आवंटन रद्द किये गये हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं यह जानकारी इसी समय नहीं दे सकता, किन्तु मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार के परामर्श के साथ, हमने निर्णय किया है कि जहां पट्टे की अवधि पूरी हो जाए तो उसका नवीकरण न किया जाय और यथासम्भव शीघ्रता से पट्टों को समाप्त करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये और यदि कोई दुकान या मकान खाली हो जाये तो वह विस्थापित व्यक्तियों को दिया जाय अथवा उसकी नीलामी कर दी जाय।

सरदार इकबाल सिंह : सिफारिश संख्या १६ को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों को जो सरकार द्वारा बनाई गई सम्पत्ति हस्तांतरित की गई है वह कितने मूल्य की है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनुमानित लागत लगभग १०० करोड़ रुपये है।

सरदार इकबाल सिंह : इस वर्ष निष्क्रांत व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई सम्पत्ति

कितने मूल्य की है---अनुमानतः कितने मूल्य की ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अब सरकार जो सम्पत्ति शरणार्थियों को आवंटित करने वाली है, उसका कितना मूल्य है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : सम्पत्ति का मूल्य लगभग १०० करोड़ रुपये है और सरकार का अंश लगभग ८५ करोड़ रुपये है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या शरणार्थी विद्यार्थियों को दिया गया धन उनके अभिभावकों को प्रतिकर देते समय काट लिया जाता है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यद्यपि यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता, तो भी मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं । शरणार्थी विद्यार्थियों को दो शीर्षों के अधीन ऋण दिये गये हैं पहला, विदेशों में अध्ययन करने के लिये अल्प ऋण और अन्य ऋण । जहां तक अल्प ऋणों का सम्बन्ध है, वे माफ़ किये जा रहे हैं, और जहां तक विदेशों में अध्ययन करने के लिये दिये गये ऋणों का सम्बन्ध है, वे लोक-ऋण समझे जायेंगे, और वसूल किये जायेंगे ।

सरदार इकबाल सिंह : सिफारिश संख्या १७ के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता को कितना ऋण दिया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस वर्ष के लिये लगभग २० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं । मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि क्या इसमें से सारा धन बांटा जा चुका है या नहीं । किन्तु मुझे इतना पता है कि इसमें से अधिक राशि खर्च की गई होगी ।

टायर बनाने वाले कारखाने

***१०३४. श्री विश्व नाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन टायर बनाने के नये कारखाने खोलने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जी हां, किन्तु अभी तक कोई अतिन्म निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या यह कारखाना राज्य संचालित होगा ?

श्री कानूनगो : नहीं । प्रस्थापना यह है कि यह दक्षिण भारत में ग़ैर-सरकारी सार्थ होगा ।

श्री विश्व नाथ राय : कारखाना कहां स्थापित होगा ?

श्री कानूनगो : यह अभी केवल प्रस्थापना की अवस्था में है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या कोई सरकारी अभिकरण भारत में टायर बनाने की क्रिया का अध्ययन कर रहा है और क्या सरकार को विदित है कि भाखड़ा-नंगल परियोजना के लिये धराभीम (बुलडोज़र) के बड़े बड़े टायर ६,००० रुपये में क्रय किये गये हैं और ७०० रुपये में उनकी मरम्मत होती है और इस प्रकार मरम्मत किये जाने पर वे बहुत समय तक चलते हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, यह सब बड़ी रोचक बात है और मुझे यह जानकारी देने के लिये मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में जितनी कच्ची रबड़ पैदा होती है उसका अधिकांश भाग

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में होता है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान समय में टायर बनाने वाले कारखाने कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में स्थापित हैं और त्रावणकोर-कोचीन राज्य में श्रम सम्बन्धी स्थिति की अत्यधिक कठिनाइयों की दृष्टि से, क्या सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य के रबड़ उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में राज्य चालित रबड़ कारखाना खोलने का विचार किया है जहां कि टायर के निर्माण पर ज़ोर दिया जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं ।

श्री पुन्नूस : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न को लेते हैं ।

श्री पुन्नूस : सरकार का एक प्रस्ताव . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायेंगे ? माननीय सदस्य इसका पालन करेंगे । मैं देखता हूं कि प्रश्न पूछते समय उनके सम्बन्ध में अनेक तर्क रखे जाते हैं और प्रश्न में बड़ा समय ले लिया जाता है . . . . (**अन्तर्बाधा**) शान्ति, शान्ति । यह एक चीज़ थी । दूसरी चीज़ यह है कि जब मैं देखता हूं कि प्रश्न पूछने का कुछ परिणाम निकल रहा है, तो मैं अधिक प्रश्नों के लिये अनुमति दे देता हूं किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि माननीय सदस्य उस विषय पर सारे सम्भव प्रश्न पूछ डालें और इस प्रकार अन्य प्रश्न पूछे जाने से रह जायें । अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी अभी पूछे जाने को हैं ।

श्री पुन्नूस : आपने जो कुछ कहा मैं यह सब जानता हूं । त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने इस सरकार से एक प्रस्ताव किया था कि सरकार चालित कारखाना टायर बनाने लगे । मैं यह जानना चाहता था और इसीलिये खड़ा हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं ।

सिन्दरी उर्वरक

१०३५. **श्री बर्मन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां तक पानी के संभरण का सम्बन्ध है, सिन्दरी उर्वरक विस्तार योजना पंचेट पहाड़ी बांध के पूरे हो जाने से सम्बद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों योजनाओं, अर्थात् सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड विस्तार योजना और पंचेट पहाड़ी बांध योजना, की समय सूचियों को साथ-साथ रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) और (ख). सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड की विस्तार योजना के लिये जल व्यवस्था पंचेट पहाड़ी बांध के पूरे हो जाने पर निर्भर नहीं है, यद्यपि बांध निस्सन्देह सिन्दरी के जल संभरण की स्थिति में सुधार करेगा । विस्तार योजना के लिये सिन्दरी की जल की आवश्यकता दामोदर नदी से पूरी की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर गोवाई बांध से भी पानी लिया जा सकता है ।

श्री बर्मन : पता चला है कि इस समय गोवाई द्वारा जिस भूमि तल जल का संभरण किया जा रहा है वह केवल ८८ लाख गैलन होता है जबकि विस्तार योजना के अधीन १ करोड़ ४५ लाख गैलन जल की आवश्यकता होगी । क्या ऐसा है ?

श्री आर० जी० दुबे : सिन्दरी की प्रतिदिन की औसत आवश्यकता ७४ लाख गैलन है । अधिकतम आवश्यकता ८९ लाख गैलन होगी । इस आवश्यकता की पूर्ति

दामोदर नदी से की जाती है । अतिरिक्त जल संभरण के लिये हम दामोदर नदी में एक उदानयन-गृह (पम्पिंग हाउस) बनवाने जा रहे हैं और गर्मियों में जल संभरण बढ़ाने के लिये इन्फिल्टरेशन गैलरियों का पानी काम में लाया जायेगा ।

श्री बर्मन : इस विस्तार योजना से कितने उत्पादन की आशा की जाती है और उपोत्पादों का मूल्य क्या होगा ?

श्री आर० जी० दुबे : यूरिया का प्राक्कलित उत्पादन ७० टन प्रति दिन और द्विलवण (डबल साल्ट) का उत्पादन ४०० टन प्रति दिन है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या उर्वरकों की कमी की दृष्टि से बिहार में एक दूसरा उर्वरक कारखाना खोलने का कोई विचार है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं इसी प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं; जैसा कि सभा को विदित है उर्वरक समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या कोक ओवेन संयत्र के कार्य की जांच की गई है और क्या इससे उत्पादन लागत में किसी प्रकार की कमी हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जी हां । कोक ओवेन संयत्र स्थापित किया जा चुका है और अब प्रतिदिन लगभग ६०० टन कोक का उत्पादन कर रहा है तथा इससे अमोनियम सल्फेट की लागत में कुछ कमी हुई है ।

मैसर्स अतुल प्रोडैक्ट्स, लिमिटेड

*१०३६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स, लिमिटेड को १९५५ में अब तक कुल कितना ऋण दिया है;

(ख) ऋण की क्या शर्तें हैं; और

(ग) क्या उस कंपनी की प्रबन्ध समिति में सरकार का कोई प्रतिनिधि है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ७५ लाख रु० ।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर उपस्थित किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) जी, हां ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं जानना चाहता हूं कि यह कम्पनी कब से काम कर रही है ।

श्री कानूनगो : १९४७ से ।

श्री के० सी० सोधिया : इस का टोटल पेड-अप कैपिटल कितना है ?

श्री कानूनगो : पांच करोड़ रुपया तो औथोराइज्ड कैपिटल है और तक़रीबन ढाई करोड़ रुपया पेड-अप कैपिटल है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यही सिर्फ एक कम्पनी है जिसको कि रुपया दिया गया है या इस क़िस्म की और कम्पनियों को भी दिया गया है या दिया जायेगा ?

श्री कानूनगो : जो चीज़ वहां बनती है अगर उसकी जरूरत हो तो दिया जायेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस समवाय को सरकार द्वारा दिये गये ऋण में सामान का स्टाक क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता । उसको क्यों छोड़ दिया गया था ?

श्री कानूनगो : हम ने निश्चित आस्तियों और बंधक स्टोरों को ही सम्मिलित किया है । जो सामान छोड़ दिया गया है वह दैनिक उपयोग का है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स को जो ऋण दिया गया है वह सल्फ़ाडाइज़ीन, फोलिक एसिड और एरियो-

माइसीन तैयार करने के कार्यक्रम के लिये दिया गया है, जिसके लिये मैं देखता हूं कि यह समवाय विशेष अमेरिकन साइनामाइड कम्पनी के साझे में है; और क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भेषजीय जांच समिति ने ऐसे करारों की बड़े बड़े शब्दों में निन्दा की है, क्या सरकार ने ऐसे ऋणों को देने से पूर्व ऐसे करारों पर पुनर्विचार किया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, अग्रिम धन इस समवाय द्वारा तैयार किये जाने वाले रंगों के सुधार के लिये दिया गया है। जहां तक प्रश्न के द्वितीय भाग का सम्बन्ध है भविष्य में अग्रिम धन देते समय भेषजीय जांच समिति की सिफारिशों पर ध्यान रखा जायेगा ।

नेपा अखबारी कागज़ कारखाना

*१०३८. **श्री कामत** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपा अखबारी कागज़ कारखाना (मध्य प्रदेश) द्वारा इस समय प्रति दिन कितना अखबारी कागज़ तैयार किया जाता है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें नेपा अखबारी कागज़ काम में लाया जाता है; और

(ग) इस परियोजना के प्रारम्भ होने से अब तक केन्द्र द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नेपा कारखाना अभी परीक्षण के रूप में चल रहा है और ब्लीच किये हुए अखबारी कागज़ का दैनिक औसत उत्पादन १५ टन कहा जा सकता है ।

(ख) अब तक यह अखबारी कागज़ बम्बई, मद्रास, दिल्ली और मध्य प्रदेश को भेजा गया है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नेपा परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये मध्य प्रदेश को ऋण के रूप में अब तक १८०,०३ लाख रुपया मंजूर किया गया है ।

श्री कामत : इस अखबारी कागज़ के कारखाने में तीन क्षेत्रों, यथा केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और निजी अंशों, द्वारा कितनी पूंजी का विनियोग किया गया है; और निदेशक बोर्ड में इन तीनों का कितना कितना प्रतिनिधित्व है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उसने इस सार्थ में कुछ भी पूंजी का विनियोग नहीं किया है । केन्द्रीय सरकार ने केवल मध्य प्रदेश सरकार को धन दिया है यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार निदेशक बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये सहमत हो गई है ।

श्री कामत : मैं निदेशक बोर्ड में केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और निजी अंशधारियों के प्रतिनिधियों की संख्या जानना चाहता हूं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है वह है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार के निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये सहमत हो गई है।

श्री कामत : क्या यह सच है कि किसी समय तैयार कागज़ का स्टाक जमा करने की गुंजाइश न होने के कारण मिलों को उत्पादन बन्द कर देना पड़ा था और मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टाक को क्रय करने में सहायता नहीं

दी थी यद्यपि वह पाठ्य पुस्तकें छाप रही थी जिसके लिये यह इसका क्रय कर सकती थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस कारखाने के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यह प्रधानत: मध्य प्रदेश सरकार का है। यह ऐसा नहीं है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता हो। अत: इस मिल विशेष से सम्बन्धित मामलों का विस्तृत ब्यौरा ऐसा नहीं है जिसका सामान्यत: ज्ञान केन्द्रीय सरकार को हो।

श्री कामत : समाचार पत्रों के लिये अखबारी कागज की बिक्री की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार ने इस बात की ओर भी कोई ध्यान दिया है कि गैर-सरकारी पक्ष अखबारी कागज के इस स्टाक को न हथिया बैठें और सरकार लाभ में से अपने अंश से वंचित न हो जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार, देश के उद्योगों में अपने हित के रूप में, यह ही चाहती है कि अखबारी कागज की बिक्री होती रहे; किन्तु प्रबन्ध अथवा कारखाने विशेष में निर्मित अखबारी कागज की बिक्री के सम्बन्ध में सरकार का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह सारा उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश सरकार का है।

वृत्तान्त तथा समाचार चलचित्र

*१०४१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के वृत्तान्त के तथा समाचार चलचित्र ठेके के आधार पर 'प्रौसेसिंग' (साफ करने) के लिये ग़ैर-सरकारी लोगों को दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर वार्षिक कितना व्यय हुआ ; और

(ग) किन लोगों को यह कार्य सौंपा गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ग) इस समय यह कार्य निम्नलिखित को सौंपा गया है :

(१) बाम्बे फिल्म लेबोरेटरी
(२) रेमनार्ड रिसर्च लेबोरेटरीज़
(३) माडर्न सिक्सटीन लेबोरेटरीज़
(४) फिल्म सेन्टर

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : विवरण से ज्ञात होता है कि १९४७–४८ में केवल ३४२५ रुपया ११ आ० व्यय किये गये थे किन्तु १९५४–५५ में व्यय की गई राशि ४,५८,३०२ रुपया १५ आ० थी। इस थोड़े काल में ही इन चलचित्रों के 'प्रोसेसिंग' (साफ करने) पर व्यय की राशि में इतने शीघ्र वृद्धि हो जाने का क्या कारण है ?

डा० केसकर : स्पष्ट है कि १९४७–४८ में फिल्म डिवीजन का कार्य प्रारम्भिक अवस्था में था और हम बहुत कम संख्या में चलचित्रों का निर्माण करते थे। फिल्म डिवीज़न का कार्य बढ़ता जा रहा है और निस्सन्देह मेरे माननीय मित्र को विदित है कि पंचवर्षीय योजना के प्रचार के लिये पिछले वर्ष से बहुत बड़ी संख्या में चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि ऐसे चलचित्र तैयार करने वाले चार समवायों में से एक समवाय में प्रयोगशाला है ही नहीं और फिर भी सरकार द्वारा समाचार चित्र के "प्रोसेसिंग' (साफ करने) का कार्य इस समवाय को सौंपा गया है ?

डा० केसकर : जी नहीं, यह सच नहीं है। एक समवाय ऐसा था जिसकी प्रयोगशाला

निर्धारित मान के अनुसार संतोषजनक नहीं थी। हमने यह शर्त रक्खी है कि उसे और काम देने से पूर्व उसे अपनी प्रयोगशाला सुधार लेनी चाहिए और जो कुछ भी कमियां हों उन्हें ठीक कर लेना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच नहीं कि रेमनार्ड कम्पनी को सरकार से ठेका मिला हुआ है और वह 'प्रोसेसिंग' के लिये चलचित्र किसी अन्य प्रयोगशाला को भेजती है और उसके पश्चात् सरकार के पास ?

डा० केसकर : जहां तक मुझे विदित है यह बात सही नहीं, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि हमने लगभग छः या आठ मास पूर्व इस प्रश्न की जांच करने के लिए कि चलचित्र का 'प्रोसेसिंग' किस प्रकार किया जाये और इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा तरीके का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जायगा और हम 'प्रोसेसिंग' का सारा कार्य जिस प्रकार उसमें सिफारिश की गई है उसी प्रकार से देने का विचार रखते हैं।

नन्दीकोंडा बोर्ड

*१०४२. **डा० रामा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दीकोंडा बोर्ड में किसी प्रशासकीय पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) नन्दीकोंडा नियंत्रण बोर्ड के कार्य आरम्भ करने के पश्चात् आंध्र और हैदराबाद राज्यों के परामर्श से जो इसमें भाग ले रहे हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया जायेगा।

डा० रामा राव : यह सूचना मिली है कि प्रशासक का मुख्यालय हैदराबाद में होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार्य नन्दीकोंडा में होगा जो हैदराबाद से बहुत दूर है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रशासक का उस स्थान के निकट रहना अधिक अच्छा होगा, क्या सरकार यथाशीघ्र नन्दीकोंडा में उसका मुख्यालय निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हाथी : प्रशासक अभी नियुक्त नहीं हुआ है किन्तु नियंत्रण बोर्ड इस बात पर विचार करेगा कि प्रशासक के मुख्यालय के लिए सबसे सुविधाजनक स्थान कौन सा होगा।

आंध्र के लिये उर्वरक कारखाना

*१०४३. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **उत्पादन** मंत्री २५ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र सरकार ने बेजवाड़ा में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए प्रार्थना की है ;

(ख) आंध्र में प्रति वर्ष उर्वरक की औसत खपत क्या है; और

(ग) यह खपत देश के कुल उत्पादन का कितना भाग है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) केवल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक को लेते हुए, १९५४ में आंध्र राज्य में अमोनियम सल्फेट की खपत ७०,००० टन थी। अनुमान है १९५५ में अमोनियम सल्फेट की मांग ७५,००० टन होगी और यूरिया की २,००० टन होगी।

(ग) लगभग २० प्रतिशत ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : उर्वरक के उपभोग के विषय में देश में आंध्र राज्य का क्या स्थान है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह इस मामले में बहुत आगे है ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : क्या केन्द्रीय सरकार का आंध्र राज्य में उर्वरक के उत्पादन के लिये एक कारखाना स्थापित करने का विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस प्रयोजन के लिये एक समिति बनाई गई थी । इसने बहुत से स्थान देखे हैं । इन स्थानों पर कारखाना स्थापित करने के फायदों तथा नुकसानों की चर्चा समिति की रिपोर्ट में की गई है । रिपोर्ट विचाराधीन है । सरकार ने इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या हैदराबाद सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर असन्तोष प्रकट किया है ?

श्री सतीश चन्द्र : बहुत सी राज्य सरकारों ने संतोष और असंतोष प्रकट किया है, क्योंकि सब बड़े-बड़े राज्य अपने क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना चाहते हैं । सारा मामला अभी विचाराधीन है । बहुत सी बातों, अर्थात् उपभोग के स्थानों के निकट होने, परिवहन सुविधाएं, कच्चे माल और बिजली की उपलब्धता आदि पर विचार करने के बाद निर्णय किया जायेगा ।

श्री राघवैया : क्या सरकार को विदित है कि उर्वरक जांच समिति रिपोर्ट के लेखक इस बात पर सहमत हैं कि आंध्र राज्य में एक कारखाना स्थापित किया जाये ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसा कि मैं ने कहा है, रिपोर्ट में लगभग एक दर्जन स्थानों पर विचार किया गया है और विजयवाड़ा उन में से एक है । किसी विशिष्ट स्थान पर कारखाना स्थापित करने के फायदों तथा नुकसानों की रिपोर्ट में चर्चा की गई है और इसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

भारतीय राज दूतावास, वाशिंगटन

*१०४४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेश सेवा निरीक्षणालय ने वाशिंगटन में भारतीय राज दूतावास के वार्षिक संस्थापन व्यय में कमी करने के लिये कोई प्रस्ताव किये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : नहीं । निरीक्षकों ने अभी वाशिंगटन में भारतीय दूतावास का दौरा नहीं किया ।

श्री डी० सी० शर्मा : विदेश सेवा निरीक्षणालय हर वर्ष कितने दूतावासों का दौरा करता है, इस वर्ष कितनों का दौरा किया गया है और अगले वर्ष के लिये कार्यक्रम क्या है ?

श्री सादत अली खां : पहले अवसर पर निरीक्षणालय ने यूरोप में ११ मिशनों और चौकियों का और तेहरान और कराची के मिशनों का दौरा किया था । दूसरे अवसर पर उसने चीन, जापान, हांगकांग और इन्डोनेशिया का दौरा किया था । ये दौरे एक प्राथमिकता क्रम के आधार पर किये गये थे । अगले अवसर पर दक्षिण-पूर्वी एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों का दौरा किया जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : १९५४ में वाशिंगटन में भारतीय दूतावास का वार्षिक संस्थापन व्यय कितना था और चालू वर्ष में कितना है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : विदेश सेवा निरीक्षणालय के

लिये आयव्ययक में १,५०,००० रुपये की व्यवस्था है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या प्रवृत्ति मितव्ययिता की ओर है या अधिक व्यय की ओर है और इस संस्थापन व्यय के अन्तर्गत आने वाले कितने भारतीय हैं और कितने ग़ैर-भारतीय ?

अध्यक्ष महोदय : आप दो प्रश्न मिला रहे हैं । पहला प्रश्न क्या है ?

श्री डी० सी० शर्मा : जहां तक संस्थापन व्यय का सम्बन्ध है, क्या प्रवृत्ति मितव्ययिता की ओर है या किसी और दिशा में ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रवृत्ति मित-व्ययिता की ओर है और विस्तार की ओर भी जिससे अधिक व्यय होता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : संस्थापन व्यय के अन्तर्गत आने वाले कितने भारतीय हैं और कितने अन्य देशों के ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कहां ?

श्री डी० सी० शर्मा : वाशिंगटन में ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि यह पृथक् प्रश्न है, तो हम आंकड़े दे सकते हैं । किन्तु स्वाभाविकतया उन अधीनस्थ कर्म-चारियों को छोड़ कर जिन्हें भारत से लेना बहुत कठिन है और जिन पर अत्यधिक खर्च आता है, शेष कर्मचारी भारतीय हैं । कभी कभी और कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं । किन्तु उद्देश्य यह है कि हर स्थान पर सारे कर्मचारी भारतीय हों ।

श्री डी० सी० शर्मा : विदेशों में भारतीय दूतावासों में छोटे कर्मचारियों की, जिनका माननीय प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया है, भरती कैसे की जाती है ?

श्री सादत अली खां : क्या वे शोफरों और ऐसे ही अन्य कर्मचारियों की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन अधीनस्थ कर्म-चारियों की ओर जिन का प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया है ।

श्री सादत अली खां : मेरे विचार में प्रधान मंत्री ने अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया है ।

रबड़ उद्योग

*१०४५. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रबड़ उद्योग के विकास के लिये, सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (१) सरकार ने रबड़ उगाने वालों को वित्तीय सहायता देने के लिये एक योजना अनुमोदित की है, जिसके अनुसार १० वर्ष की अवधि में ७०,००० एकड़ पुराने क्षेत्रों में अधिक उपज वाला रबड़ उगाया जायेगा ।

(२) १०,००० एकड़ नई भूमि में रबड़ उगाने की एक योजना विचाराधीन है ।

(३) टैक्निकल परामर्श देने और रबड़ की खेती में गवेषणा करने के लिये एक रबड़ गवेषणा संस्था स्थापित करने की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है ।

श्री इब्राहीम : क्या भारत रबड़ में आत्म-निर्भर है ?

श्री करमरकर : जी नहीं, अभी नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या योजना बनाते हुए, सरकार ने रबड़ की बनी हुई चीज़ों के लागत ढांचे की जांच की है, ताकि एकाधि-पत्य वाले निर्माता विशेषतया विदेशी रबड़ की चीज़ें बनाने वाले सब लाभ न ले जायें और रबड़ उगाने वालों को कच्चे रबड़ के अधिकतम मूल्य मिल सकें ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : टायरों के उत्पादन तथा मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी । उस समय तक माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें ।

श्री पुन्नूस : नई किस्म के पौधों की मांग जो लोगों ने गत वर्ष की थी, कितनी है और सरकार यह किस हद तक पूरी कर सकी है और क्या यह सच है कि उन लोगों के लिये जो पहली बार लगाना चाहते थे, यह पौधा उपलब्ध नहीं था ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में सरकार ने पूरी कोशिश की है किन्तु मुझे उचित पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री पुन्नूस : क्या यह सच है कि नया रबड़ बोर्ड बना दिया गया है और क्या सदस्य लेने से पहले सब सम्बन्धित पक्षों और श्रमिकों से परामर्श किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिस हद तक सदन में आश्वासन दिये गये हैं, उत्तर 'हां' में है । किन्तु बोर्ड के पूर्ण रूप से गठित करने के लिये कुछ चुनाव किये जाने हैं ।

कोयला-खानें

*१०४६. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला बोर्ड कोयला-खानों की "काली सूची" (ब्लैक लिस्ट) तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किसी कोयला खान को "काली-सूची" (ब्लैक लिस्ट) में किस आधार पर सम्मिलित किया जाता है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां ।

(ख) कोयला-खानों को इन कारणों से "काली-सूची" (ब्लैक लिस्ट) में रखा जायेगा : खनन नियम का बार बार उल्लंघन करना, ख़नन के क्षयकारी तरीके अपनाना, घटिया कोयला देना और कोयला बोर्ड और खानों के मुख्य निरीक्षक की हिदायतों के अनुसार संरक्षण और सुरक्षा के उपाय करने से इन्कार करना ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या ऐसी सूचियां बनाते हुए सरकार ने आवश्यक जानकारी और गवाह मांगे थे और क्या कोयला खानें इन्हें पेश कर रही हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : इस जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है । खानों के मुख्य निरीक्षक और उत्पादन तथा वितरण के उप कोयला आयुक्त को लिखा गया है । जानकारी प्राप्त होने पर मामले को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : ऐसी सूचियां बनाते हुए क्या प्रयोगात्मक आधार पर किसी विशिष्ट क्षेत्र को चुना गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी नहीं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : यदि कुछ कोयला खानों को "काली-सूची" (ब्लैक लिस्ट) में रखा जायेगा, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोयला संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार ने ऐसी कोई सूची बना ली है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जब किसी खान को "काली-सूची" (ब्लैक लिस्ट) में रखा जायेगा, तो सरकार, जो कि सब से अधिक कोयला खरीदती है, उस से कोयला नहीं खरीदेगी ।

दर और लागत समिति

*१०४८. **डा० सत्यवादी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दर और लागत समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). समिति ने अभी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की ।

डा० सत्यवादी : कब तक आशा की जा सकती है ?

श्री हाथी : तीन चार महीने तक ।

वर्षा माप केन्द्र

*१०४९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय प्रदेशों में अब तक कितने वर्षा माप केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ख) क्या वे चालू वर्ष में काम करने लगेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अब तक ७ वर्षा माप केन्द्र स्थापित किये गये हैं (पांच नैपाल में, एक सिक्किम और एक भूटान में) ।

(ख) जी हां ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें खर्च कितना हुआ ?

श्री हाथी : कुल व्यय लगभग ७,७९,००० रुपये है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह काम किसी यहां की फर्म ने किया या किसी फ़ारेन फर्म के द्वारा हुआ ?

श्री हाथी : यहां पर फ़ारेन फर्म का कोई प्रश्न नहीं है । इंडिया में यह काम इंडियन मीटियरलाजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा होता है ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार करार

*१०५३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार करार करने के लिए जो भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था, उस में क्या मुख्य निर्णय हुए थे ; और

(ख) इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या पग उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ये मुख्य निर्णय भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडलों के नेताओं द्वारा जारी की गई संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति में दिये गये हैं । इस विज्ञप्ति की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि करार भारत और पाकिस्तान की सरकारों के द्वारा अनुसमर्थन के बाद १ सितम्बर, १९५५ से लागू होगा ।

सरदार इकबाल सिंह : वक्तव्य में कहा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के सीमान्त पर रहने वाले लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं । ये सुविधाएं किस प्रकार की हैं ? क्या पश्चिमी बंगाल में लोगों को ऐसी सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार उत्तरदायी है या पाकिस्तान सरकार ?

श्री करमरकर : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह करार के लागू होने तक प्रतीक्षा करें ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या भारत सरकार पाकिस्तान से रुई आयात करेगी ; यदि हां, तो क्या सरकार यह ध्यान रखेगी कि इससे देश में मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

श्री करमरकर : जो कुछ वक्तव्य में बताया गया है मैं उससे अधिक कुछ नहीं बता सकता । करार १ सितम्बर से लागू होगा ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या फिल्म के आयात और निर्यात के बारे में भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई करार हुआ है ?

श्री करमरकर : यह भी इस करार में सम्मिलित है । यह मुझ से अधिक जानकारी लेने का एक और तरीका है, जो कि मैं इस समय देन के लिए तैयार नहीं हूं ।

मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स, लिमिटेड

***१०५४. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स, लिमिटेड जिसे सरकार ने ऋण दिया है, कब से व्यापार कर रही है ;

(ख) उसके द्वारा बनाये गये उत्पादों के क्या विस्तार हैं ;

(ग) क्या कोई विदेशी संस्था उसे सहायता दे रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उस संस्था का क्या नाम है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) यह फर्म सितम्बर १९४७ से चल रही है ।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर उपस्थित किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ग) जी, हां ।

(घ) अमेरिका की मैसर्स अमेरिकन स्यानामिड कं० और स्विटजरलैंड की मैसर्स सिबा लि०, उसे सहायता दे रही हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या डाइज़ के क्षेत्र में काम करने वाली कोई और कम्पनियां इस देश में हैं ?

श्री कानूनगो : यह चीज़ बनान वाले और कोई कारखाने नहीं हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : इस कम्पनी ने पिछले साल कितना डिवीडेंड दिया था ?

श्री कानूनगो : अभी तक कोई डिवीडेंड नहीं दिया गया है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस कम्पनी ने पिछले साल कोई डिवीडेंड दिया है ?

श्री कानूनगो : अभी तो यह काम नया ही चला है ।

श्री जोकीम आल्वा : इस फ़र्म को सहायता देते हुए, क्या भारत सरकार ने जांच की है या अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि इन उत्पादों के मूल्य आयात किय हुए उत्पादों से बहुत कम होंगे ?

श्री कानूनगो : सरकार संतुष्ट है कि इन के मूल्य लाभप्रद होंगे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या औषधि निर्माण जांच समिति (फार्मेस्युटिकल एंक्वायरी कमेटी) की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में निर्णय करने के बाद मैसर्ज़ अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को कोई ऋण दिये हैं ? क्या सरकार ने इस कम्पनी से प्रार्थना की है कि वह अपने करारों को संशोधित करे, ताकि ये राष्ट्रीय हित में हों ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : पहली बात यह है कि कम्पनी को सहायता देने का निर्णय इस आधार पर किया गया था कि

रंगों और अन्य सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन में सुधार हो । यहां औषधि निर्माण जांच समिति (फार्मेस्युटिकल एंक्वायरी कमेटी) की रिपोर्ट का प्रश्न नहीं है । यदि इस कम्पनी द्वारा बनाई गई वस्तुएं इस समिति की रिपोर्ट के क्षेत्र में आयें भी, तो ऋण की मंजूरी देते समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि हमने रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले निर्णय कर लिया था । करारों के संशोधन के सम्बन्ध में, ये तब तक संशोधित नहीं हो सकते जब तक कि इन की अवधि समाप्त न हो ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इन राशियों को देने में सरकार ने इस बात की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है कि निर्माण मूल उत्पादों से किया जाये या रुपया इस बात को ध्यान में न रखते हुए दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य का अनुमान ठीक है । इस मामले में, जिसमें हम सहायता देते हैं, हम इस बात पर आग्रह करते हैं कि फर्म मूल उत्पादों से निर्माण शुरू करे या कम से कम ऐसा करने का प्रयत्न करे ।

मोराक्को की स्थिति

*१०५५. **श्री कामत** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के एशियाई-अफ्रीकन दल के देशों के साथ मिल कर मोराक्को की स्थिति के सम्बन्ध में एक पत्र सुरक्षा परिषद् को भेजा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : जी, हां ।

श्री कामत : इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है और इस सम्बन्ध में, विशेषकर मोराक्को में हाल में हुई गड़बड़ के बाद, क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सादत अली खां : यदि आवश्यक हो तो मैं चिट्ठी पढ़े देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : चिट्ठी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । इसे सभा-पटल पर रख दिया जाय ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं निश्चित रूप से तो नहीं जानता कि क्या होना चाहिये परन्तु शायद इसे पटल पर रखना उचित नहीं है । यह प्राइवेट सा पत्र है । इस में कोई विशेष बात नहीं है परन्तु फिर भी इसे पटल पर रखना शायद उचित न हो ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार बेहतर जानती है; यह निश्चय करना उस का काम है ।

श्री कामत : इस सम्बन्ध में चिट्ठी भेजने के बाद, विशेषकर मोराक्को में हुई गड़बड़ के बाद क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य का संकेत एशियाई-अफ्रीकन दल द्वारा की गयी कार्यवाही से है, तो यह हाल की गड़बड़, जिस का ताज़ा उदाहरण बहुत ही जघन्य था, दो या तीन दिन पहले हुई है । एशियाई-अफ्रीकन दल ने पिछले दो तीन दिन में क्या किया है, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि बांडुंग सम्मेलन में मोराक्को को स्वतंत्र कराने के लिये संकल्प पास किया गया था या प्रतिज्ञा की गयी थी और यदि ऐसा किया गया था तो क्या गोआ के सम्बन्ध में भी कोई ऐसा संकल्प पास किया गया था या उस पर विचार किया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : संकल्प पास नहीं किया गया था । बांडुंग सम्मेलन ने औपनिवेशिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में एक आम वक्तव्य निकाला था और उस में मोराक्को

और शायद ट्यूनीशिया और लीबिया के सम्बन्ध में चर्चा की गयी थी। उस में गोआ का उल्लेख नहीं था और कई अन्य स्थानों का उल्लेख भी नहीं था।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् या महासभा के सामने पहले भी मोराक्को का प्रश्न उठाने की चेष्ठा की थी ?

श्री सादत अली खां : जी, हां। २१ अगस्त, १९५३ को सुरक्षा परिषद् के सभापति को फ्रांस द्वारा मोराक्को सम्राट् के गद्दी से उतारे जाने के सम्बन्ध में एक पत्र भेजा गया था परन्तु सुरक्षा परिषद् ने इस प्रश्न को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। १९५२ में महासभा ने जो संकल्प पास किया था उस में और बातों के अतिरिक्त यह विश्वास प्रकट किया गया था कि फ्रांसीसी सरकार मोराक्को को मूल रूप से स्वतंत्रता देने का प्रयत्न कर रही है।

श्री कामत : क्या समाचार पत्रों में छपने वाले इस समाचार में कोई सच्चाई है कि एशियाई-अफ्रीकन दल के कुछ या अधिकतर सदस्य यह सोच रहे हैं कि गोआ का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने लाया जाय ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह इस प्रश्न से तो उत्पन्न नहीं होता परन्तु यदि इस समाचार में कोई सच्चाई है तो मुझे उस का पता नहीं है ?

कच्चे लोहे के निक्षेप

*१०५६. **श्री बोगावत** : क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में इतना कच्चा लोहा मिल सकता है कि जिस से रूरकेला के इस्पात कारखाने के अतिरिक्त चार और इस्पात कारखानों की आवश्यकता पूरी हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उड़ीसा में इस्पात के और कारखाने खोलने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) भारत के भूतत्वीय परिमाप के अनुसार उड़ीसा में अधिक अच्छे लोहे की कच्ची धातु (हेमाटाइट) की मात्रा इतनी है कि रूरकेला इस्पात कारखाने की ज़रूरत पूरी करने के बाद भी काफ़ी लोहा बच रहेगा।

(ख) अभी ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूसरी पंचवर्षीय योजना

*१०११. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या योजना मंत्री १६ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके बाद से टेक्नीकल समिति ने पंजाब सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये भेजी गयी किन किन सिंचाई योजनाओं की जांच की है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी मंत्रणा समिति ने सरहिंद उप नहर परियोजना और गुड़गांव नहर योजना पर विचार किया है। परियोजना सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन और अन्य योजनाओं के प्राक्कलन अभी नहीं आये हैं।

रेडियो सेट

*१०१२. **श्री गिडवानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है कि कम वेतन पाने वाले

सरकारी कर्मचारियों को रेडियो सेट खरीदने के लिये ऋण दिये जायं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). इस प्रस्थापना पर विचार किया गया था परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। ऋण केवल ऐसे प्रयोजनों के लिये दिये जाते हैं जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपना काम सुचारु रूप से किये जाने के लिये आवश्यक हों और यह महसूस किया गया कि रेडियो सेट ऐसी वस्तु नहीं है।

रूरकेला का इस्पात कारखाना

*१०१४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला के इस्पात कारखाने की मूल योजना में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कैसा; और

(ग) इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां।

(ख) मूल योजना ऐसा कारखाना बनाने की थी जिसमें ५ लाख टन इस्पात के लट्ठे (इन्गाट) और ३ लाख ६० हजार टन लोहे का तैयार माल बन सके। जनवरी, १९५५ में यह निर्णय किया गया कि इस से दुगना माल तैयार करने वाला कारखाना बनाया जाय।

(ग) यह निश्चय ६० लाख टन इस्पात के लट्ठे या ४५ लाख टन इस्पात के तैयार माल के लक्ष्य तक पहुंचने की योजना का एक अंग है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता

*१०१६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् ने २१ देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के सम्बन्ध में भारत द्वारा रखा गया और महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प मान लिया है; और

(ख) कौन कौन से देशों को अभी सदस्य बनाना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी नहीं।

(ख) अल्बानिया, मंग़ोलिया लोक गणराज्य, जॉर्डन, पुर्तगाल, आयरलैण्ड, हंगरी, इटली, आस्ट्रिया, रूमानिया, बल्गारिया, फिनलैण्ड, लंका, कोरिया गणराज्य, कोरिया का लोकतन्त्रात्मक लोक गणराज्य, नैपाल, वियतनाम, लीबिया, वेयतनाम का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य, कम्बोडिया, जापान और लाओस।

कोलतार के रंग

*१०१८. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर में कोलतार के रंग बनाने के कार्य में, जो कि टाटा कम्पनी द्वारा जर्मन फर्म बेजर्स के सहयोग से प्रारम्भ किया जाना था, क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कोलतार के रंग बनाने का अपना कारखाना खोलने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कहां और उस पर कितना खर्च होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जमशेदपुर में कोलतार के रंग बनाने के सम्बन्ध

में टाटा इण्डस्ट्रीज़, लिमिटिड से कोई योजना हमारे पास नहीं पहुंची ।

(ख) जी नहीं; अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नेपाल और सिक्किम में सड़कों का निर्माण

*१०२२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जून १९५५ तक नेपाल और सिक्किम में भारत की वित्तीय सहायता से कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : जून, १९५५ तक नेपाल में ७९ मील लम्बी और सिक्किम में १८ मील लम्बी सड़क बनाई जा चुकी है । इसके अलावा, नेपाल में अमलेख गंज–मुर गंज सड़क को जो पिछले वर्ष बाढ़ से बहुत खराब हो गई थी, मरम्मत की गई । सिक्किम में, सड़कें बनाने के अतिरिक्त १७९ मील की राज्य सड़कों और २५ मील लम्बे तिस्ता–गंगटोक राज पथों को ठीक रखने और सुधारने के लिये भारत सरकार द्वारा देख भाल की जाती है । नेपाल और सिक्किम में इन सड़कों के बनाने, ठीक रखने और मरम्मत के काम के लिये भारत सरकार द्वारा खर्च किया जाता है ।

करनूल-कुड्डापा नहर

*१०२३. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र राज्य में करनूल–कुड्डापा नहर का जलप्रवाह ३ करोड़ रुपये खर्च कर के तीन हजार क्युसेक्स से घटा कर ढाई हजार किया जा रहा है जब कि टेकनीकल समिति की सिफ़ारिश इसके विरुद्ध है; और

(ख) क्या यह जलप्रवाह कम करने का काम शुरू करने से पहले आंध्र राज्य की सरकार ने योजना समिति की मंजूरी ले ली थी ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वायदे के सौदे

*१०२९ **श्री पी० राम स्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का विचार चांदी सोने और अन्य वस्तूओं के "बदली" और "जेठ" सौदों पर रोक लगाने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जी नहीं ।

चौथी श्रेणी के कमचारियों के क्वार्टर

*१०३३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सुधार न्यास ने सेवानगर में लगभग २५ एकड़ भूमि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने के लिये सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या क्वार्टर बनने प्रारम्भ हो गये हैं; और

(ग) ये कब तक बन जायेंगे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). क्वार्टर बहुत पहले बन चुके हैं ।

नुगु और भद्रा परियोजनाएं

*१०३७. **श्री एन० राचय्या** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में नुगु और भद्रा परियोजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने पर अब तक कितना खर्च हो चुका है;

(ख) अब तक कितना काम हुआ है; और

(ग) इन परियोजनाओं का काम कब तक पूरा होगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५]**

यूरेनियम निक्षेप

*१०३९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **धान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया है कि बैतूल (मध्य प्रदेश) के निकट यूरेनियम के निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). भारत सरकार को इस बात की कोई खबर नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बैतूल के पास यूरेनियम के जखीरों के बारे में कोई सूचना दी है । अणुशक्ति विभाग के ज्योलोजिस्टों द्वारा जखीरों के इस इलाके की खोज की गई है जिससे पता चला है कि यह इलाका कोई आर्थिक महत्व का नहीं है क्योंकि यहां अधिक मात्रा में यूरेनियम मिलने की कोई आशा नहीं ।

राजसहायता प्राप्त उद्योगिक आवास योजना

*१०४०. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **निर्माण, आवास और** संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन मध्य प्रदेश सरकार को अब तक कितनी राशि देने की मंजूरी दी गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुदान ऐसी कम्पनियों को दिये जा रहे हैं जिन्होंने इस योजना के बनाये जाने से बहुत पहले मकान बना दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो ये अनुदान किस आधार पर दिये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार को १९५० घर बनाने के लिये अब तक २५·५३ लाख रुपये ऋण और इतनी ही आर्थिक सहायता दी जाने की मंजूरी दी गयी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रसारण केन्द्र (ब्राडकास्टिंग स्टेशन)

*१०४७. **श्री राधा रमण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कितने नये प्रसारण केन्द्र (ब्राडकास्टिंग स्टेशन) खोले गये हैं और अभी कितने और खोले जाने हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक जयपुर, इन्दौर और शिमला—इन

स्थानों में तीन नये प्रसारण केन्द्र (ब्राडकास्टिंग स्टेशन) खोले जा चुके हैं। केवल बंगलौर में प्रसारण केन्द्र (ब्राडकास्टिंग स्टेशन) खोला जाना बाकी है।

(ख) जी, हां लगभग।

आवास विशेषज्ञों का मण्डल

*१०५०. **श्री गिडवानी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का विचार है कि आवास विशेषज्ञों का एक मण्डल बनाया जाय; और

(ख) यदि हां, तो यह मण्डल कब बनाया जायगा।

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) और (ख). उस संकल्प की एक प्रति, जिस द्वारा यह मण्डल बनाया गया था सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रख दी गयी। देखिये संख्या एस–२८१/५५]**

सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

*१०५१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई १९५५ तक देश में कुल कितने सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार खंड स्थापित किये गये; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या पग उठाये गये ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) (१) सामुदायिक विकास खंड ४३२

(२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ४७७

योग ९०९

(ख) पिछले महीने ११७ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड और आवंटित किये गये। इस प्रकार वर्तमान योजना का लक्ष्य पूरा होने में १७४ खंड बाकी हैं। ख्याल है कि बाकी खंड भी इस वर्ष के अन्त तक आवंटित कर दिये जायेंगे।

दक्षिण भारत में मुद्रणालय

*१०५२. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २७ अप्रैल १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में केन्द्रीय सरकार का मुद्रणालय स्थापित किये जाने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) क्या दक्षिण भारत के सब राज्यों हैदराबाद समेत, से इस सम्बन्ध में परामर्श कर लिया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं।

बंगलौर में प्रसारण केन्द्र (ब्राडकास्टिंग स्टेशन)

*१०५७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में ऑल इण्डिया रेडियो के नये प्रसारण केन्द्र (ब्राडकास्टिंग स्टेशन) के कब तक खुलने की आशा है; और

(ख) क्या स्टेशन खोलने की सब तैयारियां पूरी हो गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नवम्बर, १९५५ के पहले सप्ताह में।

(ख) अधिष्ठापन कार्य के ३१ अक्तूबर १९५५ तक पूरे हो जाने की आशा है ।

पंजाब मे बेकारी

*१०५८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब सरकार ने राज्य में बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिये कोई तात्कालिक सहायता मांगी है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): जी नहीं ।

समाचार एजन्सियां

*१०५९. **श्री इब्राहीम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४–५५ में ऑल इन्डिया रेडियो ने विभिन्न समाचार एजेन्सियों को समाचारों के लिये शुल्क के रूप में कितनी धनराशि दी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६]

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण

*१०६०. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घातक हथियारों से लैस नागा उपद्रवी उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण के शान्तिप्रिय नागरिकों पर हमले कर रहे हैं;

(ख) क्या वहां लोगों की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंची है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग) नागाओं में से कुछ कट्टरपंथी तथा बहकाये हुए लोग नागा पहाड़ी ज़िला और तुएनसांग फ्रन्टियर डिवीज़न में अहिंसात्मक कार्यवाही कर रहे हैं । वे संख्या में तो कम हैं, परन्तु उनके पास बन्दूकें, रायफलें तथा अन्य हथियार हैं । वे कुछ क्षेत्रों में शान्तिप्रिय तथा राज्यनिष्ठ लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं । सरकार ने इस क्षेत्र में पर्याप्त आसाम रायफल यूनिटें भेज दी हैं और स्थिति अब काबू में है । इन उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा कुछ सड़कों को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने राज्यनिष्ठ ग्रामीणों के कुछ मकान भी जला दिये हैं । सरकार ने निम्नलिखित पग उठाये हैं :—

(१) डिवीज़न में विकास कार्यवाही अधिक वेग से की जा रही है ।

(२) विद्रोहियों को शरण देने वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये समय समय पर कायवाही की गई है ।

(३) सभी क्षेत्रों में ग़ैर-सरकारी पदाधिकारी तथा आसाम रायफल के सैनिक अधिक ज़ोर-शोर से क्रमशः दौरा कर रहे हैं तथा गश्त लगा रहे हैं ।

(४) ग्राम रक्षा की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आतंकवादी गिरोहों का मुकाबला किस प्रकार किया जाये ।

कारें

*१०६१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लगभग कितने समय में भारत में पूरी कारों का निर्माण किया जाने लगेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : सरकार को आशा है कि यदि वर्तमान प्रगति जारी

रही और यदि मांग पर्याप्त रही तो कम से कम कुछ स्वीकृत "मेकों" की मोटर गाड़ियों का ९० प्रतिशत निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्भव हो सकेगा ।

सरकारी मकानों को आगे किराये पर देना

*१०६२. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों को अपने मकानों को आगे किराये पर उठाने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मकानों की कमी को ध्यान में रखते हुए मकान को आगे किराये पर उठाने की इजाजत दे दी जाती है ताकि जिन लोगों को मकान मिले हुए हैं उनके पास जो फालतू हिस्सा हो उसका पूरे से पूरा उपयोग किया जा सके ।

विदेशी सेवा निरीक्षालय (इन्सपैक्टोरेट)

*१०६३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** ३ मई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सेवा निरीक्षालय द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन पर कब तक विचार हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस वर्ष किन किन राजदूतावासों और मिशनों के निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). विदेश सेवा निरीक्षकों की दी गई सिफ़ारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है और पिछले साल देखे गये दूतावासों में जकार्ता और मेदान में अफसरों और स्टाफ के लिये बदले गये विदेशी भत्तों की आज्ञा जारी कर दी गई है । कुछ दूसरे शासकीय मामलों जैसे दैनिक भत्ता आदि पर भी हुक्म जारी कर दिये गये हैं । कुछ मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) इस वर्ष अभी तक निरीक्षकों ने हांगकांग, पीकिंग, शंघाई, टोकियो, जकार्ता और मेदान का दौरा किया है । उनका अगला प्रोग्राम अभी तक नहीं बनाया गया है ।

प्रशिक्षण संस्थाएं

*१०६४. **डा० सत्यवादी** : क्या **उत्पादन** मंत्री २ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४४ के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थायें खोलने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों में; और

(ग) वे कब खोले जायेंगे ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) तथा (ख). अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पंजाब के नीलोखेरी स्थान पर एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार कर रहा है । पेप्सू अथवा हिमाचल प्रदेश में इस समय कोई केन्द्र खोलने का विचार नहीं है ।

(ग) पंजाब सरकार से इस कार्य के लिये ३० एकड़ भूमि मांगी गई है । भूमि

मिलते ही इमारत बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा और उसके पूरा होते ही केन्द्र अपना कार्य शुरू कर देगा ।

राष्ट्रीय राजपथों तथा सड़कों का विकास

५३५. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **योजना** मंत्री १० मार्च, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों की राष्ट्रीय राजपथों तथा सड़कों की विकास सम्बन्धी प्रस्थापनायें अब प्राप्त हो चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) दूसरी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथों तथा सड़कों की विकास सम्बन्धी प्रस्थापनायें सब राज्य सरकारों से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

५३६. **श्री सी० आर० नरसिंहन् :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में उन स्थानों में जहां अप्रयुक्त कच्चा लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है लोहे के छोटे पैमाने के उद्योग आरम्भ करने की संभावनाओं पर विचार किया है; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान भारतीय भूतत्वीय तथा धातुकार्मिक संस्था की मार्च १९४३ की त्रैमासिक पत्रिका, अंक १५ संख्या १, में प्रकाशित एक लेख की ओर आकर्षित किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) हां । लोहा उद्योग के छोटे पैमाने के संयंत्रों के संस्थापन में विशेष प्रविधियों को काम में लाने की आवश्यकता होती है और ऐसी प्रविधियों के प्रयोग की उपयुक्तता के सम्बन्ध में आवश्यक अनुसन्धान करने की एक योजना मंजूर की गई है ।

(ख) हां ।

विदेशों में प्रचार

५३७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में सरकार द्वारा कितनी राशि विदेशों में प्रचार-कार्य पर खर्च की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १९५४–५५ में विदेशों में किये गये प्रचार कार्य पर ४६,६१,५८६ रुपये व्यय हुए थे । १९५४–५५ के अनुपूरक लेखे में किये जाने वाले अग्रेतर समायोजनों के फलस्वरूप इस राशि में संशोधन किया जा सकता है ।

भाखड़ा नांगल परियोजना

५३८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना के द्वारा कितनी बंजर भूमि की सिंचाई की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : कुल ४८,३५,३०४ एकड़ बंजर भूमि को पहली बार नहरी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी ।

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति

५३९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं;

(ख) अब तक उनके लिये कितने रहने के मकान, क्वार्टर तथा दुकानें बनाई गई हैं; और

(ग) जुलाई, १९५५ के अन्त तक इन में से कितने मकान, क्वार्टर तथा दुकानें खाली पड़ी हुई थीं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ३,१२,७४२ ।

(ख) १५९२ एक कमरे वाले क्वार्टर, ९०४ मकान तथा १०७९ दुकानें तथा लकड़ी की बनी कोठरियां ।

(ग) २०७ एक कमरे वाले क्वार्टर, २१२ मकान तथा ५० दुकानें । यह जानकारी ३१-५-५५ तक की है ।

सामुदायिक परियोजनाएं तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड

५४०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में पंजाब में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खण्डों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : १५९ २८ लाख रुपये ।

प्रकाशन

५४१. **श्री गिडवानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रकाशन विभाग द्वारा कितनी पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) १९५३–५४ में उनमें से प्रत्येक के प्रकाशन पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ;

(ग) १९५३–५४ में प्रत्येक पत्रिका की बिक्री से कुल कितनी आय हुई; और

(घ) प्रत्येक पत्रिका पर होने वाली हानि को कम करने के लिये कौन से उपाय किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७]**

नेपाल में दुर्भिक्ष

५४२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में दुर्भिक्ष के कारण मार्च से मई १९५५ के बीच बहुत से नेपाली भारत आ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सरकार द्वारा क्या सुविधायें दी गई हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). हमें खबर मिली है कि मार्च, अप्रैल और मई १९५५ में नेपाल के रहने वाले कुछ देहाती भारत में आये । इसके लिये कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं, क्योंकि नेपालियों को भारत में आने के लिये कोई रोक टोक नहीं है । उन्हें कोई खास सुविधायें नहीं दी गई हैं ।

व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

५४३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में कितने व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों को भेजे गये; और

(ख) क्या उन्होंने भारतीय व्यापार के विकास के लिये कोई सुझाव दिये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तीन ।

(ख) हां ।

चिकन की कसीदेकारी

५४४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में चिकन के काम की कारीगरी और डिजायनों में सुधार करने के लिये एक केन्द्र खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो कुटीर उद्योग बोर्ड द्वारा इस केन्द्र को कितनी धनराशि अनुदानों या ऋणों के रूप में दी गई है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां ।

(ख) अनुदान के रूप में ७,६५० रुपये ।

चिकन की क़सीदेकारी

५४५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश का चिकन का काम अमरीका में लोकप्रिय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका से कितने मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या चिकन का यह काम देश के किसी और भाग में भी किया जाता है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां ।

(ख) दिसम्बर, १९५४ तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अमरीका से चिकन के काम के सामान के लिये ३२,५०० रुपये के आर्डर प्राप्त हुए थे ।

(ग) नहीं ।

नेपाल में भारतीय

५४६. **सेठ गोविन्द दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने भारतीय नेपाल सरकार की सेवा में हैं और कितने अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : नेपाल सरकार की नौकरी में लगे भारतीयों की कुल संख्या १०७ है । वे ज्यादातर डाक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर आदि पेशे के लोग हैं ।

नेपाल में दूसरे पेशों में लगे हुए भारतीयों के सही आंकड़े नहीं मिले हैं ।

मनीपुर का लोकनिर्माण विभाग

५४७. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर का लोक निर्माण विभाग दो विभागों में बांट दिया गया है और प्रत्येक विभाग को एक कार्यपालिका इंजीनियर के आधीन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कार्यपालिका इंजीनियर के आधीन कौन कौन से क्षेत्र और निर्माण कार्य हैं; और

(ग) उनमें से प्रत्येक का वेतन क्रम क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां ।

(ख) मनीपुर का लोक निर्माण विभाग मुख्य आयुक्त, मनीपुर के अधीन है । जो विस्तृत जानकारी मांगी गई है वह प्राप्य नहीं है परन्तु एकत्रित की जा रही है ।

(ग) एक अफ़सर २००–२००–२४० (पुष्टि)–२०–४००–ई० बी०–२५–६०० रुपये के वेतन क्रम में वेतन प्राप्त कर रहा है ।

दूसरे कार्यपालिका इंजीनियर की वेतन क्रम सम्बन्धी जानकारी, जो कि प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ है, एकत्रित की जा रही है ।

रूस में भारतीय

५४८. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस में इस समय भारतीयों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री तथा वंदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेडियो सेट

५४९. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५५ से भारत में कितने रेडियो सेट बनाये गये हैं;

(ख) उनके निर्माण पर कितना रुपया खर्च हुआ है; और

(ग) वे कितने मूल्य पर उपलब्ध हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) मई, १९५५ तक २८,४२८ सेट ।

(ख) यह जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सस्ते सेटों का मूल्य १५० रुपये है ।

चाणक्यपुरी

५५०. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राजनयिक मंडलों ने, जिन्होंने नई दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी में भूमि खंड खरीदे हैं, अपने भवन बना लिये हैं ;

(ख) कितने राजनियक मंडलों ने अभी तक भूमि खंड नहीं खरीदे हैं; और

(ग) राजनयिक मंडलों से अतिरिक्त कितने अन्य लोगों ने वहां भूमि खरीदी है और अपने निजी भवन बनवाये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पांच ।

(ख) अट्ठाईस ।

(ग) उनचास ।

पशमीना

५५१. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा इस वर्ष (जून के अन्त तक) पशमीने की कितनी मात्रा निर्यात की गई है और उसकी कितना कीमत मिली है; और

(ख) क्या इसके निर्यात की आज्ञा १९५५-५६ में भी दी जायेगी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १५,१५२ पौण्ड तो केवल पंजाब राज्य से ही निर्यात किया गया है । उसकी क़ीमत के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ३,५००मन लगभग (२८७,००० पौण्ड) पशमीने के निर्यात की आज्ञा इस वर्ष के लिये दे दी गई है ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

५५२. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर देने की अन्तिम योजना तैयार की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों को, जिनके पास पश्चिमी पाकिस्तान के देहातों में मकान,

दुकान अथवा भूमि थी, क्या सुविधायें दिये जाने का विचार है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तिम प्रतिकर योजना अन्तर्गत जो सुविधायें ग्रामीण दावेदारों के लिये उपबन्धित हैं वह विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ के नियमों ४४ से ६९ तथा नियम ९७ में उल्लिखित हैं । इन नियमों की प्रतियां १६ अगस्त, १९५५ को सभा पटल पर रखी गई थीं ।

विदेशों में भारतीय

५५३. **श्री मात्तन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले छै वर्षों में श्रीलंका, मलाया तथा पाकिस्तान में स्थानीय नागरिकता अर्जित की है; और

(ख) भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्थानीय नागरिकता के लिये आवेदन किया है किन्तु उसे अर्जित करने में असफल रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चलचित्र स्टुडियोज़ में हड़ताल

५५४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में हाल ही में विभिन्न स्टुडियोज़ में जूनियर साइन आर्टिट्स संस्था द्वारा आयोजित कोई हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे: और

(ग) क्या इस वर्ग के कर्मचारियों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होत है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). सरकार को बम्बई के विभिन्न स्टुडियोज़ में जूनियर साइन आर्टिस्ट्स संस्था द्वारा आयोजित किसी हड़ताल के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है । किन्तु यह समझा जाता है कि संस्था ने १० जून, १९५५ को एक "मांग दिवस" मनाया था, जबकि इन्होंने एक जलूस संगठित किया था और फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी मांगों की ओर दिलाने के लिये कतिपय स्टुडियोज़ के सामने प्रदर्शन किया था । उनकी मांगें थीं :—संगठन को मान्यता प्राप्त कराना, वेतनों का समय पर दिया जाना, वेतन क्रमों का पुनरीक्षण और स्टुडियो के कर्मचारियों की संस्था द्वारा समर्थित अभिकर्ताओं के द्वारा भर्ती ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

लेखन सामग्री

५५५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में केन्द्रीय लेखन सामग्री कार्यालय ने कितने प्रतिशत लेखन सामग्री स्थानीय रूप से खरीदी है तथा कितने प्रतिशत विदेशों से आयात की है;

(ख) स्थानीय क्रय तथा आयात किस प्रकार किया है; और

(ग) विदेशी सामग्री के क्रय में कमी करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कागज़ तथा अन्य लेखन सामग्री :—

भारत मे खरीदी गई	९८ प्रति शत
आयात की गई	२ प्रति शत

इन आंकड़ों में टाइपराइटर, डुप्लीकेटर आदि जैसी मशीनों की खरीद शामिल नहीं है ।

(ख) भारत में ख़रीदारी प्रतियोगिक टेन्डरों के आधार की जाती है । विदेशों में ख़रीदारी करने के लिये मांग इंडिया स्टोर डिपार्टमेन्ट, लन्दन या इन्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन को भेज दी जाती है ।

(ग) कोशिश यही रहती है कि जहां तक हो अपने देश में बनी हुई चीज़ें ही ख़रीदी जायें। केवल उन्हीं चीज़ों का आयात किया जाता है जो या तो उचित प्रकार की अथवा पूरी मात्रा में यहां नहीं मिल पाती हैं ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी वार्तायें

५५६. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में आकाशवाणी के देहाती कार्यक्रमों में अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध कितनी वार्तायें तथा गाने प्रसारित किये गये हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों ने इनमें भाग लिया; और

(ग) उन में हरिजन कितने थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि अखिल भारतीय रेडियो केन्द्रों में, कार्यक्रम में भाग लेने वालों की सूची जाति के हिसाब से नहीं रखी जाती है ।

एम० आर० ए० मिशन

५५७. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० आर० ए० का एक शिष्ट मंडल अमेरिकन सैनिक वायुयान में इस देश का दौरा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये सरकार से पहले आज्ञा ले ली गई थी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). जी हां । अमेरिकन राजदूतावास की ओर से असैनिक यात्रियों को ले जा रहे तीन अमेरिकन सैनिक वायुयानों को निकलने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में एक आवेदन प्राप्त हुआ था, और अनुमति दे दी गई थी । वायुयान श्रीलंका से आये थे तथा उन्हें मद्रास, कलकत्ता तथा नई दिल्ली हो कर कराची जाना था ।

हिन्दुस्तान गृह-निर्माण फ़ैक्टरी, लिमिटेड, दिल्ली

५५८. **श्री कामत :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान गृह-निर्माण फैक्टरी, लिमिटेड, दिल्ली पर उसके पूर्वनिर्मित गृह निर्माण फैक्टरी, १९४८ के रूप में उस के आरम्भ होने की तारीख से उसके संस्थापन तथा कार्यकरण पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) अभी तक निर्मित सामग्री की मात्रा अथवा कीमत क्या है ;

(ग) उसमें से कितनी जनता को अथवा सरकारी विभागों को बेची जा चुकी है; और

(घ) क्या सरकार उक्त फैक्टरी को अपने हाथ में लेना तथा इसे एक राज्य उपक्रम के रूप में चलाना चाहती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सरकारी पूर्वनिर्मित गृह-निर्माण फैक्टरी ने जिसे भारत सरकार ने १९५० में पूर्वनिर्मित गृहों के निर्माण के लिये स्थापित किया था, १ अप्रैल, १९५३ से काम करना बन्द कर दिया था । एक छोटा एकक थोड़े से

कर्मचारियों के साथ इन कार्यों की ओर ध्यान देने के लिये रख लिया गया है (१) अतिरेक भांडारों का उत्सर्जन, तथा (२) बकाया भुगतानों को अन्तिम रूप देने तथा लेखाओं हिसाब को बन्द करने आदि । सरकारी गृह-निर्माण फ़ैक्टरी पर १९५४–५५ के अन्त तक कुल व्यय ११०.८ लाख रुपये व्यय किया गया है ।

हिन्दुस्तान गृह निर्माण फ़ैक्टरी लिमिटेड, जनवरी, १९५३ में एक गैर-सरकारी लिमिटेड समवाय के रूप में निमित हुई थी । सरकार ने केवल ५०,००० रुपये के अतिरिक्त हिन्दुस्तान गृह निर्माण फ़ैक्टरी लिमिटेड पर कोई व्यय नहीं किया है, जो कि प्रार्थित पूंजी में सरकार का अंश है ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(घ) इस विषय पर विचार हो रहा है ।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

५५९. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित किया गया है; और

(ख) अभी और कितने विस्थापितों को वहां बसाया जाना शेष है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पैनिसिलीन

५६०. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश की पेनिसीलीन सम्बन्धी कुल वार्षिक आवश्यकता क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भेषजिक जांच समिति द्वारा देश में पेनिसिलीन की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान १६–१७ मिलियन मेगा युनिट लगाया गया है । विकास परिषद् (भेषजिक तथा औषध सम्बन्धी) की उप समिति के चालू प्राक्कलनों के अनुसार द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि तक पेनिसिलीन का उपभोग ४० मिलियन मेगा यूनिट प्रति वर्ष हो जाने की आशा है ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना

५६१. **श्री हेम राज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने की कौन कौन सी योजनायें भेजी हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): योजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४९]**

आवास स्थान

५६२. **श्री वीरस्वामी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के लोधी बस्ती उपनगर में सर्वथा पूर्ण क्वार्टरों को आवंटित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे किस आधार पर आवंटित किये गये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . लोधी बस्ती के सर्वथा पूर्ण क्वार्टर इस प्रकार के हैं :—

(१) "क" और "ख" प्रकार के फ्लैट;

और

(२) फ्लैटों के दो ब्लॉक जिन्हें एक कमरे वाली चैमरियों के स्थान पर सर्वथा पूर्ण एकक बना दिया गया है । यह समस्त निवास स्थान हकदार पदाधिकारियों को आवंटित किया जाने को है । आवंटन नई दिल्ली में की गई सेवा की वरिष्ठता के आधार पर किया गया है ।

सीमेंट के कारखाने

५६३. **डा० रामा राव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र में कितने नये सीमेंट के कारखाने स्थापित किये जाने की आज्ञा दी गई है;

(ख) वे कहां कहां स्थापित होंगे ;

(ग) उनमें कुल कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(घ) उनके मालिकों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) दो ।

(ख) करनूल ज़िले में पाव्यम क्षिप्त वन, जंगल, तथा गुन्टूर ज़िले मे मद्देरला ।

(ग) कुल पूंजी जिसके लगाये जाने का विचार है १ करोड़ रुपये है ।

(घ) मैसर्ज पाव्यम सीमेंट्स एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, पाव्यम, तथा मैसर्ज वी० रामकृष्ण सन्ज़ लिमिटड, मद्रास ।

लोक-सभा

मंगलवार,
२३ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

18/4/73
Chamber Fumigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3-4-92
Fumigated
On 11.7.83
Parliament Library

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर १९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का
प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-
वेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०
राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१
एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४
खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७
वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९
केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९
मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०
खान नियम १९५५ . . . . . २२४०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१
कशाघात उत्सादन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०
खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३
खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१
राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२,२४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२९

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . . . .

लोक सभा

मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

लोक सभा, ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोतर

(दखिये भाग १)

१२:०५ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(१) भारी रसायनों (अम्लों तथा उर्वरकों); (२) अन्तर्दहन इंजिनों और यंत्र चालित पम्पों; (३) साइकलों और (४) चीनी के सम्बंध में विकास परिषद् के प्रतिवेदन ।

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्तपात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारी रसायनों (अम्लों और उर्वरकों) के संबंध में विकास परिषद् का प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एस०—२६४।५५**]

(२) वर्ष १९५४—५५ के लिये अन्तर्दहन इंजिनों और यंत्र चालित पम्पों के सम्बंध में विकास परिषद् का प्रतिवेदन । [पुस्तकालय **में रखा गया। दखिये संख्या एस०—२६५।५५**]

(३) वर्ष १९५४—५५ के लिये साइकिलों के सम्बन्ध में विकास परिषद् का प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०—२६६।५५**]

(४) ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये चीनी के सम्बन्ध में विकास परिषद् का प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०—२६७।५५**]

काफी नियम

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ की भी एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—२६८।५५**]

रबड़ नियम

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ की एक प्रति, आप की अनुमति से, सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०—२६९।५५**]

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—**जारी**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा माननीय सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा कल रखे गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम, १९४९ को

[अध्यक्ष महोदय]

कुछ अग्रेतर अवधि के लिये चालू रखने के विधेयक पर विचार किया जाय ।"

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं लम्बा चौड़ा वक्तव्य नहीं देना चाहता । यह विधान सभा के सामने विचार करने के लिये बहुत बार आ चुका है । पिछली बार इस पर फरवरी १९५४ में चर्चा हुई थी । उस समय संसद् ने इस की अवधि को ३१ मई, १९५५ तक बढ़ाने का निश्चय किया था । वर्ष १९५३ के अन्त में इस कार्य की स्थति पर काफी ब्यौरे के साथ विचार किया गया था । बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था और सरकार की ओर से बहुत से आंकड़े सभा के सामने रखे गये थे । इस के पश्चात् मई १९५४ में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन पुनः प्राप्ति कार्य की स्थिति का अवलोकन करने के लिये हुआ । इन चर्चाओं के अन्त में एक समझौता हुआ और सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की । मैं दोनों सरकारों के बीच हुए करार के ब्यौरे में नहीं जाऊंगा पर, दो या तीन महत्वपूर्ण बातों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

निश्चयों को कार्यान्वित करने के उपायों पर दोनों सरकारें सहमत हो गयी थीं और करार में यह भी निश्चित किया गया कि इस कार्य के सम्बंध में दोनों सरकारें क्या रवैया अख्तयार करें । दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने अपहृत व्यक्तियों की पुनः प्राप्ति और प्रत्यर्पण के दृढ़ संकल्पों को फिर से पक्का किया । इस मानवीय कार्य को बढ़ाने के लिये यह निश्चय किया गया कि पुनःप्राप्ति और प्रत्यर्पण के काम की प्रगति और उस काम में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर समय समय पर विचार किया जाना चाहिये और इस काम के शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिये जोरदार उपाय करना चाहिये । इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर ऐसा वातावरण बनाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये जिस में अपहरण होने के बाद किसी स्त्री में पैदा हुई सभी भय ग्रन्थियां और विद्वेष दूर हो सकें और यह तभी संभव है जब पुनः प्राप्त व्यक्तियों को अपने भविष्य के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता पूर्वक सोचने का अवसर मिले । उसी समय यह भी तय हुआ कि दोनों देशों में यह पता लगाने के लिये कि कितना काम शेष है एक संयुक्त तथ्य अन्वेषण आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दोनों सरकारों ने सम्मिलित रूप से इस तथ्य अन्वेषण आयोग के कार्य की योजना और उस के संगठन का निश्चय किया । अनेक कारणों से यह तथ्य अन्वेषण आयोग काफी समय तक काम शुरू नहीं कर पाया । डिप्टी कमिश्नर की पद श्रेणी के पदाधिकारियों, जो इस काम में दोनों एच० पी० पदाधिकारियों को सहायता करने के लिये नियुक्त किये जाने वाले थे, के कर्मचारी वृन्दों के संबंध में चर्चायें हुईं । दोनों सरकारों द्वारा डिप्टी कमिश्नरों की नियुक्ति करने में काफी विलम्ब हुआ । जिस से आयोग की स्थापना में भी विलम्ब हुआ । फरवरी १९५५ में उन दोनों डिप्टी कमिश्नरों ने जो एच० पी० पदाधिकारियों की सहायता करने वाले थे, वास्तव में काम प्रारम्भ किया । यह तथ्य अन्वेषक आयोग पुनः प्राप्ति के काम को देख रही है और पिछले ४, ५ महीनों में उस ने बहुत से सरकारी और गैर-सरकारी साधनों से बहुत सी बातों का पता लगाया है । दोनों देशों के बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिन में महिलायें भी सम्मिलित हैं इस आयोग के सामने पुनः प्राप्ति संगठन के भविष्य स्वरूप के संबंध में तरह-तरह के दृष्टि-कोण उपस्थित किये और यह भी बताया कि

इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या सामान्य उपाय किया जाना चाहिये । तथ्य अन्वेषक आयोग का प्रतिवेदन दोनों सरकारों के पास इस मास के अन्त तक आने वाला है । ऐसे जटिल प्रकार के एक अन्तर्राष्ट्रीय मामले को ध्यान में रख कर, यदि इस प्रतिवेदन के आने में एक दो सप्ताह का विलम्ब हो जाये तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये ।

सिफारिशों पर विचार करने में कुछ समय लगेगा । यह एक ऐसा विषय है जिस पर कोई देश एक पक्षीय रूप से विचार नहीं कर सकता । इस कार्य को निबटाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त कार्य की अपेक्षा की गई थी । इसलिये इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने तथा विचार करने के उपरान्त भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठ कर आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा करनी होगी । इसी कारण इस अधिनियम की अवधि को एक अध्यादेश द्वारा नवम्बर के अन्त तक ६ महीने के लिये बढ़ा दिया गया था । जिस से कि तथ्य अन्वेषण आयोग इस प्रतिवेदन पर विचार कर सके । प्रतिवेदन के प्रकाश में सरकार को ज्ञात होगा कि समस्या के कितने अंश को अभी सुलझाना बाकी है तथा कार्य करने के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण होना चाहिये । कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। यथा क्या तत्पश्चात् कोई विधान बनाना आवश्यक है अथवा क्या यह सारा कार्य सामाजिक कार्य कर्त्ताओं द्वारा किया जा सकता है अथवा कोई ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये जिस में सरकारी अथवा गैर-सरकारी स्तर पर दोनों देशों के प्रतिनिधि हों। इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर उक्त बातों पर विचार करना होगा ।

दोनों सरकारों के बीच हुए करार में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। जो कि पुनः प्राप्त हुए व्यक्तियों की इच्छाओं का पता लगाने की प्रक्रिया से सम्बन्ध रखती हैं। इस प्रश्न पर सभा के विभिन्न पक्षों ने जोरदार भावना व्यक्त की थी तथा इस बात पर जोर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति उस की इच्छा के विरुद्ध दूसरे देश में न भेजा जाय । प्रधान मंत्री ने भी, सभा के समक्ष फरवरी १९५४ में, जब कि यह मामला चर्चा के लिये आया सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि किसी भी स्त्री को उस की इच्छा के विरुद्ध सीमा पार नहीं भेजा जायेगा, तथा अन्तिम रूप से पुनःप्राप्त नारी की इच्छा ही निर्णायक कारण होगी जिस के आधार पर उस को इस देश में मुक्त करने अथवा दूसरे देश में भेजने का निर्णय किया जायेगा। वस्तुतः इस बात पर दोनों सरकारें सहमत हैं, और इस सम्बन्ध में कार्य किये जाने की प्रक्रिया का भी निर्णय किया गया था । मैं इस सारे समझौते की भाषा नहीं पढ़ूंगा । लेकिन यह प्रक्रिया निश्चित की गई थी कि पुनः प्राप्ति के पश्चात् उस व्यक्ति की इच्छा जानी जायेगी यदि वह न जाना चाहे तो कुछ समय तक वह एक आश्रम में रखी जायेगी तत्पश्चात् यदि अपने पूर्व सम्बन्धियों से मिलने के पश्चात् भी वह न जाना चाहे तो उसे सीमा-पार नहीं भेजा जायेगा बल्कि मुक्त कर दिया जायेगा ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : यह करार कब किया गया ?

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ऐसा क्यों सोच रहे हैं। यह करार मई १९५४ में किया गया था । मैं आप को वह आंकड़े दूंगा जिस से कि आप को इस करार को क्रियान्वित करने से उत्पन्न हुई यथा तथ्य स्थिति ज्ञात हो जायेगी ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मई १९५५ में मैं ने प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया था लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिला ।

सरदार स्वर्ण सिंह: अच्छा होता यदि यह मामला मेरे ध्यान में लाया जाता, क्योंकि

[सरदार स्वर्ण सिंह]

इस मामले को प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री नहीं, बल्कि मैं निपटा रहा हूं। यदि माननीय सदस्य मुझे यह मामला दें तो मैं अब भी उस पर विचार करने को तैयार हूं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): यदि विलम्ब न हुआ तो मैं उस मामले को आज ही माननीय मंत्री जी के ध्यान में ला सकता हूं। एक स्त्री अपने चार बच्चों के साथ इस देश से बाहर निकाली जा रही है।

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से माननीय वकील सदस्य कुछ अधिक उदारता दिखायेंगे। क्योंकि पिछले वर्ष चर्चा के दौरान उन्हों ने स्वयं ही एक मामला उठाया था तथा मैं ने यह आश्वासन दिया था कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध बाहर नहीं भेजी जायेगी उस की इच्छा मालूम की गई और वह नहीं भेजी गई। इसलिये मुझे आशा थी कि वह इस विषय पर सहमत हो गये होंगे क्योंकि इस विशेष मामले में पिछले वर्ष फरवरी में, जब कि विधेयक सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, तो उन्हों ने काफी विरोध किया था। उस पर विचार किया गया तथा पर्याप्त चर्चा के पश्चात् यद्यपि इस के विरोध में भी जबरदस्त मत था, अन्त में यह ज्ञात हुआ कि वह स्त्री नहीं जाना चाहती है अतः वह मुक्त कर दी गयी।

मेरे माननीय मित्र श्री देशपांडे ने कहा कि उन्हें विपरीत अनुभव हुआ है। मैं आप को वर्ष १९५४ तथा जून १९५५ के अन्त तक पुनः प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बताऊंगा क्योंकि उस के पश्चात् के आंकड़े अधिक विश्वासनीय नहीं हैं। मैं आप को केवल विश्वासनीय आंकड़े ही दूंगा।

दिसम्बर १९५३ तक के आंकड़े पिछले वर्ष फरवरी में चर्चा के दौरान में दिये गये थे : १९५४ के दौरान २१११ व्यक्तियों को पुनः प्राप्त किया गया।

पहिली जनवरी १९५५ से ३० अप्रैल, १९५५ तक ४६५ एक मई १९५५ से ३० जून १९५५ तक २९१—ये आंकड़े भारत के पुनः प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के हैं। मुझे दुःख है कि ये आंकड़े पृथक पृथक देने पड़ रहे हैं क्योंकि अप्रैल १९५५ के अन्त तक इन आंकड़ों के सम्बन्ध में दोनों सरकारों की सहमति थी।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : पाकिस्तान के तत्स्थानी आंकड़े क्या हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि आप कुछ धैर्य रखेंगे तो मैं कोई बात नहीं छिपाऊंगा।

इस से जून १९५५ के अन्त तक पुनः प्राप्त व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। इन में से पाकिस्तान को भेजे गये व्यक्तियों की कुल संख्या वर्ष १९५४ में १,११४ थी। उक्त संख्या से हम संख्या को घटाने पर १००० बचा रहता है। यह उन व्यक्तियों की संख्या है जिन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा गया।

१९५५ के प्रथम चार महीनों में ४६५ पुनः प्राप्त व्यक्तियों में से २४९ पाकिस्तान में भेजे गये। तीसरे वर्ष २९१ में से ११९ पाकिस्तान भेजे गये।

पाकिस्तान के तत्सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं। १९५४ में कुल २४७ व्यक्तियों को पुनःप्राप्त किया गया। जिन में से १६० भारत लाये गये। पहिली जनवरी १९५५ से ३० जनवरी १९५५ तक १३० व्यक्तियों को पुनः प्राप्त किया गया। जिन में से ९९ भारत लाये गये। तीसरी अवधि में मई और जून के महीनों में ७९ व्यक्तियों को पाकिस्तान से पुनः प्राप्त किया गया, जिन में से ४९ व्यक्ति भारत लाये गये।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): अवशेष स्त्रियों का क्या हुआ ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस करार को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप उन में से अधिकांश को उसी देश में मुक्त कर दिया गया जहां कि उन्हें पुनः प्राप्त किया गया था। यदि वे सीमा पार करने को इच्छुक नहीं थीं तो या तो उन्हें पुनःप्राप्ति वाले देश में ही उन के सम्बन्धियों को दे दिया गया अथवा उन्हें अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने की अनुमति दे दी गई ।

मैं आप को इस वर्ष के जून, के अन्त तक के कुल आंकड़े दे सकता हूं जिस से आप को ज्ञात होगा कि जब से इस समस्या की व्यापकता का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है तब से इस संगठन के द्वारा इस क्षेत्र में पर्याप्त ठोस कार्य किया गया है ।

जून १९५५ के अन्त तक पुनः प्राप्ति के पश्चात् पाकिस्तान भेजे गये व्यक्तियों की संख्या २०६२३ है। पाकिस्तान से पुनःप्राप्त किये गये तथा भारत भेजे गये व्यक्तियों के तत्स्थानी संख्या ८९९२ है जो मोटे तौर पर ९००० के लगभग है। इस प्रकार इस संगठन के प्रयत्नों के फलस्वरूप लगभग तीस हजार व्यक्तियों को उन के परिवारों तथा सम्बन्धियों के पास भेजा गया तथा एक तरह से इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया गया। विभाजन के पश्चात् उत्पन्न हुई गड़बड़ के उपरान्त इस संगठन के कार्य द्वारा कुछ सान्तवना प्रदान की गई ।

मैं आप को ये आंकड़े इसलिये बताना चाहता था कि इस संगठन ने बहुत से मामलों और व्यक्तियों का निपटारा किया। इस विशाल समस्या के निपटारे में जिस में कि हजारों व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे--वस्तुतः तीस हजार व्यक्ति तो सीमा पार एक ओर से दूसरी ओर भेजे भी गये--यदि माननीय सदस्य को कुछ अथवा अधिक मामलों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हों तो इस में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति यह सब कर रहे हैं वे साधारण व्यक्ति ही तो हैं : उन में त्रुटियां हो सकती हैं। कभी कभी सूचना का सोत सही नहीं भी होता है तथा गलत व्यक्ति का पुनःप्राप्ति के सम्बन्ध में बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाती हैं। ऐसी ही सैंकड़ों प्रकार की बातें हो सकती हैं इसलिये मैं सभा से यह निवेदन करूंगा कि वह इस सारे संगठन तथा उस के कार्य के सम्बन्ध में इसलिये कठोरता से निर्णय न करे कि ये सब बातें वांछनीय ढंग से नहीं हुईं तथा उतने ऊंचे स्तर की नहीं हुई जितना कि यह सभा एक ऐसे संगठन से आशा करती है।

एक अन्य मामले में भी माननीय सदस्यों पिछले वर्ष जब कि यह मामला चर्चा के लिए लाया गया था बहुत रुचि दिखाई। यह दुःख समस्या बच्चों के सम्बन्ध में थी। प्रधान मंत्री ने फरवरी १९५४ में हस्तक्षेप के समय बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि बच्चों को अपने अपने देशों में वापिस भेजने की समस्या बहुत जटिल है। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि समय बीतने के साथ यह समस्या और भी जलिट होती जा रही है। किसी व्यक्ति का भी ऐसा सर्वमान्य दृष्टिकोण नहीं हो सकता जिस का विरोध नहीं किया जा सके। इस का कारण यह है कि इन मामलों को हुए आठ वर्ष हो गये हैं। इस समय के दौरान कई बातें हुई, नये सम्बन्धों से बच्चे पैदा हुए । अब उन बच्चों का क्या किया जाय? प्रधान मंत्री ने कहा है कि बच्चों का मामला निपटाने में बच्चों के भविष्य तथा उन के कल्याण पर ही विचार किया जायेगा । स्थिति इतनी सरल नहीं है। एक ओर तो आप को यह देखना है कि एक निर्दोष स्त्री परिस्थितियों के कुचक्र में अथवा किसी गुंडे के जाल में फंस जाती है तथा अपने को असहाय स्थिति में पाती है। कई मामलों में वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

ऐसे मामले में उस नारी को स्वतन्त्र होने का अवसर होना चाहिये । इस प्रकार स्वतन्त्र होने तथा अपने पूर्व सम्बन्धियों से मिलने पर उस से अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति होनी चाहिये । अथवा ऐसी भी एक स्थिति आ सकती है जब हम इन स्त्रियों का मामला ही समाप्त कर सकते हैं, चाहे वे भारत में हों अथवा पाकिस्तान में, तथा इस धारणा से सन्तुष्ट रह सकते हैं कि समय बीतने के साथ अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अब हमें उन्हें उन के भाग्य पर छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार की अत्यंत जटिल सामाजिक समस्य के बारे में कई प्रकार के मत हो सकते हैं और वस्तुतः व्यक्तिगत रूप से मैं इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा प्रगट किये गये मतों के अनुसार कार्य करना पसन्द करूंगा ।

किन्तु इस से एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि यह सब ऐसी परिस्थिति में हुआ जिस पर उन बेचारी महिलाओं का कोई बस न था। समाज उन को मात्र संपत्ति समझ कर और उन्हें उन के भाग पर छोड़ कर उन से न्याय नहीं करेगा, वरन् समाज को कोई ऐसी प्रणाली ढूंढ़ निकालनी चाहिये जिस से ये स्त्रियां भय के वातावरण और भयग्रंथियों से निकल कर बाहर के निर्बाध वातावरण में अपना मत प्रकट कर सकें और यह भी बता सकें कि क्या करना चाहती हैं ।

बच्चों के सम्बन्ध में दोनों ओर से अर्थात् सरकारी और शासकीय स्तर पर इस बात की कार्यवाही की गई है कि उन का भविष्य बिगड़ न जाये और फिर से बसाने के लिये वास्तव में कोई काम किया जाय। इस बात के लिये इस के सिवा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि उन में से किसी भी स्त्री से पूछा जाय कि यदि वह वापिस जाना चाहती है तो उस के बच्चों के सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये। यदि वह कहती है कि मैं सारे बच्चे, दो में से एक अथवा तीन में से दो बच्चे लेना चाहती हूं तो ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य उस की इच्छा पर निर्भर होगा । मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी तर्कहीन या अयुक्तियुक्त बात नहीं । कुछ भी हो, माता की इच्छायें बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित में अच्छा मार्ग ही दिखा सकती है । और यदि हम इस आधार पर काम करें तो हमारा यह पूर्वानुमान तर्कहीन या अयुक्तियुक्त नहीं होगा ।

जो बच्चे पीछे रह गये हैं, वे प्रायः अपहर्ता कहे जाने वाले पिताओं की देखभाल में रहते हैं--यह एक ऐसा काम है जिसे मैं पसन्द नहीं करता- किन्तु, वास्तव में विभाजन की भीषण घटनाओं से हमें यही चीज मिली है, और ऐसे व्यक्ति को और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। यदि अपहर्ता पिता हर बच्चे में कोई रुचि नहीं लेता, तो उन बच्चों को शिशु गृहों में रखा जाता है ।

मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा जिनसे यह पत चलेगा कि इस वरण को किस प्रकार काम लाया गया है, और इन बच्चों के सम्बन्ध में क्या हुआ है। अपहरण के पश्चात् पैदा हुए ये बच्चे जो उनकी माताओं द्वारा पाकिस्तान ले जाय गए वर्ष १९५४ में १६३ थे जब कि भारत में छोड़ दिए गए ऐसे बच्चों की संख्या ५७८ थी। १९५५ के प्रथम चार महीनों में यानी १ जनवरी से ३० अप्रैल तक, अपनी माताओं द्वारा पाकिस्तान ले जाए गए बच्चों की संख्या ३६ थी जब कि भारत में छोड़ दिये गए बच्चों की संख्या १४८ थी। मई और जून १९५५ में २३ बच्चे पाकिस्तान ले जाय गय जब कि ३९ बच्चे भारत में छोड़ दिए गये। जिस अवधि के आंकड़े प्राप्य हैं, उस में जोड़ के अनुसार स्थिति इस प्रकार है कि ४६१ बच्चे उन की अपनी माताओं द्वारा पाकिस्तान ले जाये गये और १२७१ भारत में ही छोड़ दिये गये

अब जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है २२ बच्चे उन की अपनी माताओं द्वारा भारत लाये गये और १७ पीछे छोड़ दिये गये। १९५५ के प्रथम चार महीनों में १० बच्चे लाये गये और १७ पीछे छोड़ दिये गये। मई और जून १९५५ में १८ बच्चे लाये गये और दो पीछे छोड़ दिये गये।

एक और बात यह भी है जिस के सम्बन्ध में इस सभा के माननीय सदस्यों ने बहुत रुचि प्रकट की है। और वह है भारत–पाकिस्तान न्यायाधिकरण के काम करने के सम्बन्ध में। यह न्यायाधिकरण उन स्त्रियों के मामलों क निर्णय करता है जो पुनःप्राप्ति के बाद किसी अन्य देश कों नहीं जाना चाहतीं। बल्कि उस देश में रहना चाहती हैं जहां से वे प्राप्त हुई हैं। इस न्यायाधिकरण की दो बातों का निर्णय करना पड़ता है। प्रथम, कि क्या पुनः प्राप्त व्यक्ति अपहृत ह और दूसरे कि क्या उस को दूसरे देश में भेजना है।

मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा जिन से यह स्पष्ट होगा कि इस संयुक्त भारत-पाकिस्तान न्यायाधिकरण के काम का क्या परिणाम निकला है और मई १९५४ में किये गये निर्णय की कार्यान्विति में इन मामलों का निर्णय किस प्रकार हुआ है। मेरे पास १ अप्रैल, १९५४ से ३० जून १९५५ तक के आंकड़े हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : इन आंकड़ों को पहले ही परिचालित क्यों नहीं किया गया ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं यहीं पर आंकड़े बता रहा हूं अतः परिचालन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री एस० एस० मोरे : इतनी देर बाद और वह भी सभा में इन आंकड़ों से हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इस से धोखा लग सकता है।

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में यह आंकड़े जोड़ने का प्रश्न है जो मैं सभा में आप के सामने कर रहा हूं। ये सभी आंकड़े मुद्रित वाद-विवाद खंडों में छपे हैं। समय-समय पर जो प्रश्न पूछे गये थे उन के उत्तर में ये आंकड़े दिये गये थे।

श्री एस० एस० मोरे : तो हम इस में गवेषणा करनी है। यही बात है ना ?

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य के पिछली बार भी यही बात कही थी। किन्तु मैंने यही ठीक समझा कि वाद-विवाद खण्डों में इन को सम्मिलित किया जाय और यदि माननीय सदस्यों की नज़र से यह बात छूट गई हो तो मेरे विचार में इन का सभा में बताया जाना अधिक श्रेयस्कर और लाभप्रद है।

श्री एस० एस० मोरे : वास्तव में यह अच्छी बात है।

सरदार स्वर्ण सिंह : इतना श्रम मैं माननीय सदस्यों के लिये ही कर रहा हूं क्योंकि वे इस प्रकार की गवेषणा से बचना चाहते हैं। मेरे पास अप्रैल १९५४ से जून १९५५ तक के आंकड़े हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : ये क्या आंकड़े हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि विदेशों से लौटने के बाद माननीय सदस्य चाहते हैं कि .....

श्री एन० सी० चटर्जी : किस अवधि के आंकड़े आप के पास हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अप्रैल १९५४ से जून १९५५ तक के।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो पुनःप्राप्त व्यक्तियों में से नहीं हैं।

श्री एस० एस० मोर : वह कुछ समय के लिए अपहृत किये गये थे।

सरदार स्वर्ण सिंह : उन्हें पुनःप्राप्त नहीं किया गया न तो खोजा गया।

इन १५ महीनों में भारत-पाकिस्तान न्यायाधिकरण द्वारा किये गये इस कार्य में पुनः प्राप्त मुसलमानों की कुल संख्या ९३२ थी ।

पडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : हर एक मामला न्यायाधिकरण ही निबटाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : पुनः प्राप्त होने के बाद यदि अमुक स्त्री यह कहती है कि मैं तत्काल जाना चाहती हूं तो उस का मामला न्यायाधिकरण को सौंपना आवश्यक नहीं है। ऐसे मामलों की संख्या ९३२ है और इन से १९२४ व्यक्ति संबंधित हैं। महिलाओं के साथ साथ बच्चों का पता भी लगता है इसलिये संख्या और भी अधिक है। इन में से ९८५ व्यक्ति पाकिस्तान भेजे गये और ९३९ उन के उन सम्बन्धियों को वापस कर दिये गये जो कि भारत में थे। इस का तात्पर्य है कि जितने व्यक्तियों का पता लगाया गया उन में से आधे सीमा पर नहीं भेजे गये। इस लिय यह कहना गलत है कि जैसे ही किसी व्यक्ति का पता लगता है उस को बिना सोचे विचारे सीमा पार भेज ही दिया जाता है ।

पडित ठाकुर दास भार्गव : जितने लोगों का पता लगाया उन में से कितनों ने यहीं रहने की इच्छा प्रकट की ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इन ९३२ में से १७३ ने यही पर रहने की इच्छा प्रकट की और उन को यहीं रहने दिया गया। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है कुल मामले २१४ थे जिन से ३६८ गैर-मुस्लिम व्यक्ति संबंधित थे। इन में से वह लोग जो पाकिस्तान में निवास करने वाले संबंधियों को दे दिय गये उन की संख्या २३ थी और बच्चों की संख्या लगभग ८३ थी। प्रतिशतता प्रायः एक जैसी ही रही है ।

यह मैं पहले भी बता चुका हूं कि बच्चों के सम्बन्ध में जो भी विनिश्चय किये गये हैं उस में उन की माताओं की इच्छा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और यदि माता ने बच्चे को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की है तो हम ने हस्तक्षेप नहीं किया है ।

एक करार में यह उपबन्ध भी बनाया गया था कि न्यायाधिकरण के विनिश्चय से जिन को असंतोष हो उन्हें सरकार के सामने अपील करने का अधिकार होगा। इन अपीलों की सुनवाई का कोई भी ऐसा ढ़ंग नहीं है जैसे कोई न्यायाधिकरण बनाया गया हो या कोई विशेष अफसर इस के लिये नियुक्त किया गया हो और जिस के सामने विस्तृत बहसें होती हों। साधारणतया लोग न्यायाधिकरण के कार्यकरण से संतुष्ट हैं इसलिये अपीलों की संख्या बहुत कम है। जो अपील की जाती हैं उन पर मंत्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है और विनिश्चय स्वयं मंत्री द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा ४३ मामलों में विमुक्ति के आदेश जारी किये गये हैं इन से संबंध रखने वाले बच्चों की संख्या ८६ है इसी प्रकार पाकिस्तान सरकार ने ३ महिलाओं के संबंध में विमुक्ति आदेश जारी किये हैं और इन से सम्बन्ध रखने वाले बच्चों की संख्या ५ है। २० अगस्त, १९५५ को तीन मामले भारत सरकार के समक्ष और आठ मामले पाकिस्तान सरकार के समक्ष विचाराधीन थे ।

तथ्य अन्वेषण आयोग का काम अभी जारी है। लगभग दो सप्ताह के बाद उस का प्रतिवेदन तयार हो जायेगा। सारे विषय पर फिर से विचार किया जायेगा और शेष मामलों के के विषय में क्या किया जाये इस के सम्बन्ध में कुछ न कुछ विनिश्चय किया जायगा। दोनों देशों में अभी लगभग चार पांच हजार

ऐसे मामले हैं जिन के सम्बन्ध में अन्तिम अनुसन्धान किये जाने को हैं क्योंकि इन के सम्बन्ध में अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति की खोज करनी है वह मर गया है या वह जीवित है। यह बताना कठिन है कि ऐसे मामलों की ठीक ठीक संख्या कितनी है क्योंकि कभी कभी एक ही परिवार के अनेक सदस्यों ने अनेक अभिकरणों में अपनी अपनी शिकायतें लिखाई हैं। इन में से लगभग २५०० से कुछ कम मामले भारत के हैं और २५०० से कुछ अधिक पाकिस्तान के हैं। सीमा पार कर के जाने वालों की संख्या लगभग ३०,००० होगी। इस का मतलब है कि जितने मामलों का अनुसन्धान किया गया है उन की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि बहुत से मामलों म या तो पता नहीं लग सका है या यह पता लगा है कि वह व्यक्ति मर चुका है या उस का पता नहीं लग सकता है।

जैसा कि ऐसे मामलों में आम तौर से होता है हम ने इस मामले में राजनैतिक विचारों से काम नहीं लिया है वरन् मानवता के आधार पर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया है। मैं जानता हूं कि आलोचना करने वाले कहते हैं कि हम ने जितने व्यक्तियों को खोज कर पाकिस्तान भजा है, पाकिस्तान ने केवल उस के आधे व्यक्तियों को खोज कर भारत भेजा है। इस के सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं परन्तु इस संगठन का संचालन इस प्रकार से किया जा रहा है जिस से कि कोई यह नहीं कह सकता है कि किसी को उस की इच्छा के विरुद्ध निकाला जा रहा है? फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी प्रकार के सुझाव देना चाहते हों तो मैं उन के सूझावों का स्वागत करूंगा। तथ्य अन्वेषण आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद हो सकता है कि इस विषय पर और अधिक विचार किया जाये और यह भी निश्चित किया जाये कि यह कार्य सामाजिक कार्य के रूप में किया जाये या सरकारी कार्यप्रणाली का अंग रहे।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस के लिये कुल तीन घण्टे का समय रखा गया था जिस में से माननीय मंत्री ५१ मिनट का समय ले चुके हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): इस संगठन के जारी रखे जाने के सम्बन्ध में दो मत हैं। एक यह है कि यह कार्य आठ वर्ष से किया जा रहा है और इतना समय बीत जाने के बाद भी अपहृत स्त्रियों की खोज करते रहना वांछनीय नहीं है। दूसरा मत यह है कि जब तक एक भी स्त्री ऐसी है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध अपहृता द्वारा बलात रखी जा रही है तब तक हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि हम उस स्त्री की खोज करें और उस को वापस लाने का प्रयत्न करें। पाकिस्तान की बनिस्बत भारत में ऐसी स्त्रियों का अधिक संख्या में खोज निकाला जाना स्वाभाविक रूप से एक ऐसी बात है जिस से कि हमें दुःख होता है कि हमारे देश की स्त्रियों की वहां खोज नहीं की जा रही है। इसलिये हमें इस अवसर पर पूरे प्रशासनिक संगठन के सम्बन्ध में तथा इस विषय से सम्बन्ध रखन वाली नीति पर विचार करना चाहिये। यह ठीक है कि इस कार्य को करने के लिये जो विभाग होगा वह अस्थायी ही होगा परन्तु मैं इस संगठन की अवधि को थोड़े थोड़े समय के लिये बढ़ाने की सरकार की नीति के पक्ष में नहीं हूं। इस विधयक के द्वारा हम, इस संगठन की अवधि को केवल कुछ मास के लिये बढ़ा रहे हैं। जब इस संगठन में काम करने वालों को यह पता तक नहीं है कि उन की नौकरी कितने दिन रहेगी तो यह स्वाभाविक है कि वे जी जान से काम नहीं करेंगे। जब अवधि थोड़े थोड़े समय तक के लिये बढ़ाई जाती है

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

तो इस से अदक्षता बढ़ती ही है। इसी का एक और पहलू यह भी है कि यदि अपहृताओं को यह विश्वास हो जायेगा कि कुछ समय बाद यह कार्य बन्द कर दिया जायेगा तो उन को इस बात के लिये प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अन्तिम तिथि तक ऐसी स्त्रियों को छिपा कर रखें। इस से स्त्रियों के खोज का कार्य और कठिन हो जायेगा क्योंकि अपहृता उन स्त्रियों को और अधिक छिपाकर रखने के प्रयत्न करेंगे। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं वे यह भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि इस अधिनियम की अवधि और भी बढ़ा दी जाये। इसलिये हमें ठीक से अनुमान कर लेना चाहिये कि इस काम को पूरा करने में हमें कितना समय लगेगा, उस के बाद हम समय निर्धारित करें और समय के भीतर काम को समाप्त करने का प्रयत्न करें।

जहां तक नीति का सम्बन्ध है जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा उसे सुन कर मुझे प्रसन्नता हुई है। अब यह सोचने का समय आ गया है कि क्या आठ वर्ष के बाद स्त्रियों की खोज करना वास्तव में वांछनीय है। श्री देशपांडे और श्री द्विवेदी ने कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिन में इस खोज के कारण वास्तव में बड़े अनर्थ हुए हैं। मैं भी ऐसे मामलों का पता दूं।

जब विभाजन हुआ ही था तो मैं जालन्धर गई थी और मैं ने वहां देखा था कि एक विधवा मुस्लिम स्त्री को जो सिख हो गई थी, बरामद कर के जालन्धर कैम्प में रखा गया। वह स्त्री कहती थी कि, "मेरा पाकिस्तान में कोई नहीं है और मैं वहां नहीं जाना चाहती, मैं विधवा हूं और यहीं रहना चाहती हूं। परन्तु अपने समझौते के अनुसार हमें उसे पाकिस्तान भेज देना पड़ा। ऐसे और भी अनेकों उदाहरण हैं कि जहां परिवारों के परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया और फिर भी उन की स्त्रियों को पाकिस्तान भेजा गया जब कि उन के परिवारों के पुरुष यहीं पर थे मैं ने देखा कि उन के आदमी तार के घेरे में बाहर खड़े निस्सहाय अवस्था में अपनी स्त्रियों को देखते थे। हमारा पाकिस्तान सरकार से समझौता ही ऐसा था कि हमें उन्हें आवश्यक रूप से भेजना पड़ता था। एक ऐसा मामला मुझे बताया गया था। उस समय श्री गोपालस्वामी आयंगार इस कार्य के प्रभारी थे --मैंने उन्हें इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में भी बाताया था। मुझे नहीं मालूम कि अब इस नीति में परिवर्तन किया गया है अथवा नहीं किन्तु इन सब से यह सिद्ध होता है है कि इस नीति में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

बरामदगी या पुनः प्राप्ति की जो समस्या है यह एक बहुत नाजुक समस्या है। हमें इस बात पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। इसके लिए कोई कठोर नियम बनाने की जरूरत नहीं प्रत्येक मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि कोई स्त्री जाना नहीं चाहती है तो वह उसे अपहर्ता के पास ही भेज देने की नीति का पालन करते हैं। इसलिए इस नीति में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

इस कार्य को पूरा करने में सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्कता है।

माननीय मंत्री ने हमें बताया कि १९५४ में यह निर्णय किया था कि एक तो तथ्य अन्वेषण समिति बनाई जाये और दूसरे महिला निकेतन खोले जायें जिस में स्त्रियां रहें और अपने सम्बन्धियों से मिल कर यह निर्णय करे कि क्या वह पाकिस्तान जाना चाहती है अथवा यहीं रहना चाहती हैं। किन्तु दोनों काम ठीक ढ़ंग से नहीं हो रहे हैं यह

निर्णय मई १९५४ में किये गये थे । किन्तु मंत्री महोदय ने हमें बताया कि तथ्य अन्वेषण कार्य सम्बन्धी व्यवस्था मई १९५५ तक नहीं हुई थी फिर एक उपआयुक्त इस कार्य को करने के लिये नियुक्त किया गया था इसलिये मैं जानना चाहती हूं कि अब तक उसने कितना काम किया है ?

दूसरा निर्णय विशेष महिला निकेतनों के खोले जाने के बारे में था । यह भी पूरे साल भर के बाद ही खोले गये हैं । पाकिस्तान में तो अब तक एक भी नहीं खुला है । मैं इस सम्बन्ध में किये गये विलम्ब का कारण भी जानना चाहती हूं । जिस निकाय को कार्य के शीघ्रता से किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव देने थे, वह निकाय स्वयं ही साल भर के पीछे बना मैं सरकार से यह भी पूछना चाहती हूं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को महिला निकेतन खोलने के सम्बन्ध में बाध्य करने के लिये क्या कार्यवाही की है? वास्तव में पहले इस कार्य के साथ एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सम्बन्धित थी और काम ठीक तरह चलता रहा किन्तु अब वह नहीं है वह एक प्रभावशाली महिला थीं और ठीक ढ़ंग से काम कर सकती थीं । यदि सरकार किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व देती है तो उसे अधिकार भी दिये जाने चाहियें ताकि वह कार्य को प्रभावपूर्ण ढ़ंग से कर सके । उस के पास कोई अधिकार नहीं था । किन्तु अब जो महिला इस कार्य की प्रभारी हैं उन का वैसा प्रभाव नहीं है इसलिये कार्य में हानि हो रही है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में उस सामाजिक कार्यकर्ता का कोई उत्तराधिकारी नहीं है—यदि कोई उत्तराधिकारी है तो मेरे विचार से वह मैं हूं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : यदि आप उत्तराधिकारी हैं तो आप को अपने मंत्रालय से सम्बन्ध विच्छेद करना होगा तथा इसी की ओर ध्यान देना होगा। यह विभाग एक आपात विभाग है । बहुत सी बातें इसमें करनी पड़ती हैं । यदि कोई लाई जाने वाली गर्भवती हो तो उसे अस्पताल में तुरन्त दाखिल कराना चाहिये । किन्तु यदि लाने वालों को ऐसा कराने का अधिकार न हो तो उसे लिखा पढ़ी करनी पड़ती है फिर लाल फीताशाही के कारण बहुत समय लग जाता है और इसी बीच स्त्री की हालत खराब हो जाती है ।

इसलिये आप को यह निर्णय करना चाहिये कि क्या आप इस काम को जारी रखना चाहते हैं? यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो इस समस्त नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये तथा जिम्मेदार व्यक्ति को पूरे अधिकार दिये जायें ताकि काम प्रभावपूर्ण ढ़ंग से चल सके ।

अब मैं कुछ बातें न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के बारे में कहूंगी । पहले ट्रिब्यूनल में सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे किन्तु अब पता लगा है कि उन्हें भी न्यायाधिकरण में रखा गया है । यदि ट्रिब्यूनल के निर्णय की अपील एक मंत्री से की जाती है तो इसका मतलब यह है कि वह सीधी मंत्री के पास न जा कर पहले अवर सचिव के पास फिर उप-सचिव तथा अन्य सचिव के पास जायेगी ।

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में समझौते के अधीन यह सरकार को करना होता है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैं इस बात को समझती हूं । इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि यदि अपील सामान्य रूप से किया जाता है तो इस का निपटारा शीघ्र नहीं हो सकता। मंत्री को स्वयं यह कार्यवाही करनी चाहिये । यदि वह चाहे तो वह वैधानिक ज्ञान रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपना सहयोगी बना लें। दूसरे ट्रिब्यूनल को ब्यौरों में नहीं जाना चाहिये । या तो इस तरीके को

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

ठीक ढंग पर चलाया जाये अथवा इसे बन्द कर दिया जाये ।

यह निकाय वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन है और इसका काम निर्माण, आवास और संभरण मंत्री कर रहे हैं ।

क्या यह काम एक ही मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है ? यदि ऐसी ही स्थिति रही तो प्राकृतिक रूप से विलम्ब होता रहेगा। जितने अधिक इस के स्वामी होंगे उतना ही काम खराब होगा । मैं यह सुझाव देती हूं कि इस मामले पर विचार करने के लिये कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे हो तथा यह विभाग कितनी देर तक रहे आदि, संसद सदस्यों तथा सामाजिक कार्य कर्ताओं की एक समिति बनाई जाये ।

सरदार इकबाल सिंह (फाज़िल्का-सिरसा) : सब से पहले अगर इस बिल की तारीफ को देखा जाय जब से कि यह शुरू हुआ है तो पता चलेगा कि पहले आर्डिनेंस आता है, फिर बिल आता है, फिर दोबारा बिल आता है, फिर आर्डिनेंस आता है, फिर बिल आता इस के बाद बिल लैप्स हो जाता है और आज फिर बिल आया है। जिस मैशीनरी का यह हाल हो और जिस मशीनरी के नीचे काम करने वालों का यह ख्याल हो कि मालूम नहीं कितने दिन तक यह आर्डीनेंस चले और उस के बाद पता नहीं किस शक्ल में बिल आये, वह मैशीनरी और उस के नीचे काम करने वाले किस तहर से ठीक ठीक काम कर सकते हैं ? मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने पहिले ही दिन से इस को इस ढ़ंग से लिया होता कि यह काम ६, ७ साल तक या ९, १० साल तक करना है तो ज्यादा बेहतर काम हो पाता क्योंकि जो काम करने वाले हैं अगर उन को यह मालूम हो कि कितने दिन में उनका यह काम पूरा कर देना है तो वह ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं । यह बड़ा मुश्किल काम है और आदमी की खोज करने फिर दूसरे देश में जा कर बरामद करने और उसको ठीक जगह पर पहुंचाने में काफी वक्त की जरूरत है । यह बिल पहले आर्डिनेंस की सूरत में आया उसी आर्डिनेंस का आज हम ३० नवम्बर, १९५५ तक के लिये बिल की शक्ल में ले आये हैं यह ठीक है कि एक फैक्ट फाइन्डिग कमिशन बना है, उस के फैसले के बाद हो सकता है कि किसी नई शक्ल का बिल आये या इस बिल की ही शक्ल को बदल कर दुबारा पेश किया जाय, लेकिन अगर आप यह समझते है कि इस ढंग से हमारा काम चल जायेगा, तो इस से यह बेहतर होता कि इस चीज को शुरू से ही रख कर, इस चीज को एक शक्ल दे कर साल ब साल एक रफ्तार से काम चलाया जाय, और कुदरती तौर पर इस के नतीजे अच्छे निकलते।

इस बारे में ज्यादा न कहते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के पीछे सबसे पहले एक इन्सानियत का जज़बा है, उस के बाद कुछ हमारे फैसले हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दर्म्यान हुए हैं कि हर उस आदमी को जो अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ स देश में या उस देश में रह गया हो, बरामद करना है दूसरे जब तक एक भी बहन इस तरफ या उस तरफ रह गई है, उस वक्त तक यह काम चालू रहना चाहिये । अगर आप यह समझें कि यह वक्त की बात है, यानी आठ साल हो गये. अब इस काम को करने की शायद जरूरत नहीं, अब इस काम को उस जज़बे के साथ करने की जरूरत नहीं जिस के साथ पहले किया जाता था तो मैं समझता हूं कि यह उसी तरह होगा जैसे कि आठ साल तक एक आदमी कैद में रहे और उस के बाद आप यह सोचें कि चूंकि यह आदमी आठ साल तक कैद में रह चुका है और जेल का आदी हो गया

है, इसलिये इस को जेल से छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज को जायज नहीं समझते हैं तो फिर इन बहनों के मामले में आप इस को कैसे जायज समझ सकते हैं? अगर एक बहन को उसके ख्यालात और जज़्बात के खिलाफ एक आदमी उठा कर ले गया और आठ साल तक वह उस के कब्जे में रही उस के बाद आप यह समझें कि अब उस बहन को उस के हाल पर छोड़ देना है तो यह उस कैदी की मिसाल के ही मुताबिक होगा।

सब से बड़ी चीज़ यह है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना है उस के नीचे जो आदमी काम करते हैं उन को बड़ी मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है फिर भी उन को यह समझना चाहिये उन का यह एखलाकी फर्ज है कि जो बहनें इस तरफ रह गई हैं उन को उस तरफ भेजना है और जो उस तरफ रह गई हैं उन को इधर लाना है। हालांकि इस देश के वायुमंडल में इस समय ऐसे ख्यालात भी चलते हैं जिस में कि लोग इधर की औरतों को उधर भेजना नहीं चाहते, लेकिन उधर से लाना चाहते हैं। मगर अगर हम भेज नहीं सकते तो कुदरती चीज है कि हम उधर से लाने के भी हकदार नहीं हो सकते। यह ठीक है कि इस तरफ से ज्यादा बहनें उधर चली गई हैं और उधर से बहुत कम आई हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को सोचें और इंसानियत के ढ़ंग से सोचें और इस पर ध्यान न दें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है तो आगे चल कर पाकिस्तान के इखलाकी जज़बात भी ज्यादा मजबूत होंगे, जैसे कि आज हिन्दुस्तान के हैं। मैं यह आशा करता हूं कि हम अपने इखलाक के साथ, हिम्मत के साथ, अपने काम को चालू रखेंगे और कुदरती तौर पर हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान वालों को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आप ने यह देखा होगा, और जो फैक्ट्स हमारे सामने रक्खे गये उन से भी पता चलता है, कि इस तरफ से जितनी बहनें गई और उस तरफ से जितनी बहनें आई उन में पहले बहुत ज्यादा फर्क था और आज एक दो का ही फर्क रह गया है। लेकिन इस बात को मैं छोड़ता हूं। असली सवाल यह है कि जब तक एक भी बहन इस तरफ या उस तरफ है उस वक्त तक यह हमारा इखलाकी फर्ज है कि हम इस डिपार्टमेंट को अपना पूरा सहयोग देकर, इसको पूरी ताकत बक्खश कर चलायें। सब से ज्यादा जो मुशकिल काम है वह यह है कि इस चीज का किस तरह से फैसला किया जाये कि कोई बहन इस तरफ रहना चाहती है या उस तरफ जाना चाहती है। इस चीज का फैसला करना और भी ज्यादा मुशकिल हो जाता है जब हम उन हालात को देखते हैं जिन हालात में कि वे रहती हैं या उन के रखे जाने का ख्याल होता है। यह एक इन्सानी मसला है और इस को कोई सेट रूल्ज बना कर हल नहीं कर सकते। जिन हालात में वह रहती हैं उन हालात के असरात से अपने ख्यालात भी वह बदल सकती हैं। इस वास्ते आप इस मसले को हल करने के लिये कोई खास रूल्ज नहीं बना सकते या यह नहीं कह सकते कि इतने परसेंट ज़रूर छोड़ दी जायें या इतने परसेंट को उधर भज दिया जाय या इधर रख लिया जाय। आप यह नहीं कर सकते हैं। आप को हर एक केस को इन्सानी पहलू से देखना होगा। आप को देखना होगा कि किन हालात में से गुजर कर वह आई है; किन हालात में वह रखी गई हैं; किन हालात के उस पर असरात हुए हैं और इन सब चीजों को देखने के बाद आप को किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। यह एक खासा मुशिकल काम है। इस चीज को जो लोग जज करते हैं और खास तौर पर जो आपने ट्रीब्यूनल इस काम के लिये बनाया है उनपर इस चीज को देखने और सही फैसले पर पहुंचने की बड़ी जिम्मेवारी आती है। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस ट्रीब्यूनल के

[सरदार इकबाल सिंह]

फैसले के खिलाफ जो अपील हो वह अपील आम अपीलों की तरह नहीं सुनी जानी चाहिये उस को किसी आम रुटीन ढंग से नहीं हैंडल करना चाहिय इस काम के लिए एक सेक्रेटरी हों, चाहे मिनिस्टर साहब खुद डील करें क्योंकि यह एक ऐसा मसला है कि आम रुटीन ढ़ंग से डील नहीं किया जाना चाहिये। आजकल इस के बारे में लोगों को यह भी नहीं पता कि हैड कौन है और कौन इस काम का इंचार्ज है और आया इस का हैड कोई डिप्टी सेक्रेटरी है ? आज कल पहले अंडर सेक्रेटरी होता ह और फिर डिप्टी सेक्रेटरी होता है और इसी तरह से दूसरे अफसर होते हैं। इसलिये यह एक बहुत लम्बा सा प्रोसीजर हो जाता है। मैं यह आशा करता हूं कि जो अपील हो वह सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आये और यहां पर चाहे सेक्रेटरी इन के पास डील करे या मिनिस्टर साहब करें। इस तरह से इन अपील्ज का डिपार्टमेंटल ढंग से निपटारा किया जाना चाहिये।

सब से बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं और जिस के बारे में मैंने अपनी एक अमेन्डमेंट भी दी है वह यह है कि इस बिल को कम-अज़-कम अगले साल तक जरूर लागू रखना चाहिये। आप ने इस बिल को ३० नवम्बर तक बढ़ाने के लिये कहा है और ३० नवम्बर में अब दो महीने बाकी हैं। अभी तक कुछ केसेस ऐसे हैं जो इस तरफ भी और उस तरफ भी ट्रीब्यूनलज के पास हैं। कुछ लिस्ट हिन्दुस्तान की सरकार के पास हैं और इसी तरह से कुछ लिस्टें पाकिस्तान की सरकार के पास हैं जो कि पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान को और हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को दी हैं। यह लिस्टें इतनी बड़ी हैं और जो केसिज़ ह वे इतने कम्पलीकेटेड हैं कि ३० नवम्बर तक इन को खत्म नहीं किया जा सकता। उन में से कई केसिज़ ऐसे हैं जिन के बारे में यह भी पता नहीं चलता कि फलां हमारी बहन फलां जिले में है आया वह जिन्दा है या मर गई है या जिन की बाबत यह भी पता है कि फलां आदमियों के पास वे हैं उन का पूरा पता लगाना अभी बाकी है। अगर आप इस चीज को छोड़ देते हैं तो यह एक बड़ी बेइन्साफी होगी। जब तक यह मसला मौजूद है और जब तक आप के पास यह सबूत मौजूद हैं कि फलां जिले में फलां आदमी के पास हमारी बहन है और जब तक उस के बारे में आखिरी फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं समझता हूं उस काम को बन्द नहीं करना चाहिये। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो फैसला दे यह जरुरी नहीं है कि वह सब पर जरूर लागू किया जाय। लेकिन जब तक एक भी बहन हमारी उस तरफ है या कोई भी बहन इस तरफ है हम को इस काम को जारी रखना चाहिये और इस बात को सोचना चाहिये कि वे किन हालात में वहां रहती हैं या उन को किन हालात में रखा जाता है। इस सवाल को हल करना हमारा इखलाकी फर्ज है। जो भाई उन को छोड़ कर आये हैं और जो उन को छोड़ने पर मजबूर हो गये थे और जिन हालात में उनको वहां रखा जा रहा है उन का हिन्दुस्तान के प्रति एक कर्जा है और हिन्दुस्तान को उस की जिम्मेदारी लेनी होगी ? ये बहनें जिन हालात में वहां रह गई उन हालात पर इन का कोई जोर नहीं था। तो अगर आप सोचते है कि यह काम दो तीन महीने में पूरा हो जायगा यह ठीक नहीं है। यह काम इतने थोड़ अर्से में पूरा नहीं हो सकता है। इस काम को पूरा होने से पहले यह बिल लैप्स हो जायगा और फिर आप को आर्डिनेंस जारी करने की जरूरत महसूस होगी। उस दौरान में आप का जो काम होगा वह तेजी से नहीं चल सकेगा। अगर इस बिल की मियाद को बढ़ा दिया गया तो उस दौरान में आप को कई फैसले करने पड़ेंगे ? जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के फैसले

होंगे यह जरूरी नहीं कि वे सारे के सारे हिन्दुस्तान की सरकार पाकिस्तान सरकार से मनवा ले। मैं मानता हूं कि इन फैसलों को मानने का काम आपके जिम्मे हो तो आप उनका जल्दी फैसला कर सकते हैं लेकिन जब कोई फैसला किसी दूसरी सरकार के साथ करना होता है तो यह बात जरा मुश्किल सी हो जाती है। यह बात भी सही है कि हमारे देश म बहुत सारे एसे आदमी हैं जो इस काम को नहीं चलने देना चाहते और उस देश में भी बहुत से ऐसे आदमी हैं जो यह नहीं चाहते कि यह काम अच्छी तरह से चले। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप ने इस एक्ट को एक साल तक और लागू नहीं किया तो इस एक्ट के लैप्स होने के बाद आप का काम अधूरा रह जायेगा और यह ठीक तरह से नहीं चल पायेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो औरतें लाई जाती हैं और कैम्पों में रखी जाती हैं उन के केसिज़ का फैसला बहुत ज्यादा देर तक नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार का पाकिस्तान की सरकार के साथ जब भी कोई नया फैसला किया जाय उस वक्त इस बात का भी फैसला कर दिया जाय कि हर एक केस का फैसला ज्यादा से ज्यादा दो या तीन महीने के अन्दर हो जाना चाहिये और इस अर्से से ज्यादा अर्से तक कोई भी केस पैंडिंग नहीं रहना चाहिये। डी० ए० वी० कालेज लाहौर में कई औरतें अभी बैठी हुई हैं जिन के केसिज़ का अभी तक फैसला नहीं हुआ और इसी तरह से और भी कैम्पस हो सकते हैं जहां पर कि यह औरतें बैठी हुई हों। अगर उन के केसिस का जल्दी फैसला नहीं किया जाता तो यह एन मुमकिन है कि जो ख्याल उन का पहले था वह बदल जाये और यह भी मुमकिन है कि उन को कोई और फैसला अंडर डयरेस या किसी किस्म के दबाव के नीचे आ कर करना पड़े। इस वास्ते मैं समझता हूं कि जो भी केस बरामदगी का हो उसका फैसला ज्यादा से ज्यादा दो या तीन महीने के अन्दर हो जाना चाहिये। आप को चाहिये कि आप पाकिस्तान सरकार से भी यह बात मनवाने का प्रयत्न करें।

जो बच्चों के बारे में कहा गया है कि यह एक बड़ा मुश्किल मसला है और यह फैसला करना बड़ा कठिन है कि इन को हिन्दुस्तान में रहना चाहिये था या पाकिस्तान में भेजना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बात का फैसला करना उसकी मां पर छोड़ देना चाहिये। यदि वह चाहे तो उस को अपने साथ ले जाए अगर चाहे तो यहीं घर में रहने दिया जाय। जब मैं यह बात कहता हूं तो यह भी मुमकिन है कि उन बच्चों को इस देश की समाज में उनको वह दर्जा न दिया जाय जो कि उनको मिलना चाहिये। इस वासते इस बात का फैसला उस की मां पर ही छोड़ देना चाहिये।

इतना कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस काम को कम से कम एक साल के लिये लागू करेगी और उस दौरान में नये एग्रीमेंट के बारे में पाकिस्तान के साथ सलाह करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचेगी उस के मुताबिक एक और बिल इस हाऊस में लायेगी अगर गवर्नमेंट इस बिल को लागू नहीं रखती और दो महीने के बाद यह लैप्स हो जाता है तो मैं समझता हूं कि जो इखलाकी फर्ज गवर्नमेंट पर आयद होता है वह उस को पूरे तौर पर अदा नहीं करेगी।

इतना कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुषमा सेन : मैं माननीय मंत्री की आभारी हूं क्योंकि उन्होंने इस सभा में ऐसा स्पष्ट वक्तव्य दिया है। इस प्रकार का विधेयक अवश्य ही पारित किया जाना चाहिये। इस बात पर सभी सहमत हैं कि व्यक्तियों

[श्रीमती सुषमा सेन]

की बरामदगी मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर होनी चाहिये और इस में कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं आना चाहिये। हमें प्रसन्नता है कि पाकिस्तान सरकार हमारे साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। हमें अपनी अपहृत बहनों से अत्यधिक सहानुभूति है। वास्तव में यह समस्या बड़ी उलझी हुई है। और बहुत जटिल भी है, इसलिये इसे बड़ी सावधानी से हल किये जाने की आवश्यकता है। इस समस्या को हल करने में आठ वर्ष का समय लग गया है——वास्तव में पाकिस्तान में ३५,०००. अपहृत स्त्रियां थीं और भारत में ३०,००० अपहृत स्त्रियां थीं——इनमें से पाकिस्तान से १५,००० स्त्रियां भारत भेजी गई हैं और भारत से २०,००० पाकिस्तान भेजी गई हैं। किन्तु अभी बहुत स्त्रियां शेष हैं और मैं नहीं समझ सकती कि नवम्बर के अन्त तक यह काम कैसे पूरा हो जायेगा।

सरदार स्वर्ण सिंह : स्पष्टीकरण के हेतु मैं बताना चाहता हूं कि मैं ने यह कहा था कि हमें तथ्य अन्वेषण आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा। हम इस पर विचार करेंगे तथा माननीय सदस्यों के विचारों से लाभ उठा कर हम किसी वैकल्पिक प्रस्थापना को भी अपना सकते हैं और यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या हम इसे इसी स्वरूप में जारी रखें अथवा इस में कोई परिवर्तन कर दें। मैं ने यह बात कही थी।

श्रीमती सुषमा सेन : स्पष्टीकरण के लिये माननीय मंत्री को धन्यवाद। बहुत से लोग कहते हैं कि इस आठ वर्ष के समय में अपहृत स्त्रियां स्थापित हो चुकी हैं। उन के बच्चे आदि भी हो गये हैं और वे प्रायः इसी अवस्था में प्रसन्न भी हैं, इसलिये अब उन्हें दोबारा इधर से उधर न किया जाये क्योंकि हो सकता है कि उन स्त्रियों को उन के पहले घरों तथा समाज में स्वीकार भी न किया जाये। किन्तु यह सच नहीं है। हम जानते हैं कि ये स्त्रियां अपने अपने घरों को वापस जाने की इच्छुक हैं। हो सकता है कि कुछेक स्त्रियां वहीं रहना चाहें किन्तु अधिकतर तो जाना ही चाहती है। अब जिन स्त्रियों के बच्चे हैं, उन की समस्या और भी जटिल है। जो स्त्री न जाना चाहे उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। यदि वे बच्चों को छोड़ना चाहती हैं तो जा सकती हैं और बच्चों को उन के पिता सम्भाल सकते हैं अथवा उन्हें शिशु गृहों में भेजा जा सकता है। यहां मैं एक बात कहना चाहती हूं कि राज्य सरकारों को उपयुक्त शिशु गृह स्थापित करने चाहियें। इस समय उन की प्रगति संतोषजनक नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि बच्चों की समस्या को अच्छे शिशु गृह बना कर हल किया जाये ताकि उन अभागिन स्त्रियों को और अधिक दुःख न हो।

जहां तक अपने घरों को वापस आने वाली स्त्रियों का प्रश्न है मेरे विचार में हिन्दू परिवार ऐसे अमानुशिक नहीं हैं कि उनका स्वागत न करें। इस के बाद जो अपहृत स्त्रियां अपने अपहर्ताओं के साथ रहना चाहती हैं उन के सम्बन्ध में एक बात समझ लेनी आवश्यक है। एक अपहृत तथा विवाहित स्त्री में अन्तर होता है। कुछ समय के बाद यदि कोई अपहर्ता अपहृत स्त्री से नाराज हो जाये और उसे बेच दे तो उस के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसे कई एक मामले हुए हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि इन अभागी स्त्रियों से कैसा कैसा व्यवहार होता है। इसलिये ऐसी स्त्रियों को कोई न कोई वैधानिक स्तर दिया जाना आवश्यक है। मेरे विचार में यह बात पर्याप्त महत्वपूर्ण है।

मैं समझती हूं कि जो स्त्रियां अपने घरों को वापस जाने को राजी नहीं होती हैं उन्हें एक विशेष कैम्प में रखा जाता है और उन्हें उन के रिश्तेदारों से मिलाया जाता है यह प्रबन्ध न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद

किया गया है। उस स्त्री को १५ दिन तक कैम्प में रखा जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि इस अवधि को घटा कर सात दिन कर दिया जाये ।

इस समय पुनःप्राप्ति के लिये जो ट्रिब्यूनल है उस में एक भारत तथा पाकिस्तान का एक एक सुपरिंटेंडेंट पुलिस है—इस लिये इस में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये क्योंकि ये सारे मामले ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही किये जा सकते हैं जो कि मानवीय मनोविज्ञान का अनुभव रखते हैं । पुलिस इस काम को कभी नहीं कर सकती है। मैं यहां पर यह सुझाव देना चाहती हूं कि यह आवश्यक है कि इस कार्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मिलित किया जाये ।

सिद्धान्ततः इस विधयक पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है, किन्तु हमें इन अनियमितताओं को अवश्य दूर करना चाहिये । इस बात में कोई सन्देह नहीं कि पुनः प्राप्ति का कार्य बड़ी ढ़िलाई से हो रहा है। जब तक कि संयुक्त तथ्य अन्वेषण आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस अधिनियम की अवधि बढ़ा देने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि इस कार्य को कुछ तीव्रता के साथ किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : माननीय मंत्री ने हमें अपने भाषण के समय कुछ आंकड़े दिये थ और उन के अध्ययन से कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इस विधेयक को एक दिन के लिये भी जारी रखा जाये । जब इस विधेयक पर चर्चा होती है तो पता नहीं उन लोगों को क्या हो जाता है जो कि स्त्रियों की गरिमा के परिपोषक अपने आप को समझते हैं। संविधान द्वारा दिये गये मूल भूत अधिकार पुरुषों के लिये ही नहीं हैं बल्कि स्त्रियों के लिये भी हैं। यह कहा गया है कि मई, १९५४ के बाद इस देश से बाहर कोई भी स्त्री नहीं भेजी जायेगी, किन्तु हम ने उस सिद्धान्त का अनुसरण ही नहीं किया ।

मैं यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं—इस सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि वह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। मैं उस स्त्री को उच्चतम-न्यायालय के आदेश की सहायता से ही भारत में रख सका था। जब कोई स्त्री धर्म परिवर्तन कर लेती है तो उस की पहली शादी भंग हो जाती है और उस की नागरिकता वही रहती है जहां वह रह रही हो न कि वह जहां कि उस का पहला पति गया हो। इसलिये ऐसी स्त्री को इस देश में जहां कहीं वह चाहे रहने का अधिकार है। उसे बाहर जाने पर बाधय नहीं किया जा सकता है ।

इसी प्रकार के और उदाहरण दिये जा सकते हैं। एक स्त्री जो बहुत समय से अर्थात् १९४७ से पहले अपना धर्म बदल चुकी हो और उस के पति ने उसे छोड़ दिया हो और वह बहुत पहले से ही किसी दूसरे के साथ रह रही हो—उसे भी पाकिस्तान भेजा जाता है, क्योंकि वहां से उस का पति सूचना दे देता है कि उस की स्त्री अमुक व्यक्ति के पास है। ट्रिब्यूनल निर्णय कर देता है और यदि उसे पहले पति का तलाक नामा दिखाया जाये तो उस के अनपेक्ष भी यह ट्रिब्यूनल निर्णय दे देता है और उस तलाक नामे को झूठा बता दिया जाता है । स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान भेज दिया जाता है—किन्तु होता क्या है ? वह वहां नहीं रहना चाहती और वहां की भ्रष्ट पुलिस की सहायता से इधर आ जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह किस देश की नागरिक रही। इस से और कई प्रकार की समस्यायें तथा उलझनें

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

खड़ी होती हैं। इसलिये संक्षिप्त प्रक्रिया का जो तरीका इस अधिनियम के अन्तर्गत रखा गया ह वह ठीक नहीं है । इस के साथ ही साथ ट्रिब्यूनल अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के मामलों पर भी निर्णय दे देता है —यह बड़ी अनुचित बात है । आदमी तो तीन बार शब्द "तलाक" कह कर कहीं चला गया और कष्ट स्त्री को उठाना पड़ा । इसी प्रकार यदि किसी स्त्री ने बहुत पहले आर्य समाज में धर्म परिवर्तन किया हो तो उस के इस कार्य को भी अमान्य घोषित कर दिया जाता है । इस ट्रिब्यूनल को यह अधिकार कैसे प्राप्त हुआ ? इस प्रश्न पर वह कैसे निर्णय दे सकता है । अब हमें केवल इस बात को देखना है कि क्या हम इसी प्रकार के संगठन को जारी रख कर देश की स्त्रियों को और भी दुःखी बनाते रहें अथवा इसे बदल दें । हम किसी को धर्म परिवर्तन करने से नहीं रोक सकते हैं। यदि कोई स्त्री धर्म परिवर्तन कर ले तो इस ट्रिब्यूनल को यह निर्णय करने का क्या अधिकार है कि वह धर्म परिवर्तन मान्य है अथवा नहीं । ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं कर सकता है ।

मैं यह जानता हूं कि वर्तमान आवास, निर्माण और संभरण मंत्री अत्याधिक उदार-हृदय व्यक्ति हैं, परन्तु उन की यह उदार हृदयता कोई अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हुई है । वाद-विवाद के प्रारम्भ होते ही हम आश्चर्य चकित हो गये कि यह कार्य निर्माण, आवास और संभरण मंत्री को कैसे सौंप दिया गया ।

तो, मैं कहना यह चाहता हूं कि देश के विभाजन के कारण एक नई समस्या उत्पन्न हो गयी है और वह है शरणार्थियों का पुनर्वास। यह समस्या तो पुनर्वास विभाग का ही एक भाग है । मेरी समझ में नहीं आता कि इसे पुनर्वास मंत्रालय को न सौंप कर वैदेशिक कार्य मंत्रालय को क्यों सौंपा गया है । इसी प्रकार से जो कार्य वैदेशिक काय मंत्रालय के अधीन होना चाहिये था, उसे निर्माण, आवास और संभरण मंत्री को सौंपना उचित नहीं प्रतीत होता है । इसीलिये मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी के इस कथन का बलपूर्वक समर्थन करता हूं कि इस संगठन का कार्य भार वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को न सौंपा जाय । इसे तो पुनर्वास मंत्रालय को ही सौंपा जाये क्योंकि शरणार्थी समस्या का मुख्य रूप से उसी से सम्बन्ध है ।

माननीय मंत्री ने इस बात को अच्छी प्रकार से समझाया था कि हम किसी स्त्री को पहले तो हर प्रकार से निर्णयता का अनुभव करने दें और फिर उसे स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट करने का अवसर दें । परन्तु ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि स्त्रियों को यहां से पाकिस्तान भेजा जाता है परन्तु वे वहां पर रहना नहीं चाहती हैं और भारत वापिस लौट आती हैं । इस से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि कैम्पों में उन स्त्रियों को स्वतन्त्रता पूर्वक अपना मत व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता है । अतः मैं इस के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि किसी भी सम्प्रदाय की किसी भी स्त्री को ऐसे ढ़ंग से रखा जाये कि वह यह अनुभव न करे कि उसे बाधय कर के रखा गया है । यदि वह वापिस जाना चाहे तो उन्हें वापिस अवश्य भेज दिया जाये, परन्तु यदि वे न जाना चाहें तो वापिस भेजने से कोई लाभ नहीं । केवल कुछ एक कर्मचारियों की स्वेच्छा को सन्तुष्ट करने के लिये बने बनाये घरों को उजाड़ कर उन मुसलमान स्त्रियों को पाकिस्तान भेजने से क्या लाभ है ? अतः केवल अन्तर्राष्ट्रीय आभार के लिये ही ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है । हम जानते ह कि यदि भारत में एक मुसलमान स्त्री का अपहरण हुआ है तो उस की तुलना में पाकिस्तान में एक सौ हिन्दू स्त्रियों का अपहरण हुआ है ।

इस दृष्टि से तो पाकिस्तान से एक के स्थान पर सौ स्त्रियों की वसूली होनी चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम अपने दायित्व को क्यों पूरा करें। और यदि करें भी तो विधिवत करें। तथ्य अन्वेषण समिति क्या काम कर रही है यह भी हमें ज्ञान नहीं है। हमें इस कार्य के लिये सत्य निष्ठ और ईमानदार व्यक्तियों की आवश्यकता है। इस संगठन का कार्य उन व्यक्तियों के हाथों में नहीं रहने देना चाहिये जिन के हाथ में कि वह इस समय है। वैसे तो अपहृत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब तो अपहृत व्यक्ति पुनः प्राप्ति अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिये इसे भारत की संविधि पुस्तक से निकाल दिया जायेगा।

माननीय मंत्री का यह कथन है कि हमारे पास अपील करने का एक उपाय है जिस से कि स्त्री अपना सच्चा मत अभिव्यक्त कर सके। परन्तु मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या उस स्त्री को स्वेच्छा से अपना मत अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता है? क्या उसे कोई अभिवक्ता रखने की स्वतन्त्रता है? वहां तो केवल एक संक्षिप्त अभियोग होता है कि जिस में निर्णायक सदैव पाकिस्तान का हित सोचते हैं। परिणामस्वरूप यहां से एक भारी संख्या में स्त्रियां पाकिस्तान भेज दी जाती हैं चाहे वे जाने को सहमत हों अथवा न हों। इसीलिये तो मेरा यह निवेदन है कि किसी एक भी स्त्री को उस की इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान न भेजा जाये, और इस के लिये इस विधान को ही समाप्त कर दिया जाये। यदि आप इसे समाप्त नहीं करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिये कोई और ही उपाय अपनाया जाये जिस से कि अन्याय न हो सके।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण): प्रस्तुत विधेयक उस समय की याद दिलाता है जब कि मनुष्य सभ्यता की परम्पराओं को भल कर एक दूसरे को मारने के लिये आतुर हो उठा था। यह अधिनियम उस स्थिति का सामना करने के लिये बनाया गया था जिस से कि सभ्यता और मानवता के नाते अपहृत स्त्रियों को पुनः प्राप्त किया जा सके।

मैं श्री त्रिवेदी के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। उन का यह कहना बड़ा निर्दयतापूर्ण है कि उन स्त्रियों को, जिन्हें अत्याचारी पुरुषों ने निर्दयतापूर्वक अपहृत किया था, खोज कर उन के अपने घरों को वापस न भेजा जाये। हमें अपनी मानवता और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिये। मैं श्री त्रिवेदी के इस कथन से भी सहमत नहीं हूं कि क्योंकि पाकिस्तान में अधिक स्त्रियों का अपहरण हुआ है इसलिये हमें मुसलमान स्त्रियों को यहां से वापिस नहीं भेजना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि पाकिस्तान में चाहे कुछ भी क्यों न हुआ हो, हमें तो अपनी मानवता कदापि नहीं छोड़नी चाहिये।

यह अधिनियम १९४८ में बनाया गया था और इन आठ वर्षों में परिस्थितियां बिल्कुल बदल गयी हैं और अपहृत स्त्रियों ने भारत अथवा पाकिस्तान के लोगों के साथ अपना नाता जोड़ लिया है, अतः इन सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इस अधिनियम को बदलने की आवश्यकता है।

गत वर्ष जब यह विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था तो इस अधिनियम के कार्यकरण के प्रति बड़े बड़े आक्षेप लगाये गये थे और आशंकायें प्रकट की गयी थीं। मई सन् १९५४ में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक करार हुआ है परन्तु उस करार को कार्यरूप में परिणत करने के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

मंत्री महोदय ने भी यह स्वीकार किया है कि करार तो १९५४ में किया गया था परन्तु तथ्य अन्वेषण आयोग मार्च, १९५५ में जाकर स्थापित किया गया। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि सरकार इस

[श्री बी० सी० दास]

कार्य में कोई रुचि नहीं ले रही है। यदि सरकार इन स्त्रियों का वास्तव में सहायता करना चाहती है तो इस कार्य में देर नहीं लगानी चाहिए थी।

फिर यह निर्णय किया गया कि संकोची नारियों का वास्तविक इच्छा को जानने के लिए विशेष घर बनाए जाने चाहिए, परन्तु भारत सरकार ने इस कार्य में एक वर्ष का समय लगा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रत्येक कार्य में इतनी देर क्यों लग रही है? इस का वास्तविक कारण यही है कि सम्बन्धित पदाधिकारी इस कार्य में कोई विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं। यदि हमारे पदाधिकारी इसी प्रकार सुस्ती से काम करते रहे तो यह कार्य शीघ्रता से कदापि नहीं हो सकेंगा।

उस करार में एक यह भी उपबन्ध रखा गया था कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धित पदाधिकारी प्रति दो मास में कम से कम एक बार अवश्य मिला करेंगे, परन्तु एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और उनकी केवल चार बार ही बैठकें हुई हैं। करार के उपबन्धों तक का उल्लंघन किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की सुस्ती क्यों की जा रही?

करार के अनुसार न्यायाधिकरण के सदस्यों को उच्चाधिकार प्राप्त अफसरों से दिन-प्रति-दिन की कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिए थी। परन्तु ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है।

अतः मुझे यही भय है कि यदि यह विधेयक अधिनियम बन गया तो इसका कोई भी अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार की मशीनरी ही ऐसा है कि वह कोई भी कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं होने देती है। इसी कार्य के लिये तो ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है जो कि बड़े उत्साहपूर्वक कार्य कर सकें। इन वर्तमान स्वार्थी और सुस्त कर्मचारियों को इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत सरकार जाग्रत हो। भारत सरकार को अधिक सचेत होना होगा। और तभी यह कार्य शीघ्रतापूर्वक हो सकेंगा।

सरदार स्वर्ण सिंह: माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इससे पूर्व कि कोई महिला-गृह अथवा तथ्य अन्वेषण आयोग अपना कार्य प्रारम्भ करे, दोनों सरकारों को एक करार करना पड़ा था। जितना मेरा दोष है उसे तो स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं, परन्तु वास्तव में यह एक ऐसा मामला है जिसका कि दोनों सरकारों से सम्बंध है।

श्री बी० सी० दास: मेरा यह कहना है कि दूसरा पक्ष चाहे कितना भी सुस्त क्यों न हो, हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और फिर, वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार को इस बात का जोर क्यों नहीं दिया कि यह कार्य शीघ्रतापूर्वक किया जाय?

वैसे तो इस अधिनियम के जारी रखे जाने के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि सरकार को इतनी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। इसे जागरूक होकर सारा कार्य करना चाहिए।

गत वर्ष जब इस के बारे में चर्चा की गयी थी तो यह सुझाव दिया गया था कि न्यायाधिकरण में स्त्रियां भी होनी चाहियें और उस न्यायाधिकरण में केवल पुलिस पदाधिकारी ही नहीं होने चाहियें। पुलिस

अधिकारी प्रत्येक बात को सन्देह की दृष्टि से देखता है और निरपराधी को भी अपराधी ठहराता है। वह मनो वैज्ञानिक स्थिति को नहीं समझता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार उस न्यायाधिकरण में स्त्रियों को रखने में इतना संकोच क्यों करती हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि उस न्यायाधिकरण में पहले ही एक महिला समाज सेविका है। और वह उसमें काम कर रही है।

श्री बी० सी० दास : इस जानकारी के लिये मैं मंत्री महोदय का बड़ा अभारी हूं। परन्तु वह महिला केवल एक परामर्शदाता ही है, वह न्यायाधिकरण की सदस्य नहीं है। मैं नहीं जानता कि उसके कृत्य क्या हैं। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना है। अतः मैं चाहता हूं कि न्यायाधिकरण में भी स्त्रियां रखी जायें, और अन्य कर्मचारी ऐसे रखे जायें जो कि सच्चे जी से काम करें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ–मध्य): यह जो बिल मंत्री महोदय ने पेश किया है मैं समझती हूं कि यह उचित ही है। मगर मैं चाहती हूं कि इसकी अवधि एक साल से ज्यादा न बढ़ाई जाये और एक साल तक जो कार्य इस के अन्तर्गत करना है उसको जारी रखा जाये। इस अवधि के बीतने के बाद मैं चाहती हूं कि इस काम को समाप्त कर दिया जाए इस अवधि में जो औरतें पाकिस्तान से भारत लाई जा सकती हैं उन को यहां लाया जाये और यहां से जो पाकिस्तान भेजी जा सकती हैं उन को वहां भेज दिया जाए इस काम को करते हुए आठ वर्ष पूरे हो चालू रखना विधेयक गये हैं और आठ वर्ष का एक युग होता है। इस तरह से एक युग बीत चुका है। जो स्त्रियां वहां पर रह गई हैं मातायें बन गई हैं, बाल बच्चों वाली हो गई हैं, घर घराने वाली हो गई हैं और जो छोटी थीं वे अब युवतियां हो गई हैं। उन को अब वहां से पकड़ कर यहां लाना उन के ऊपर एक इन्सानियत के नाते कोई दय करना नहीं है बल्कि उन को एक मुसीबत में डालना है। ऐसा करना उन पर अन्याय करना होगा। हम ने सुना है बहुत सी स्त्रियां जो वहां से इधर आती हैं वे बेचारी खुद कहती हैं कि हम तो अपवित्र हो गई हैं और हम खुद वापस आना नहीं चाहती थीं और हमें अब हमारे भाग्य पर छोड़ दिया जाये। हम यह नहीं चाहतीं कि अब हम घर जायें क्योंकि वहां जाने से न तो हमको सुख मिलेगा और न हमारे घरों में हमारे जो भाई हैं या मां बाप हैं या हमारे जो पति हैं उन को ही सुख मिलेगा।

यहां यह कहा जाता है कि पाकिस्तान से तो यहां स्त्रियां कम आती हैं, परन्तु यहां से पाकिस्तान अधिक जाती हैं। उस का भी एक कारण है और वह कारण यह है कि हमारा समाज ऐसा है कि जो पाकिस्तान से स्त्रियां आती हैं उनका बड़ा अपमान होता है और उन को अच्छी तरह नहीं रखा जाता है मुझे मालूम है कि मेरे एक फ्रेंड की बहिन एक बहुत अच्छे घर में ब्याही थी। उस का भाई हजारों रुपया खर्च कर के बड़ी मुश्किल से उस को पाकिस्तान से निकाल कर लाया। जब वह हिन्दुस्तान में आई, तो उस के पति ने बड़ी मुश्किल से समाज के दबाव के कारण उस को अपने घर में रखा। परन्तु उस ने उस स्त्री को एक नौकरानी बना कर रखा–अपनी बीवी की हैसियत से नहीं

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

रखा। उस को रोटी कपड़ा तो दिया, परन्तु दूसरा विवाह कर लिया।

इस किस्म की स्त्रियां जो पाकिस्तान से बच्चे ले कर आती हैं, उन की भी कोई इज्जत या कदर नहीं होती है। उन की बुरी हालत होती है बच्चों के लिये आम तौर पर यह कहा जाता है कि अपने देश के बच्चों का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है और उन के लाभ के लिये हम को सब काम करने चाहियें। परन्तु इन बच्चों के बारे में कहा जाता है कि उन के लिये चिल्ड्रन होम बनाये जायें, क्योंकि वे लोग जिन की स्त्रियां उन बच्चों को पाकिस्तान से ले कर आती हैं, उन्हें अपने घर रखने के लिये तैयार नहीं हैं। आखिर उन स्त्रियों को घरों में क्या आराम और सुख मिलता होगा, जिन के बच्चे उन से अलाहिदा कर दिये गये हों और जिन को घर में अपमान मिलता हो। मैं समझती हूं कि उन को कोई सुख या आराम नहीं मिल सकता। इतने वर्ष बीत चुके हैं—आठ वर्ष बीत चुके हैं। इस बात को अब खत्म करना चाहिये और अब इस के लिये और ज्यादा समय नहीं देना चाहिये। बेशक अब भी जो स्त्रियां पाकिस्तान से आना चाहें, उन को जरूर यहां लाया जाय—यह हमारा फर्ज है, परन्तु इस के लिये अब सोशल वर्कर्ज से काम लेना चाहिये। अब किसी कानून की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब-वाला-जो बिल का मसौदा अभी पेश किया गया है, मैं इस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और आप के जरिये अपने ख्यालात मेम्बरान हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं।

आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए आठवां वर्ष जा रहा है और ये सब मेम्बरान को अच्छी तरह से मालूम है कि करीब करीब अस्सी लाख शरणार्थी पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आये हुए हैं। इन अस्सी लाख खानदानों में से शायद ही कोई खुशकिस्मत खानदान होगा जो फख्र से यह कह सके कि उस का कोई नजदीकी रिश्तेतादार वहां मारा नहीं गया या उस की बहू बेटी वहां नहीं रह गई। लेकिन इस अरसे में किसी भी पबलिक बाडी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से यह अन्दाजा नहीं किया गया है कि जो शरणार्थी पाकिस्तान से यहां आये हुए हैं उन की जो बहू बेटियां पाकिस्तान में रह गई हैं उन की कुल तादाद कितनी है। हमारी गवर्नमेंट ने एक रिक्वीजीशन बनाया हुआ है। मैं समझता हूं कि जहां इस महकमे का यह फर्ज है कि हिन्दुस्तान में जो अबडैक्टेड औरतें लोगों ने अपने पास रखी हुई हैं उन को उन के रिश्तेदारों के पास पहुंचा दिया जाये। वहां इस पर यह जिम्मेदारी भी आयद होती है कि अगर वह सौ फीसदी सही सही अन्दाजा न कर सकें लेकिन कम अज कम यह तो तायें कि हिन्दुस्तान की करीब करीब कितनी लड़कियां और बहनें अभी कैदी की हैसियत से पाकिस्तान में मौजूद हैं। जाना वाला—मैं आप के जरिये हाउस के सामने यह अर्ज किये देता हूं कि रियासत जम्मू और काश्मीर के जिला मीरपुर और जिला मुजफराबाद की लड़कियां पाकिस्तान के अलावा दूसरी जगह भी पहुंचाई जा चुकी हैं। लेकिन किसी को भी इस बारे में फिक्र न हुआ और कोई खास कोशिश न की गई कि कोई रास्ता इन लड़कियों को वापस लाने का निकाला जा सके।

जनाब वाला- मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान ने हियूमेनीटेरियन असूलों की बिना पर यह पक्का इरादा कर रक्खा है कि यहां पर जितनी भी अबडैक्टेड औरतें होंगी, हर हिन्दुस्तानी कोशिश करेगा, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इन को अपने रिश्तेदारों के पास वापस

भेज दिया जाय, वहां इस बात का भी देखना जरूरी है कि आजाद हिन्दुस्तान की आन में फर्क पड़ता है अगर हमारी बहू बेटियां कैदी की हैसियत से पाकिस्तान में रखी जायें और हम टस से मस न हों, हम खुद तो हियूमैनीटेरियन असूलों की बातें करें और इस के मुताबिक काम भी करें लेकिन इस के बदले में कुछ न चाहें। आज कल कलयुग का जमाना है, सतयुग की बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन अगर कोई मुल्क या गवर्नमेंट अमली दुनिया के मैदान में आये तो उस को प्रक्टिकल बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जिन घरों की बहू बेटियां आज भी पाकिस्तान में कैद हैं उन के ख्यालात और उन की तकलीफ को हमें महसूस करना होगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब चन्द मिनट पहले हमारी एक बहिन ने जो कि यू० पी० की तरफ से हाउस की नुमाइन्दा हैं यह कहा कि हम नहीं चाहते कि नवम्बर के बाद वहां से औरतें यहां आयें, इसलिये कि हिन्दू सामाज में इन के लिये जगह नहीं है क्योंकि इन के बारे में यह समझा जाता है कि वह पतित हो गई हैं। अगर हमारे हिन्दू समाज में कोई खामी है, कोई कमजोरी है तो क्या उस हाउस के इतने नुमाइन्दों का जिन में मर्द भी हैं और औरतें भी हैं यह इखलाकी फर्ज नहीं है कि वह इन खामियों और कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर इन औरतों को इन खानदानों में वापस नहीं लिया जाता तो गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि वह इस किस्म के होम्स बनायें जिन में औरतों और बच्चों को रखा जाये। लेकिन यह कहना बहादुरी और मरदमी नहीं है कि वह बेकस औरतें पाकिस्तान में रहें क्योंकि हमारे समाज में कोई कमजोरी है। खास कर एक स्त्री के मुंह से इस किस्म की बात सुन कर मुझे और भी दुःख हुआ। यह बात उन्हों ने शायद इस वजह से कह दी कि न तो इन को किसी रिफ्यूजी से वास्ता पड़ा और वह बोर्डर से बहुत दूर रहती हैं। उन को यह अहसास नहीं हुआ कि किसी शख्स का कितना खून खौल सकता है जब उस को याद आता है कि मेरी बहन या बहू पीछे पाकिस्तान में रह गई है। वह शरणार्थी की हैसियत से हिन्दुस्तान में आया और गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद न की जाये। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब तक एक भी हिन्दुस्तानी औरत पाकिस्तान में अपनी मर्जी के खिलाफ रहती है तब तक इस कानून को जारी रखना चाहिये। अगर कोई औरत न आना चाहे तो बात दूसरी है, वहां तो मजबूरी है।

इस के अलावा एक काबिले गौर बात यह है कि जहां हम ने २० हजार से ज्यादा औरतें यहां से भेजी हैं वहां पाकिस्तान की तरफ से ९८०० के करीब औरतें आईं। जनाब वाला, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा महकमा इस मामले में बहुत सुस्त रहा है। हमारे पास एदाद शुमार नहीं है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप के महकमे के रिकार्ड मुकम्मिल नहीं थे। इसलिये हमारे अफ़सर सन् १९५४ और १९५५ में लाहौर गये और वहां से ऐदाद शुमार इकट्ठी करते रहे ताकि मालूम हो कितनी तादाद है उन औरतों की जो हम ने भेजनी हैं। पाकिस्तान ने दुनिया में सब जगह इस बात का प्रोपैगैन्डा किया। आप फारन मैगजीन पढ़िये। जहां जहां पाकिस्तान के नुमाइन्दे हैं, क्या यू० एन० ओ० में, क्या दूसरे मुल्कों में। वह यह कहते हैं कि हम ने आठ हजार औरतें भेजी हैं, और हिन्दुस्तान ने बीस हजार। हिन्दुस्तान ने ज्यादा औरतें एबडैक्ट की थीं। सर जफरुल्ला सिक्योरिटी कौंसिल में कहा करते थे कि हिन्दुस्तान ने ज्यादा जुल्म किया ह, इसन ज्यादा औरत अपने घरों में रक्खी हैं, वह सही हो रहा है। यह है हमारे हियमैनीटेरियन प्रोग्राम का जवाब। और आप इस प्रोपैगैन्डा का क्या जवाब देते हैं आप कहते हैं कि हम यह

[ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क]

हियूमैनीटेरियन काम का सिलसिला जारी रखेंगे और इस तरह से इन को दुरुस्त कर लेंगे । "जनाब वाला मैं आप के जरिये इस हाउस में और मिनिस्टर साहब से मोदबाना अर्ज करूंगा कि यह बात अमली दुनिया से जरा दूर की बात है । ख्याली दुनिया में शायद यह मुमकिन हो । लेकिन अगर हमें दुनिया में जिन्दा रहना है तो हमें एक दुनियादार इंसान की तरह अपना लेन देन करना होगा ।

मैं आप के सामने जम्मू और काश्मीर की मिसाल रखने जा रहा हूं । वहां हम ने कोशिश कर के एक एक अगवा शुदा औरत को जो पाकिस्तान जाना चाहती हैं, वहां भेज दिया और उन के रिश्तेदारों को वापस कर दिया । इस के मुकाबले में हमारी निस्फ से ज्यादा औरतें पाकिस्तान में, अभी भी हैं और पाकिस्तान के बोर्डर क्रौस कर के इन को आगे भेज दिया गया है । ऐसे हालात में बेशक कानून बढ़ाइये । एक नहीं, दस वर्ष के लिये रखिये, लेकिन तरीका कोई और अख्तियार करना पड़ेगा । अगर मैं यह बात कहूं तो बुरा माना जायेगा, कि हम चार औरतें लें तो चार ही दें । इस को इखलाकी कमजोरी समझा जायेगा ; देखने में यह बात जरूर बुरी लगेगी लेकिन अमल की दुनिया में जहां हम को ऐसे सौदागरों से वास्ता पड़ा है जो इन्सान को इन्सान नहीं, बल्कि सौदा करने की कोई चीज़ समझते हैं हम को कोई और ही तरीका अख्तयार करना पड़ेगा ।

अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि जिन औरतों को भेजना होता है उनको इस बात का मौका दिया जाता है कि वह फैसला करें कि वह जाना चाहती हैं या नहीं । लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों के बारे में भी इस तरह का फैसला किया जाय । आप यूरोप की डाईवोर्स हिस्ट्री को देखें तो आप को मालूम होगा कि जब मां और बाप अलग होते हैं तो अदालत बच्चों के मामले में इस बात का मौका देती है कि वह अगर बाप के साथ जाना चाहते हैं तो बाप के साथ जायें और अगर मां के साथ जाना चाहें तो मां के साथ जायें । इसलिये जब गवर्नमेंट इस मामले पर गौर कर रही है तो इस बात पर भी सोचे कि बच्चों को इस बात का फैसला करने का मौका दिया जाय कि अगर वह बाप के साथ रहना चाहते हैं तो बाप के साथ रहें । इन को जबरदस्ती मां के साथ न भेज दिया जाय ।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, गवर्नमेंट आफ इंडिया कोई ऐसा प्रोग्राम बनावे जिस से यह भी पता लग सके कि हमारी कितनी अगवा की हुई औरतें पाकिस्तान में हैं । आम लोगों का और बहुत सी सोसायटियों का यह ख्याल है कि हमारी करीब ७० या ८० हजार औरतें पाकिस्तान में हैं और इन के मुकाबले में करीब ८९०० वापस आई हैं । कानून के जरिये हम गवर्नमेंट को ताकत से लैस करते हैं । लेकिन साथ ही गवर्नमेंट से भी यह उम्मीद रखते हैं कि वह इस बात का अहतयात रक्खे कि इस कानून को अमल में लाने में गवर्नमेंट के अफसर लोगों को हरासां न करें । और जो इस के साथ सख्ती का तरीका चलता है उस को रोका जाये । चन्द दिन हुए, जब इन्टर सैशन में मैं जम्मू गया तो मुझ से कुछ मुसलमानों ने यह शिकायत की कि सन् १९४७ में जब गड़बड़ हुई थी तो बहुत सी औरतें एक फैमिली से दूसरी फैमिली में चली गईं । कुछ केसिस में कहा गाया था कि तलाक दे दी गई हैं लेकिन जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के अफसर इस काम के लिये रहते हैं उन्हों ने बजाये अदालत में भेजने के खुद ही फैसला कर दिया तलाक सही है या नहीं । खुद अपनी ताकत से इन को पकड़ कर और मार पीट कर के इधर से उधर कर दिया । तो जहां आप हाउस के सामने आते हैं और पूरी पावर मांगते हैं वहां आप के अफसरों को यह भी देखना

चाहिये कि छोटे अफसर जो काम करते हैं वह लोगों को हरासां न करें। अगर यह तरीका जारी रहेगा तो दिक्कतें बढ़ती ही जायेंगी और लोगों को अमन चैन नहीं मिल सकेगा। मैं इस बिल की ताईद करते हुए हाउस से इस्तदुआ करूंगा कि इस बिल को पूरी मदद दी जाय। हमारे कानून दां दोस्त मिस्टर त्रिवेदी ने कहा है कि कानून में औरत को हक हासिल है कि अगर वह न जाना चाहे तो न जाये। इस के लिये तो मिनिस्टर साहब ने खुद फरमाया है कि जो औरतें नहीं जाना चाहतीं उन को जबरदस्ती नहीं भेजा जाता। और इसलिये २००० में से करीब निस्फ यहां रह गईं लेकिन इस किस्म का फैसला वही औरत कर सकती है जिस को कुछ दिनों आजादी के तरीके से रक्खा गया हो। हम को कानूनी उलझनों में फंस कर औरतों को यहां रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। मैं तो समझता हूं कि यह हर एक हिन्दुस्तानी का इखलाकी फर्ज है कि वह इस मामले में गवर्नमेंट से कोआपरेट करे और जो मुसलमान औरत यहां अपनी मरजी के खिलाफ रक्खी जा रही हों उस को रिक्वर कर के गवर्नमेंट के हवाले कर दें।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : मैं तो खास इस चीज के लिये आप से इजाजत चाहती हूं कि जो अमेंडमेंट सरदार इकबाल सिंह ने पेश किया है उस की ताईद करूं। सुचेता बहिन ने भी कुछ इस अमेंडमेंट की तरफ इशारा किया है। यह सचमुच बहुत मुश्किल हो जाता है जो दो दो महीने और छः छः महीने का बार बार एक्सटेंशन दिया जाता है यह सच है कि इस से रिक्वरी के काम में बहुत मुश्किल पेश आती हैं। यह तो एक मामूली साइक्लाजीकल बात है कि ऐसी हालत में जो काम करने वाले हैं वह नहीं जान सकते कि उन को कितना काम करना है और उस को कितनी मेहनत से करें। और यह बात भी सच है कि एबडक्टर्स भी इस से फायदा उठाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद इस के बाद यह कानून आगे एक्सटेंड न किया जाय। इसलिये वे उतने अर्से के लिये किसी तरह से उस औरत को इधर उधर कर देते हैं।

बार बार जब यह कानून हाउस में आता है तो हम को कई आनरेबिल सदस्यों की स्पीचेज से ऐसा मालूम होता है कि एबडक्टर्स को हौसला मिलता है। कुछ स्पीचेज से तो ऐसा मालूम होता है कि वे सदस्य रिक्वरी में कम इंटरेस्टेड हैं और एबडक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : ऐसा क्यों लगता है ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : स्पीचेज से ऐसा मालूम होता है। बार बार हाउस के सामने एक नया तरीका लाया जाता है। इस से पहले जब एक बार यह कानून हाउस के सामने आया था तो कुछ मेम्बरों ने कहा था कि रिक्वरी न हो। इस बार ऐसा नहीं कहा है। पर एक नया तरीका अख्तयार किया गया है। यह तो नहीं कहा जाता कि रिक्वरी न करो पर अड़चनें पेश की जाती हैं और बहाने साजी की जाती है। आज यहां एक नई बात पेश की जा रही है कि यह काम किसी एक मिनिस्टर के अंडर हो। मैं घंटे भर से इस बात को सुन रही हूं। समझ में नहीं आता कि इस के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। लेकिन मैं समझती हूं कि कुछ राज जरूर इस के पीछे छिपा है। मैं देखती हूं कि यहां तरह तरह की बातें पेश की जा रही हैं। कहा जाता है कि अगर औरतों को भेज दिया जायेगा तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी। कहा जाता है कि इन आठ सालों में उन के बच्चे हो गये हैं और अगर उन को भेजा जायेगा तो फेमिलीज डिसरप्ट हो जायेंगी। इसलिये उन औरतों को जबरदस्ती वहां रखा जाय। अगर हुकूमत कोई ऐसा कानून बनाये कि बच्चों की परवरिश के लिये माताओं की सरविसेज को रिक्वीजीशन कर लिया जाय

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

तो मुझे ऐतराज नहीं । लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि चूंकि एक खास जगह पर बच्चों की परवरिश होनी है इसलिये उन औरतों को उन की मर्जी के खिलाफ वहां पर रखा जाय। यह कोई बहुत इंसाफ की बात नहीं मालूम होती ।

एक और बात यहां कही गई है । कहा गया है कि कुछ बहिनों ने अपना मजहब बदल लिया है । इसलिये उन को नहीं हटाया जा सकता । हम ने देखा है कि समाज ने कई दफा ऐसे कायदे बनाये हैं कि जिन के मुताबिक गलत गलत कामों पर धर्म की छाप लगा दी गई है और उन को ठीक मान लिया गया है । ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि दूसरे लोगों की उस काम में सहानुभूति हो जाय । लेकिन आज हम काफी जाग्रत हो गये हैं । एक जमाना था कि एक खास तरह की शादी होती थी जिस को राक्षस विवाह कहते हैं। कोई आदमी किसी औरत को जबरदस्ती उठा ले जाता था और उस को शादी समझ लिया जाता था । अगर आज किसी औरत को उस की मर्जी के खिलाफ एबडक्ट कर लिया जाय तो उस को हम इस तरह से नहीं देख सकते चाहे कोई उस पर धर्म की छाप भले ही लगा दे । हम यह नहीं मान सकते कि अगर किसी ने धर्म बदल लिया तो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गयी । उस के साथ हम को कोई दूसरा सलूक करना चाहिये, या इस वह से उस की हैसियत से कोई फर्क हो गया ।

और भी कई बातें कही गई । यह भी कहा गया है कि कुछ गलत केसेज में रिक्वरी कर ली गई और गलती से औरतों को इधर से उधर भेज दिया गया । इस का बहुत प्रचार किया जाता है । मिनिस्टर साहब ने बतलाया है कि फिगर्स में कुछ गलती इस वजह से हो गयी है कि एक औरत के बारे में उस के रिश्तेदारों ने चार चार जगह रिपोर्ट लिखा दी है । इसी तरह जो गलत रिक्वरी हो जाती है उस को भी सरकुलेट किया जाता है और उस को ५० गुना तक बढ़ा दिया जाता है । क्योंकि जो औरत एबडक्ट हुई है उस के रिश्तेदार तो ज्यादा से ज्यादा चार जगह रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन जो गलत रिक्वरी हो जाती है इस को तो बहुत ज्यादा सरकुलेट किया जाता है । जो लोग एबडक्टर्स से सिम्पैथी रखते हैं या जो उन में दिलचस्पी रखते हैं व और पोलीटिकल पार्टियां सब मिल कर इस का प्रचार करते हैं और ऐसा मालूम होता है कि गलत ही गलत रिक्वरी हो रही है यानी कोई रिक्वरी ठीक रिक्वरी हो ही नहीं रही है । लेकिन मैं हाउस से प्रार्थना करूंगी कि वह इन बातों के फेर में न पड़ जायें । हो सकता है, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा, कि कोई गलत काम हो गया हो। एक माननीय सदस्य ने आर्डिनरी ला का भी जिक्र किया । लेकिन इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इस कानून की वजह से आज हजारों बच्चियां आज अपनी माताओं के पास पहुंच चुकी हैं और हमारी छाती से लग चुकी हैं । हम चाहें तो कह सकते हैं कि हमारे रिक्वरी के मुहकमे ने अच्छा काम नहीं किया, यह नहीं किया वह नहीं किया । पर क्या किसी की हिम्मत थी उन दिनों में कि इस सवाल को उठाता ।

अब जरा आठ साल पहले की हालत देखें जो कि हमारे यहां थी । मुझे मालूम है कि जो आर्डिनरी कानून था उस के मुताबिक कोई भी काम हो सकता था । आर्डिनरी ला के बारे में मैं आप को बतलाऊं कि मुझे मालूम हुआ है कि एक थाने में कोई थानेदार साहब ८, १० या १५ बहनों को और साथ में जो उन के ऐबडक्टर्स थे, उन को भी पकड़ लाये और सब को बन्द कर दिया और कहने लगे इन के जो पति थे, उन की रिपोर्ट पर इन सब की गिरी

गिरफ्तारी हुई है और यह सब के सब जेल जायेंगे। यह औरतें भी जेल जायेंगी और इन के जो एबडक्टर्स हैं, वे आदमी भी सब जेल जायेंगे। जेल जा कर उन सब हिनों ने सोचा कि हसबेंड्स की रिपोर्ट पर तो हम को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया गया है, तो उन्हों ने ऐसा कहा कि भाई हम को तो वहीं पर फिर से वापिस पहुंचा दो और सब हनों का बयान ले कर दारोगा साहा उन को वापिस पहुंचा आये। हम को कहा गया कि यह तो आर्डिनरी ला है, यह इसी तरह से चलता है। आर्डिनरी ला का हमें खूब तजुर्बा है और हम जानते हैं कि इस तरह का काम करने के लिये हमें कितनी दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ती है। मजिस्ट्रेट साहब के पास जा कर केस रिपोर्ट करते हैं और मजिस्ट्रेट साहब को लड़की का नाम, हुलिया, पता और न मालूम क्या क्या इत्तिलायें देनी पड़ती हैं और यह मजिस्ट्रेट साहब की मरजी पर है कि वह कितने दिन में उस के लिये वारंट जारी करें और क और कैसे लड़की निकाली जायेगी और क्या क्या इन्क्वायरी होंगी। तो यह सब आर्डिनरी ला की बातें हैं। लेकिन जिन हालात में यह सब काम किये गये और यह हादसे पेश आये, हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में, वह ऐसे एक्सट्राआर्डिनेरी हालात थे, जिन को कि हम आर्डिनेरी ला से इतना कुछ हल कर सकते थे, इस में मुझे शक है। मैं समझती हूं कि आर्डिनरी ला से हम उन को टैकिल नहीं कर सकते थे और मैं कई दफा सोचती हूं कि अगर कहीं यह सब काम रिक्वरी का करने के लिये कोई आर्डिनेरी मुहकमा होता और आर्डिनेरी तरीके से यह रिक्वरी का काम हुआ होता तो कितनी लड़कियां अब तक रिक्वर हो पातीं और रिक्वर होने के बाद उन का क्या हक होता, कितनी लड़कियां अपने घरों में जातीं और कितनी लड़कियां एबडक्टर्स के पास जातीं, और कितनी लड़कियों का पता ही नहीं लगता कि वह कहां गई और न मालूम किस की लड़की कहां पहुंच जाती और किस की बीवी कहां पहुंच जाती, यह कहा नहीं जा सकता। दरअसल एक बड़ी मुश्किल हमारे सामने पेश आ जाती। तो इस आर्गेनाइजेशन का काम देखते हुए और यह देखते हुए कि कई हजार लड़कियां इस के द्वारा रिक्वर हो कर अपने अपने घरों में वापिस पहुची हैं, मैं इस संस्था को गैर बधाई दिये नहीं रह सकती। यह सचमुच में उस आर्गेनाइजेशन में जो वर्क्स हैं, उन के लिये यह बड़ा भारी ट्रिब्यूट है, अब यह जो कहा जाता है कि उस जमात में गुड सोशल वरकर्स और राइट सार्ट आफ वर्क्स की कमी ह तो मैं तो कहूंगी कि यह कामयाबी उन के लिये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है और मैं हाउस के सामने उन को वह ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूं और मैं समझती हूं कि इतनी हजार लड़कियों को एबडक्टर्स के पास से निकाल कर उन को उन के घरों में वापिस पहुंचाना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिये मैं समझती हूं कि आज उस संस्था और उस के काम करने वालों के बारे में नुक्ता-चीनी करना हम को कुछ ज्यादा जेबा नहीं मालूम होता। अलबत्ता हम यह कहें कि उन को रिक्वरी का काम और ज्यादा तेजी से करना चाहिये और इस बात को मैं भी महसूस करती हूं कि पाकिस्तान पर जितना सम्भव हो मारेल प्रैशर या और कोई किस्म का प्रैशर डाला जाय जिस से कि वह अपने यहां रिक्वरी का काम तेजी से करें और कोई वजह नहीं है कि वहां पर पाकिस्तान में रिक्वरी का काम तेजी से न हो। मुझ को याद है कि एक दफा वहां से रिक्वरी का एक मिशन आया था और उस ने यहां पर हम से कहा था कि आप के देश में बहुत सी ऐबडक्टेड लड़कियां मौजूद हैं, उन को रिक्वर करो। मैं आप से सच कहती हूं कि हमारे तो सिर उनकी इस बात को सुन कर शर्म से झुक गये और हमने उनसे कहा कि आप जब यहां पर आ कर हम से कहते हैं

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

कि इस मुल्क में कोई आप की बहन, कोई लड़की या किसी की बीवी खोई हुई है तो हम बहुत शर्म महसूस करते हैं, साथ ही हम ने उन से अर्ज किया कि इसी तरह आप को भी महसूस करना चाहिये। यह स्थिति किसी भी मुल्क के लिये गर्व का विषय नहीं हो सकती। आप भी अपने वहां से ऐसी लड़कियों को निकाल दें और हम भी अपने मुल्क से ऐसी लड़कियों को निकालेंगे। एक चोरी की हुई स्त्री, एक छीनी हुई बहन या किसी की पत्नी को अपने घर में रखना सिर्फ उसी के लिये खराब नहीं है, बल्कि वह हमारे लिये भी खराब है और हमारे खानदान के लिये भी खराब है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिये भी खराब है और मैं नहीं समझ सकती कि कोई भी खानदान इस में गर्व महसूस करेगा कि उस की आने वाली संतान यह कहे कि हमारे वहां फलां औरत जो थी, उस को मेरा भाई चोरी करके लाया था या मेरा चाचा या दादा उठा कर ले आया था।

इस के अलावा मैं समझती हूं कि आज जो अक्सर बहनों से कहा जाता है कि अब इस काम को बन्द किया जाय, अब तो इस को चलते ६ वर्ष हो गये और अब इस की जरूरत नहीं रह गयी है, मुझ को ऐसा सुन कर बहुत रंज होता है। जरूरत इस बात की है कि इस काम को और तेजी से चलाया जाय और मैं तो आनरेबुल मिनिस्टर से यह भी कहूंगी कि हम लोगों को और दूसरे और लोगों को भी जो इस काम में दिलचस्पी लेते हैं, उन को मौका दें कि वह अपने सुझाव पेश कर सकें कि किस तरीके से ज्यादा रिक्वरी हो सकती है, किस तरह से यहां भी रिक्वरी का काम चलाया जा सकता है और वहां पाकिस्तान में भी चलाया जा सकता है।

एक बात मैं और उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूं। हमारे चन्द एक आनरेबल मैम्बर उन मुसलमान औरतों के साथ जो यहां से रिक्वर कर के वापिस वहां भेजी जाती हैं, उन के साथ बड़ी हमदर्दी दिखलाते हैं लेकिन जो मुसलमान नागरिक हमारे देश में बसते हैं और जो मुसलमान हनें यहां अपने मुसलमान शौहरों के पास रहती हैं, उन के साथ हमारे इन आनरेबुल मैम्बरों की हमदर्दी कम मालूम होती है और आये दिन बाजारों में मीटिंग्स की जाती हैं और उन के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की जाती है और कहा जाता है कि उन को इस मुल्क से निकाल दिया जाय और उन को यहां पर रहने न दिया जाय। जब मैं देखती हूं कि यह लोग इन के साथ तो हमदर्दी नहीं दिखाते लेकिन उन लावारिस बहनों के साथ बड़ी हमदर्दी दिखलाते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब मालूम होता है। इसलिये मैं अपने आनरेबुल मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगी कि वह सरदार इकबाल सिंह के अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें और इस काम को दो तीन महीने के लिये नहीं बल्कि एक साल के लिये इस को एक्सटेंड कर दें और इस विषय पर स्टडी करें और इस सवाल को हल करें। मैं देखती हूं कि जब कभी इस तरह का बिल हमारे सामने आता है तो यह सवाल उठाया जाता है कि रिक्वरी होनी चाहिय या नहीं होनी चाहिये, यह चीज हर बार सामने आती है, मानो कोई हम बहुत बड़ा अहसान करते हैं जो उन को रिक्वर कर के लाते हैं और बाद में उन को उन के घरों में वापिस भेजते हैं। मुझ को इस बात की खुशी नहीं होती। बड़ा अफसोस होता है जब बार बार यह सवाल उठाया जाता है कि अब इस काम को आगे जारी रक्खा जाय या बन्द कर दिया जाय, या इस काम को चलते अब ६ वर्ष हो गये या ८ वर्ष हो गये और अब रिक्वरी क्यों की जा रही है। मेरी समझ में तो यह बात तय है कि यह रिक्वरी का काम तब तक चलता रहेगा जब तक एक भी लड़की

इस मुल्क में या उधर पाकिस्तान में ऐब्डक्टेड बच रहती है । औरत कोई जमीन या जायदाद तो है नहीं कि जिस के कब्जे में है, उसी के कब्जे में वह बनी रहे ।

अभी हाल में उपाध्यक्ष महोदय, इस संसद् ने एक महत्वपूर्ण कानून पास किया है कि अगर खास हालात में विवाहिता पत्नी भी अपने पति से अलग होना चाहे और उस से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहे तो कानून ने उस को भी मुक्ति प्रदान की है तो फिर उन ऐब्डक्टेड औरतों के बारे जिन का कि कोई सोशल स्टेटस नहीं जो कि चोरी से ले जाई गई हैं, जो कि परेशान हैं और जिन्हों ने कि कभी वहां पर इज्जत की जिन्दगी नहीं हासिल करना है, उन के लिये हम हर साल कहें कि अब तो इतने साल इस काम को करते हो गये, अब तो यह काम बन्द किया जाना चाहिये और उन को ऐब्डक्टर्स के पास रहते इतने साल हो गये, इसलिये अब उनको वहीं पर रह जाना चाहिए, यह चीजें हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं है । इसलिये मैं तो आनरेबल मिनिस्टर और हाउस से प्रार्थना करूंगी कि वह इस कानून को लम्बा एक्सटेंशन दे कर इस सवाल को स्टडी करें और जिन भाइयों को इस के काम के तरीके पर ऐतराज हो, उन को मौका दें कि वह अन्य तरीके हम को सुझा सकें ताकि दोनों मुल्कों में यह रिक्वरी का काम जल्दी पूरा हो क्योंकि जाहिर है कि जो बहनें आज इस तरह की जिन्दगी बसर कर रही हैं, वह बहुत परेशानी और शरमिंदगी की जिन्दगी बिता रही हैं और यहां पर बहुत से केसेज का जिक्र किया गया । एक केस मैं भी जानती हूं कि पाकिस्तान में एक गांव में एक हिन्दू एबडक्टेड लड़की को रिक्वर किया गया तो पास के गांव में जो एक दूसरी हिन्दू एब्डक्टेड लड़की फंसी हुई थी उस ने अपने छुटकारे के लिये खतकिताबत की कि मुझ को भी निकाला जाय लेकिन वह रेसक्यू स्टाफ वहां नहीं पहुंच सका और इस का नतीजा यह हुआ कि उस लड़की ने आत्म हत्या कर ली । उस ने अपने दिल में सोचा कि जब यहां दरवाजे तक आ कर भी मुझे नहीं निकाला तो आ क्या निकालेंगे और निराश हो कर उस ने अपनी जान दे दी और मैं समझती हूं कि इस से हमारी उन परेशान बहनों को जो इधर या उधर जबरदस्ती फंसी हुई हैं, बड़ी निराशा होती होगी और इस चीज का उन पर बुरा असर पड़ता होगा । इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम को ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये जिस से यह रिक्वरी का काम जल्दी हो ।

मैं आनरेबुल मिनिस्टर को इस के लिये बधाई देती हूं जो उन्हों ने यह कहा कि बच्चे कहां रहने चाहियें, यह उन की मां की मरजी पर छोड़ देना चाहिये, मैं भी समझती हूं कि जो हालात हैं उन में मां के अलावा कोई दूसरा इस चीज का फैसला नहीं कर सकता कि उस के बच्चों की अच्छी जिन्दगी कहां रहने पर बन सकती है और इसको बच्चे की मां पर छोड़ देना चाहिये इस के साथ ही साथ मैं उस ही अमेंडमेंट की भी ताईद करती हूं ।

श्री नन्द लाल शर्मा :

नमःपरमहंसास्वादित चरणकमल चिनमकरन्दाय भक्तजन मानसनिवासाय श्री रामचन्द्राय ।।

माननीय उपाथयक्ष महोदय, अपहृत व्यक्तियों की प्राप्ति और परावर्तन के सम्बन्ध का यह विधेयक प्रधानतया दो प्रकार की भावनाओं से पूर्ण है । एक है चरित्र की भावना, मारल स्टैंड और दूसरी है राष्ट्रीय भावना अर्थात् नेशनल स्टैन्ड । चरित्र के दृष्टिकोण से हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारतीय संस्कृति का यह मूल सिद्धान्त है कि पर स्त्री को माता की दृष्टि से देखा जाय । कभी भी किसी की बहिन, बहू या बेटी के ऊपर बुरी दृष्टि रखना, यह भारतीय संस्कृति का कभी ध्यान नहीं रहा और आप लोगों ने

[श्री नन्दलाल शर्मा]

अपने इतिहास में भी अच्छी तरह से सुन लिया होगा कि रावण भी जिस समय राम की प्रतिमूर्ति बन कर सीता के पास जाता था तो वह कहता था कि मुझे सारे विश्व की स्त्रियां माता दिखाई देती हैं ।

इस के साथ साथ राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी यह कहता है कि हम को अपने घर में किसी प्रकार के अत्याचार, अनाचार, दुराचार या व्यभिचार की किसी प्रकार आज्ञा नहीं देनी चाहिये । यह बात सोलहो आने सत्य है : परन्तु जहां हम यह देखते हैं कि राम की सेना में आई हुई सुलोचना पर कोई बुरी आंख उठा कर नहीं देख सका वहां राम की सारी पल्टन में एक भी बन्दर ऐसा नहीं जो जब तक सोने की लंका की ईंट से ईंट न बजा दे तब तक एक भी सीता को वहां छोड़ने के लिये तैयार हो।

आज जो महानुभाव इस विधेयक की तिथि बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं उन का दृष्टिकोण केवल इतना है कि उन को अपनी इस सरकार से इस समय यह भय लग रहा है, उन का यह विश्वास नहीं पड़ रहा है कि वह पाकिस्तान में पड़ी हुई देवियों को प्राप्त कर के किसी प्रकार से भारत में पहुंचा सकती हैं । कारण यह है कि आज के अभिभाषण से मझे बड़ी निराशा हुई । आज हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि चार, पांच हजार देवियां दोनों ही देशों में पड़ी रह गयीं, और दो ढ़ाई हजार के लगभग पाकिस्तान में हैं ।

सरदार स्वण सिंह : मैं ने यह नहीं कहा कि जिन मामलों की जांच की गई है उन में भी सभी अपहृत व्यक्ति ढूंढ लिये गये हैं ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं उन मामलों की चर्चा कर रहा हूं जिन की जांच होना अभी शेष है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कितने व्यक्ति इस से सम्बद्ध हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कोई भी व्यक्ति इस का अनुमान लगा सकता है । लेकिन तथ्य अन्वेषण समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित होने पर ही यह बताया जा सकता है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बात को स्पष्ट कर दिया गया । अभी हमारी सरकार को इस बात का निश्चय नहीं है कि कितनी हमारी देवियां अभी पाकिस्तानी बुर्के में पड़ी हुई गोमांस पकाती हैं और खून के आंसू रोती हैं । अभी हम को इस का भी पता नहीं है कि उन को निकाल कर प्राप्त करने की क्षमता हमारे वश की है या नहीं।

हम एक चीज देखते हैं । स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में आप ने कहा है कि इंडो -पाकिस्तान ऐग्रीमेंट, नवम्बर, १९४८ के फलस्वरूप यह ऐबडक्टेड पर्सन्स रिक्वरी ऐंड रेस्टोरेशन ऐक्ट १९४९ में स्वीकृत हुआ । मैं पूछना चाहता हूं कि आप के दिल्ली ऐग्रीमेंट के अनुसार कौन कौन सी बातें पाकिस्तान ने पूर्ण कीं ? अभी मेरे पास मिनिस्ट्री आफ रिहैबिलिटेशन का पत्र पहुंचा है। यह भी आप के इंडो-पाकिस्तान ऐग्रीमेंट में था कि पूर्वी पाकिस्तान के अन्दर शरणार्थियों की रक्षा करेंगे, वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे । लेकिन आज यह शब्द मेरे पास आते हैं :

> "गत वर्ष सामूहिक आगमन हर महीने १०,००० व्यक्तियों से कम था वह जनवरी, १९५५ से बढ़ कर २०,००० से अधिक हो गया है । पूर्वी पाकिस्तान से होने वाले इस निरन्तर वृधिगत प्रव्रजन से भारत सरकार को गम्भीर चिन्ता हो गई है ।"

यह आज की कथा है जो कि उस पत्र में दी हुई है जो कि आज मेरे पास पहुंचा है । हम बड़े अचम्भे में आते हैं कि आप के इंडो-पाकिस्तान ऐग्रीमेंट की क्या दुर्दशा दूसरे देश वाले कर रहे हैं और एक आप हैं

कि केवल एक प्रोटेस्ट के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इतने निराश्रित हैं। यह बड़े खेद की बात है कि एक सावरेन गवर्नमेंट जो अपने को पूर्ण शक्तिशाली मानती हो उस के नागरिकों की दाढ़ी मूंछ मूंड कर उसी के मुंह में डाल दी जाय और कह दिया जाय कि यह फ्रांस नहीं है, यह गोवा है, आप इस तरह से सत्याग्रहियों को भेज कर हम से गोवा नहीं खाली करवा सकते, और हम इस के उत्तर में यह कहते रहें कि हम तो महात्मा बुद्ध के पुजारी हैं, हम अशोक स्तम्भ की पूजा करते हैं, हम अहिंसात्मक रूप से अपना काम करते रहेंगे। जीवन लेना हमारा कार्य नहीं। मैं निवेदन करता हूं कि और यह शब्द मैं एक बार नहीं दस बार कह चुका हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही पूर्वी पाकिस्तान के लिये यह शब्द कहे थे कि हम थोड़े से लोगों के लिये सारे भारत की स्वतन्त्रता को ख़तरे में नहीं छोड़ सकते। मैं कहता हूं कि उस राष्ट्र को जीने का अधिकार नहीं है जिस का एक भी व्यक्ति शत्रु के क़ब्ज़े में हो और जिस को छुड़ाने की हिम्मत वह न रखता हो। अंगरेज़ों की एक लड़की मिस एलिस अफरीदियों के क़ब्ज़े में आई थी, मुझे याद है, अंगरेज़ों ने समूचे क्षेत्र को तोपों और हवाई जहाज़ों से बम वर्षा कर उड़ा दिया था। सारे क्षेत्र को साफ़ कर के एक लड़की को छुड़ा कर लाये थे।

हमारा यह अनुमान है कि २०, २५ हज़ार के बीच में हमारी बहनें और बहू बेटियां पाकिस्तान में क़ैद पड़ी हैं, और आप की हिम्मत नहीं है कि आप उन से कुछ कह सकें। वह आपके सामने यह कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुल दो ढ़ाई हज़ार केसेज़ बाक़ी हैं। इस लिये मैं निवेदन करता हूं कि मैं अपने कम्यूनिस्ट मित्र के उन शब्दों का समर्थन करता हूं। वह कहते हैं कि यदि आप एक्सटेन्शन चाहते हैं तो हमें एक्सटेन्शन स्वीकार है, लेकिन आप यह तो बतलाइये कि आप कोक्या क़दम उठाना है। आप अगर बिल का स्वरूप बदलना चाहते हैं तो हमें बतलाइये कि आप यह काम करने के लिये तैयार हैं जिस से हम अपना मार्ग निर्माण कर सकें। जिन भाइयों ने यहां अन्याय किया उस को आप ज़रूर हटाइये, लेकिन दूसरे देश के अन्दर जो अन्याय अपनी मां बहनों पर किया गयां उस अन्याय का आप कैसे परिमार्जन करेंगे? उस का तो आप कोई उपाय सोचिये। अन्याय करना बुरा है परन्तु दूसरों के अन्याय को सहना उस से भी बुरा है। किसी के साथ पाप करना बुरा है पर दूसरों के पाप और अपराध को सहन कर के उस के पाप करने की वृत्ति को प्रोत्साहित करना और उस से आगे के लिये हमारे देश के लोगों के प्रति दूसरों के मन में यह भावना उत्पन्न करना कि वह केवल हाथ जोड़ने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, इस लिये हम चाहे जो कुछ करते जायें, यह कुछ नहीं कर सकेंगे, यह और बुरा है। इस लिये जो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने फ़िगर्स के सम्बन्ध में ४९.९९ रिकरिंग कहा उसे सुन कर मुझे कुछ अचम्भा सा हुआ क्योंकि हमारे पास एक रिपोर्ट एक्स्टर्नल एफेअर्स मिनिस्ट्री की जारी की हुई है जिस के अन्दर यह था कि पिछले वर्ष के अन्दर २०,२५५ थे रेस्टोर्ड टु पाकिस्तान और उस के बदले में ८,८४४ थे रेस्टोर्ड टु इंडिया। अब यह ४९.९९ होता है या क्या होता है इस का अनुमान स्वयं मंत्री महोदय लगा लेंगे। इस के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं अपने देशवासियों से, अपने बन्धुओं से यह प्रार्थना करूंगा, यह अपील करूंगा कि उन के पास कोई सूचना किसी बहन के बारे में हो तो वह स्वयं उस को निकालें और पाप के भागी को सामने ले आयें, लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि हमारा सामान्य

(श्री नन्द लाल शर्मा)

कानून आज कुछ कर नहीं सकता है, पिछले दिनों चाहे कुछ भी स्थिति रही हो, लेकिन आज इमर्जेन्सी मेयर्ज के लिये कोई स्थान नहीं रहा । अब तो ऐसा नहीं कि वह आर्डिनरी क़ानून काम न कर रहा हो या इस प्रकार के जो रिएकशनरी एलिमेंट्स हैं वे इतने बलवान हो रहे हैं कि आप को अपना काम करने में या होम मिनिस्टरी के काम करने में रुकावटें डाल सकते हों । ऐसी कोई बात नहीं है । तो फिर जो आरडिनरी कानून है उस को बलवान बनाना चाहिये और आपको जो आजकल डाके डाले जा रहे हैं उनसे देश की रक्षा करनी चाहिए ।

रेस्टोरेशन के प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि इतनों को भारत में ही उनके सम्बन्धियों को रेस्टोर कर दिया गया और इतनों को रेस्टोर करके पाकिस्तान भेज दिया गया । मैं पूछना चाहता हूं और आप को इस बात का ध्यान होना चाहिये कि भारत के अन्दर अब भी कम से कम चार करोड़ मुसलमान रहते हैं और जो लोग पाकिस्तान चले गये हैं उन के सम्बन्धी भी यहां पर रहते हैं, कितने हिन्दू इस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान के अन्दर रहते हैं और कितनी देवियों के सम्बन्धी वहां पर इस वक्त रह रहे हैं ? यह बात समझ में नहीं आती कि कैसे पश्चिमी पाकिस्तान के अन्दर हिन्दुओं को पुनः रोक लिया गया जब कि वहां हिन्दू का नाम तक नहीं रहा । मैं यहां पर आप को बताना चाहता हूं कि पख्तूनिस्तान के अन्दर, जिस को कि आप ट्राइबल टैरिटरी कहते हैं, वहां से अभी थोड़े समय में मेरे पास एक देवी आई है, जो इस समय भी मेरे मकान पर है जिस के पति का वहां देहान्त हो गया है । वह देवी बड़ी मुश्किल से यहां आ सकी है । उसको एबडिक्ट परसंस की लिस्ट में रख लिया गया जब कि न तो वह पश्चिमी पाकिस्तान के किसी महकमे ने उसे खोजा और न ही एबडिक्टेड ही थी, वह तो फ्रंटियर टैरिटरी जिस को कि ट्राइबल टैरिटरी कहा जाता है वहां की रहने वाली थी और वहां से वह आई । जिन परिस्थितियों में वह वहां रह रही थी उन परिस्थितियों में सैकड़ों स्त्रियां वहां अब भी विद्यमान हैं । वह बातें बतलाती है कि किस प्रकार से उन के साथ वहां पर व्यवहार किया जाता है और किस प्रकार के अत्याचार वहां हो रहे हैं । एक स्त्री के साथ एक मुल्ला ने निकाह कर लिया और दूसरी को विवाह के लिये मजबूर किया और जब उसने इन्कार किया तो किस प्रकार उसको पटक कर मार दिया गया । इस लिये :

ब्रजान्तः ते मूढ़ धियः पराभव भवन्ति मायो विषुये न मायिन :

जो मूर्ख ठग के साथ ठगी करना नहीं जानता वह अवश्य पराभव पाता है, जो आपकी स्त्रियां कम दे, आप को अपहृत व्यक्तियों की संख्या कम बताये और आप को इंटरनेशनल जगत में खराब करे, मैं पूछता हूं कि उस के साथ कैसा सलूक होना चाहिये । पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हिन्दुस्तान में ५०,००० के करीब व्यक्ति अपहृत कर लिये गये थे जिन में से केवल २०,००० ही लौटाए गए और इस के विपरीत पाकिस्तान में अपहृत व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है और इसलिये आठ नौ हजार ही वापिस किये जा सके हैं । हम आप से कहते हैं कि यदि आप इंटरनेशनल जगत में राज्य का गौरव चाहते हैं राज्य सत्ता को बनाये रखना चाहते हैं तो आप को अपनी पालिसी बदलनी पड़ेगी । अगर आप यह कहें कि हमारे यहां बहुत बुरा हुआ और दूसरों के बारे में यह कहें कि वह तो हमारी सुनते ही नहीं तो इस से काम नहीं चलेगा । मिनिस्टर फार माइनारिटी एफेयर्ज से कई बार प्रश्न किये गये और हमेशा उन्हों ने यही कहा, "हम ने विरोध किया है किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला" । ऐसी दशा में जब हमें

अपने मिनिस्टरों से यह उत्तर मिले कि उन के अन्दर कोई शक्ति नहीं है और वे कुछ नहीं कर सकते हैं तो उस सूरत में जनता में हकूमत के प्रति निराशा फैलना, जनता के प्रतिनिधियों में जो यहां आये हैं, उन म निराशा फैलना एक स्वाभाविक सी ही चीज है। ऐसी दशा में हम हकूमत से क्या आशा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस रूप में इस विधेयक को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर सरकार विधेयक को लाना ही चाहती है तो इस को इस रूप में लाये जिस से कि हमें विश्वास हो जाये कि हमारी जो बहिनें बेटियां वहां पर रह गई हैं लाई जा सकेंगी।

इस भवन में मेरी बांई ओर बैठी एक देवी ने कहा कि हिन्दू परिवारों के अन्दर कई लोग ऐसे हैं जो उन देवियों को अपने घरों में रखना नहीं चाहते हैं और यह नहीं करना चाहते हैं और वह नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सिवाय प्रोपैगैन्डा के और कुछ भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि नवाखली में जिस वक्त पहले पहल कत्लेआम हुआ उस वक्त बड़े बड़े स्नातनियों ने, आर्थोडोक्स लोगों ने और श्री स्वमी कृपात्री जी ने कहा कि उन एबडकिटेड देवियों को गंगा स्नान करवा कर के एक दिन व्रत रखवा कर अपने घरों में ले लिया जावे। स्वयं मनु ने यह शब्द कहे हैं :

सर्वान्बल कृतानर्थान् अकृतान्मनुरब्रवत्

बलपूर्वक जो कर्म करवा जाता है वह कर्म न करने के समान होता है। ऐसे कर्म करने वाले को पाप नहीं लगता। ऐसी परिस्थितियों में यह कहना कि हमारी हिन्दु जाति उन को लेने के लिये तैयार नहीं है, झूठा प्रोपेगंडा है और भारतीय संस्कृति को खराब करने के लिये किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देशपांडे पांच मिनट बोलेंगे। इस के बाद में माननीय मंत्री का नाम पुकारूंगा।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैं बोलना चाहता हूं केवल पांच मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले ही श्री देशपांडे का नाम पुकार दिया है।

श्री वी० जी० देशपांडे : यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जो हम उस का विरोध कर रहे हैं वह इसलिये नहीं कर रहे हैं कि जो स्त्रियां इधर रह गई हैं उन को पाकिस्तान न भेजा जाय। हम चाहते हैं कि जो स्त्रियां इधर रह गई हैं उन को उधर भेज दिया जाय और जो उधर रह गई हैं उन को इधर लाया जाय। इस के बारे में कोई मतभेद नहीं हैं। परन्तु मैं देख रहा हूं कि हेतु के बारे में झूठे आरोप लगा कर त्रुटियों को छुपाने का यत्न यहां हो रहा है। जो हम इस बिल का विरोध करते हैं उस का एक कारण है। आज सात साल से यह जो अपहृत माताओं का संघठन है यह एक विकृत मनोवृत्ति से एक परवटिंड एप्रोच से अपना काम कर रहा है। इस की मनोवृत्ति यह रही है कि पाकिस्तान के अन्दर जो हिन्दू देवियां हैं उन को छुड़ाने के कोई विशेष यत्न नहीं हुए हैं। हो सकता है कि इस का पाकिस्तान में ज्यादा विरोध होता हो। परन्तु परिणाम प्रत्यक्ष है। बताया गया है कि पाकिस्तान में ३००० स्त्रियां पाकिस्तान के कर्मचारियों के पास हैं। मुझे पता नहीं कि यह बात कहां तक ठीक है। संभव है कि यह बात फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने आ जाये। हम ने यह भी देखा है कि वहां से सामाजिक कार्यकर्तत्री स्त्रियां उधर से इधर आई हैं परन्तु यहां कार्यकर्तत्री स्त्रियां जैसे कि हमारी सुचेता बहिन हैं और बाकी और स्त्रियां हैं उन को वहां काम करने जाने नहीं दिया गया। इस में एक विशेष मनोवृत्ति के लोग काम करते रहे हैं।

इस के अलावा यहां की परिस्थितियां और वहां की परिस्थितियां भिन्न रही हैं।

[श्री वी० जी० देशपांडे]

जिन स्त्रियों का जन्म यहां हुआ और जो विध्वा हो गई चूंकि उन के बहुत से सम्बन्धी यहां पर ही रहते थे इसलिये बहुत सम्भव है कि वह वापस जाना न चाहती हों और अपने सम्बन्धी जो उन के यहां रहते हैं उन के पास ही रहना चाहती हों। ऐसी स्त्रियों को जबर्दस्ती भेजने के प्रयत्न हो रहे हैं। उस वक्त जिस वक्त यह विधान लागू किया गया था शायद उस वक्त इस की आवश्यकता हो और शायद उस वक्त एमर्जेंसी पैदा हो गई हो। परन्तु आज छः सात सालों के पश्चात् ऐसा कानून जिस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न कर सकते हों इस की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ट्रीब्यूनल के सामने स्त्रियों की इच्छा देखी जाती है परन्तु प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने हैं। एक मुस्लिम स्त्री को जबर्दस्ती यहां से पाकिस्तान भेजा जा रहा था और इस के बारे में बहुत प्रयत्न भी हो रहा था लेकिन वह यहां पर उसी सूरत में रह पाई जब कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी कर दिये : एक तो हमारा विरोध इस बिल के बारे में जो कारण मैं ने अभी बताया है, इस लिये है।

दूसरी बात जिस लिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं वह यह है कि जो हिन्दू स्त्रियां अपहृत कर ली गई हैं उन को वापस लाने में आज जब कि छः सात साल हो गये हैं इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। एक ही काम इतनी देर से चला आ रहा है। यहां से हजारों ही स्त्रियां पाकिस्तान भेजी गई। आजाद काश्मीर में हजारों स्त्रियां आज हैं और उन की चिट्ठियां भी यहां आई थीं। मैं ने यह चिट्ठियां एक्सटर्नल अफेयर्ज मिनिस्ट्री को भेजी थीं परन्तु आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पूर्वी पाकिस्तान से हजारों लोग यहां आ रहे हैं और वहां पर भी जो स्त्रियां एब्डक्ट कर ली गई हैं और जो अत्याचार उन पर हो रहे हैं, उन को भी लाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इस के बारे में कोई प्रयत्न नहीं हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज तक कोई और मंत्री महोदय इस काम को कर रहे थे और अब वे बदल गये हैं और नये मंत्री महोदय आ गये हैं। वे कौन कौन से कार्यकर्ताओं और कार्यकर्तात्रियों की सहायता से कार्य करने वाले हैं, इस का मुझे पता नहीं है।

इस के आगे शायद यह कोई काम कर सकते हैं। परन्तु यह कानून केवल दो महीने के लिये लाया गया है और मंत्री महोदय ने कहा है कि उस के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का निर्णय देख कर कार्यवाही की जायेगी। शायद उस के बाद मंत्री महोदय यहां नया विधेयक ला सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इस का आर्गेनाइजेशन दूसरे तरीके का हो। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस थोड़े से समय में—दो महीने में—कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है और इस विषय में हम अपना विरोध मंत्रीमहोदय के सम्मुख पेश करना चाहते हैं। आज तक जिस प्रकार से कार्य हुआ है, उस में न तो उधर से हमारी स्त्रियां ही आ सकी हैं और न ही यहां की स्त्रियों के स्वातन्त्रय के प्रति कोई सद्भावना दिखाई गई है। हम ने कई केसेज ऐसे देखे हैं, जिन से हम ने यही धारणा बनाई है कि आप के हृदय में स्त्री का मूल्य एक सम्पत्ति—चैटल—से ज्यादा नहीं है। यह न देखते हुए कि कोई स्त्री क्या चाहती है, कहां रहना चाहती है, उस की इच्छा क्या है, केवल यह जान कर कि वह मुसलमान थी, पुलिस उस को पकड़ कर ले जाती है और यह समझ कर कि यह मुसलमान होने से ही पाकिस्तान की सम्पत्ति है, उस को पाकिस्तान भेज दिया जाता है। इस प्रकार के कार्य स्त्री के मूल्य को घटाने वाले और स्त्री के सम्मान को गहरी चोट पहुंचाने वाले हैं उधर से तो कोई स्त्री आई नहीं, इधर की स्त्रियों को चुन चुन कर भेज कर क्यों आक्षेप ले

रहे हैं ? आजाद काश्मीर और पूर्वी पाकिस्तान की अपहृत महिलाओं को वापिस लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है ।

अन्त में मैं एक ही बात कहूंगा । दो महीने के पश्चात् आप जो कोई भी कानून बनायें, जो परिस्थिति है, आप की जो मनोवृत्ति है, आपकी जो मशीनरी है, उस को देखते हुए यह आशा करनी व्यर्थ है कि आप पाकिस्तान से बहुत सी स्त्रियों को छुड़ा लायेंगे । यहां से जाने वाली स्त्रियों के बारे में हम कहेंगे कि इस बारे में आर्डिनरी कानून बना लो । यह प्रिजम्प्शन मत कीजिये कि चूंकि किसी स्त्री का पति पाकिस्तान में रहता है या वह मुसलमान है, इसलिये उस को पकड़ कर पाकिस्तान भेज दिया जाय । जब तक वह कोर्ट में अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती, कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं कहती कि मुझे यहां जबर्दस्ती रखा हुआ है और मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूं, नियमित रूप से एडवोकेट आए, एविडेंस आए, तब तक उस को कहीं भेजा न जाये । इस समय आप जो कुछ कर रहे हैं, वह इस विकृत मनोवृत्ति के कारण कर रहे हैं कि हम बड़े धर्म-निरपेक्ष हैं और इसका नतीजा केवल यही है कि हम मुस्लमानों की स्त्रियां पाकिस्तान भेज रहे हैं । मैं आप से कहुंगा कि केवल यह बताने के लिये कि हम बड़े धर्मवीर हैं, आप पाकिस्तान में रहने वाली बेचारी हिन्दू देवियों को दुख न दीजिये और यहां की मुस्लिम स्त्रियों का स्वातंत्रय अपहरण न कीजिये । इतनी ही मेरी प्रार्थना है ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : यह एक बहुत सरल सा विधेयक है, इस का उद्देश्य केवल अधिनियम की अवधि बढ़ाना है । संयुक्त तथ्य अन्वेषण आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर यह मामला फिर सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

मैं इस का समर्थन करता हूं तथा चाहता हूं कि सीमा के दोनों ओर ऐसी व्यवस्था की जाये जिस से कि कम से कम आगामी बीस वर्षों तक अपहृत स्त्रियों की खोज तथा वापसी का कार्य जारी रखा जा सके ।

यह विधेयक हमारे जीवन की एक दुःखद घटना से सम्बन्धित है । विभाजन के समय हम सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता प्राप्त करने के बाद भी अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सके थे । परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि भारत सरकार या पाकिस्तान अपहृत महिलाओं की पुनः प्राप्ति में कुछ अधिक सहायता नहीं कर सकी है, पर तो भी प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी स्त्रियों की खोज तथा पुनः प्राप्ति में सहायता दे । निसन्देह यह एक कठिन कार्य है । इस सरकार को प्रेषित की गई एक रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि यह कठिन कार्य है । अभी तक दोनों सरकारें इस कार्य में अधिकांशतः असफल रही हैं । उक्त रिपोर्ट की कंडिका २ में लिखा है कि 'प्रभावित स्त्रियों' में सहयोग का सर्वथा अभाव है । स्त्रियां 'गुंडों' के कब्जे में हैं और इसलिये उनके निकल आने की कोई संभावना नहीं है ।

यह तो मुझे ज्ञात नहीं कि १९५५ में क्या स्थिति है, कदाचित संयुक्त तथा अन्वेषण आ [illegible] बता सके कि आज [illegible]ह कार्य उतना ही कठिन है या सरल हो गय। [illegible]र उसी से हम यह निष्कर्श निकाल सकते हैं कि सरकार अपने इस प्रयत्न में कितनी सफल हुई है ।

कुछ समय पूर्व हमें यह सूचना मिली थी कि पाकिस्तान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि [illegible] खोज करने वाले व्यक्तियों को भी जाने की अनुमति नहीं थी । आज भी वे [illegible]त है या कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यह हमें [illegible] नहीं है । हमें यह सब सूचना तथा [illegible] के समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात होगी ।

(श्री बर्मन)

सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि दोनों ओर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जो स्त्रियों की खोज लगाये, उनका उद्धार करे और उनको आश्रय दे। दोनों सरकारों का यह प्रथम कर्तव्य है और मुझे विश्वास है कि दोनों सरकारें अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होंगी।

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनपर गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में सभी का यहमत है कि यह एक मानवीय कार्य है और इसे जारी रखा जाये और यह प्रयत्न किया जाये कि जो स्त्री दूसरे देश को जाना चाहे उसके लिये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जायें जिससे कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके साथ ही यह देखकर भी संतोष होता है कि प्रायः सभी की यह सम्मति है कि बिना इस बात का बिचार किये कि दूसरा देश क्या कर रहा है अपना कर्तव्य पूरा करते चले जायें। इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जायें जिनसे कि अपहृत महिलाओं की पुनः प्राप्ति में सहायता मिले। ऐसा करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? क्या हम दूसरे देश में जो कुछ हो रहा है उस की निन्दा करके इस कार्य को पूरा कर सकते हैं? ऐसी भावना से कोई लाभ नहीं होगा। क्या किया जाना चाहिये इसके सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिये गये हैं।

मेरे विचार से इस मामले का निपटारा विदेशी नीति की आलोचना किये बिना किया जा सकता है। यह तो केवल मानवता का प्रश्न है और इस में विदेशी नीति को समेटना ठीक नहीं होगा।

हम यह बात भूल जाते हैं कि कठोर शब्द कठोर कार्यवाहियां नहीं हुआ करते हैं और साधारणतः ऐसा होता है कि जो कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं उन का कठोर कार्यवाही किये जाने के अवसर पर कहीं खोज भी नहीं मिलता है।

इसलिये हम ने संयत भाषा का प्रयोग करने का निश्चय किया है ताकि जब कभी भी ठोस कार्य करने का अवसर आये तो हम आशा के अनुसार ही कार्य कर सकें। यह आशा करना कि जितना कुछ हम यहां करते हैं उस से कहीं अधिक ऊपर वालों को करना चाहिये, मेरे विचार से मानव स्वभाव के विरुद्ध है, और यहां वालों के प्रति कोई रुख अपनाना और यह आशा करना कि अन्य लोग सर्वथा एक भिन्न प्रकार का व्यवहार करेंगे या भिन्न विधि बनायेंगे एक ऐसी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती है। इस ओर, सामान्य विधि पुनः स्थापित होनी चाहिये और हमें वह सब कुछ भूल जाना चाहिये जो उस अशुभ काल में हुआ। दूसरी ओर, आप कहते हैं कि कोई ऐसी बात होनी चाहिय प्रगितशील, महान और असाधारण हो। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? मैं यह अवश्य कहूंगा कि मैं इस दृष्टिकोण का वास्तविक अभिप्राय नहीं समझ सका।

जहां तक साधारण बातों का सम्बन्ध है अधिक संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग पर जो जोर दिया गया है, वह ठीक दृष्टिकोण प्रतीत होता है। मैं यह बता दूं कि इस कार्य में विभिन्न स्थितियों में पहिले से ही अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। जांच पड़ताल की स्थिति में, सामाजिक शिविरों में उन्हें सहायता देने की स्थिति में मनोवृत्यात्मक पुनर्वास की स्थिति में जो ऐसे मामलों म बहुत ही आश्वयक है। सामाजिक कार्यकर्ताओं में अधिकांशत महिला कार्यकर्ताओं के होने के कारण, सामाजिक-कार्यकर्ता इस प्रकार के कार्य में सदैव ही सम्मिलित रहे हैं। मैं इस सभा के उन सदस्यों से

सहर्ष मंत्रणा अथवा परामर्श लूंगा जो इस समस्या को जटिल बनाने की बजाय यह सुझाव दें कि इस का सर्वोत्तम समाधान क्या हो सकता है। इस दृष्टि से, कुछ सुझाव दिये गये हैं। और यह सुझाव कि कार्यदृष्टि प्रशासी होने की बजाय सामाजिक हो उत्तम है और वास्तव में अब तक यही कार्यदृष्टि रही है। अब तक हम जो भी करते रहे हैं उस की अपेक्षा अधिक यह सामाजिक कार्यदृष्टि ग्रहण करने का अधिक प्रयत्न किया जायेगा।

चर्चा में भाग लेने वाले बहुत से सदस्यों ने कहा है कि ये छोटे छोटे विस्तार उन लोगों में कुछ अनिश्चितता की भावना उत्पन्न करते हैं जिन्हें इस नीति की कार्यान्विति में अभिरुचि है। इसके अतिरिक्त, कदाचित इस से अपहृत लोगों में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि कदाचित उन की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वे, चाहे अपनी इच्छा के विरुद्ध ही हो, अपने को कभी कभी अपने भाग्य पर छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अतः स्वतन्त्रता के वातावरण में किये जाने वाला आग्रह लोप हो जाता है। उस मत में पर्याप्त दृढ़ता प्रतीत होती है, और एक माननीय सदस्य ने वास्तव में इस संशोधन की सूचना दी है कि अधिनियम की अवधि नवम्बर १९५६ तक बढ़ा दी जाये, और उस से पहिले तथ्य निर्धारण आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा। परन्तु लगभग एकमत से व्यक्त की गई इस इच्छा के विचार से कि ऐसे व्यक्तियों को भारत में पुनः प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिये। और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयत्न जारी रहना चाहिये जिन में ऐसी अमुसलिम स्त्रियां या अन्य अपहरण किये गये व्यक्ति जो अभी तक पाकिस्तान में हों, पुनः प्राप्त किये जा सकें और हमारे पास लाये जा सकें, सरकार इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार है। मैं यह और बता दूं कि तथ्य निर्धारण अयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मामले पर फिर विचार किया जायेगा और सभा में माननीय सदस्यों ने जो मत व्यक्त किये हैं उन का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा और यदि, आयोग के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप कोई पविर्तन आवश्यक होगा तो सरकार उस समय विद्यमान विधि में परिवर्तन करने की दृष्टि से यहां सभा में आने में नहीं हिचकिचायेगी परन्तु, यदि उस के परिणामस्वरूप, यह आवश्यक समझा जाता है कि प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करके जैसे न्यायाधिकरण को सुदृढ़ बना कर या अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित कर के या इसे प्रशासी रूप देने की अपेक्षा अधिक सामाजिक रूप देकर प्रक्रिया को जारी रखा जाये, तो इन बातों के अतिरिक्त जो लगभग प्रक्रियात्मक हैं, यदि कोई मूल परिवर्तन आवश्यक न होने पर यह कदाचित इस सभा के बहुमूल्य समय पर, यदि तीन मास पश्चात् फिर मुझे कालावधि के लिये इस सभा में आना पड़ा, भार होगा। केवल इस दृष्टि से सरकार यह संशोधन स्वीकार करेगी कि इसकी अवधि नवम्बर १९५६ तक बढ़ा दी जाये। परन्तु यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हुआ तो हम उस के लिये सभा के सम्मुख आयगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि समस्याओं के विचारों की बड़ी सावधानी से जांचपड़ताल की जायेगी तथा इस काम को सच्ची माननीय भावना से चलाया जायेगा तथा उस में सामाजिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम, १९४९ को अग्रेतर कालावधि के लिय चाल वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

खंड २ (धारा १ आदि का संशोधन) संशोधन हुआ : पृष्ठ १, पंक्ति १० में, "१९५५" के स्थान पर "१९५६" रखा जाय।

–[सरदार इकबाल सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३, खंड १, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्री कामत ने अन्त में विधेयक पर बोलने की अनुमति मांगी और अनुमति न मिलने पर विरोध में यह कहते हुए कि आप का व्यवहार बहुत अन्यायपूर्ण है, सभा से बाहर चले गये)।

समवाय विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक पर खंडानुसार विचार करेगी।

प्रथम वर्ग में १ से ८० तक खंड हैं और इन के लिये ९ घंटे नियत हैं। जो सदस्य इन खंडों के संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे अपने संशोधनों संख्या यह बताते हुए कि उन का संबंध किस खंड से है, १५ मिनट म सचिव को दे दें और वे प्रस्तुत हुए समझे जायेंगे बशर्ते कि वे अन्यथा प्रस्तुत हो सकते हों। जो सदस्य यहां नहीं हैं, उन के संशोधनों को प्रस्तुत हुआ नहीं माना जायेगा। जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं उन्हें अपने संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब मैं समय की बचत करने के लिये कर रहा हूं। इस बीच में चर्चा होती रहेगी।

श्री **तुलसीदास** (महसाना पश्चिम) : २ से ८० तक खंड लेने के बजाय मेरा सुझाव है कि हम प्रथम अध्याय से आरम्भ करें और केवल खंडों के ही संशोधनों पर विचार करें। अन्य अध्याय बाद में लिया जायेगा।

श्री **एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : मेरा सुझाव है और आशा है कि माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि २ से १० तक के खंड पहिले लिये जायें। यदि कृपया आप खंडों पर ध्यान दें तो विदित होगा कि इन १० खंडों के तीन भाग हैं, प्रथम परिभाषा आदि का; द्वितीय निर्वचन का; और तृतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का। यह अच्छा होगा कि हम इस वर्ग को लें और समाप्त कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं। इस बीच में, माननीय सदस्य और माननीय राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री हमें यह बता दें कि ये ९ घंटे इन खंडों के लिये कैसे बांटे जायें। मेरा ख्याल है कि हम २ से १० तक के खंडों को एक वर्ग में रख सकते हैं। दूसरा खंड ११ से १९ तक के खंडों का होगा। फिर खंड २० आता है : समवायों के नाम के बारे में उपबन्ध; पार्षद् अन्तर्नियम, आदि, खंड २५ से ३०। फिर हम खंड ३१ से ४१ तक ले सकते हैं। फिर, ४२ से ४४ तक के खंड आते हैं। गैर-सरकारी समवाय। फिर, संविदा और विलेख, सूचना देना आदि हैं। वह अन्य वर्ग होगा। फिर भाग ३ होगा। यदि यह ६ या ७ वर्ग होते हैं तो हम ले सकते हैं।

श्री **अशोक मेहता** (भंडारा) : खंड २ के सब से अधिक संशोधन हैं। मेरा ख्याल है

कि हमें उस खंड पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय देना होगा ।

श्री **एन० सी० जटर्जी** : यह ठीक है कि श्री अशोक मेहता यह कहते हैं कि सबसे अधिक संशोधन प्रथम वर्ग के हैं, अर्थात् भाग १ जिस में २ से १० तक खंड सम्मिलित हैं । यदि आप इसे एक वर्ग बनादें और इस के लिये ५ घंटे दें, तो मेरा ख्याल है कि यह सर्वोत्तम रहेगा । यदि आप शेष को भाग २ और भाग ३ में बांट दें और प्रत्येक के लिये २ घंटे दें, तो अच्छा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : समय का नियतन करने में वर्ग के महत्व का ध्यान रखा जायेगा । जहां तक खंड २ से १० तक का सम्बन्ध है, इन के अनेकों संशोधन हैं और इस वर्ग को अधिक समय मिलेगा । माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिये, हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं । श्री एन० सी० चटर्जी के सुझावनुसार हम प्रथम भाग में २ से १० तक के खंड ले सकते हैं, और भाग दो दो भागों में बांट सकते हैं : अन्तर्नियम ज्ञापन, परिषद् अन्तर्नियम आदि ।

श्री **एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : फिर भी, विवरण अन्तर्नियम ज्ञापन से बहुत अधिक संबद्ध रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तिम सहमति यह है कि २ से १० तक खंडों को एक वर्ग, ११से ६७ तक खंडों को दूसरे भाग, और ६८ से ८० तक के खंडों को तीसरे वर्ग के रूप में लिया जायेगा । किसी विशेष भाग का कोई संशोधन नहीं है, पूंजी आवंटन आदि के मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं । समय के आवंटन में केवल संशोधनों की संख्या को ही आधार नहीं माना जा सकता । मेरा ख्याल है कि इन तीनों भागों को क्रमानुसार चार, तीन और दो घंटे दिये जायें ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मेरा ख्याल है कि ५, २½ और १½ घंटे ठीक रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री **तुलसीदास** : यदि हम १ से १० तक खंडों का एकवर्ग बनायें भी तो भी विभिन्न विषय हैं । जब हम खंड १० पर विचार करेंगे, उस समय हमें ८० तक के खंडों पर विचार करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आरम्भ में हम २ से ८० तक के खंडों पर विचार प्रकट करना चाहते थे । हम अब खंड २ से १० को लेते हैं ।

इन पर या उन के संशोधनों पर कोई भी सदस्य बोल सकता है । मतदान के लिये रखते समय यदि किसी सदस्य ने चाहा, तो हम उन्हें पृथक् ले लेंगे, अन्यथा मैं उन्हे साथ-साथ रखूंगा । खंड २ से १० को ५ घंटे मिलेंगे, ११ से ६७ को २½ घंटे, और शेष ६८ से ८० को १½ घंटे ।

५ घंटे बाद मैं मुखबंध लगा दूंगा ।

श्री **सी० डी० देशमुख** : क्या हम अब शुरू करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री **एन० सी० चटर्जी** : पहले मंत्री जी संशोधनों के बारे में कुछ कह दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, यदि वह बता दें कि कौन-कौन संशोधन वह स्वीकार कर रहे हैं, तो सुभीता रहेगा और माननीय सदस्य-गण उन संशोधनों में उठाई गई बातों पर जोर न देंगे ।

श्री **एस० वी० रामस्वामी** (सैलम) : खंडवार संगठित सूची अभी हमें नहीं दी गयी है । यह सूची जो दी गई है, इस में प्रत्येक खंड के संशोधनों की संख्या मात्र दी गयी है । मैं चाहता हूं कि सूची १, २, ३ आदि के स्थान पर एक संगठित सूची दी जाये, जिस में पूरे संशोधन भी दिये गये हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यालय द्वारा सभी सूचियों में अब एक ही क्रमांक दिया जाता है साथ ही एक विवरण में खंडवार संशोधन संख्या भी लिख दी गयी है ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

श्री एस० एस० मोरे : पहले संशोधनों की संख्या की नहीं, बल्कि संशोधनों की ही संगठित सूची दी जाया करती थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझा नहीं कि माननीय सदस्यगण चाहते क्या हैं । सूची में खंड २ दिया गया है और उस के आगे उस खंड के सभी संशोधन दिये गये हैं । जहां सरकार के संशोधन हैं । वहां 'सरकार' लिखा गया है । माननीय सदस्यों को दोनों सूचियां साथ-साथ मिलानी होंगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : अब तक संशोधन संख्या न दे कर संशोधन ही दिये जाते थे । अब केवल संख्या दी गई है और यह भी नहीं बताया गया है कि वह संख्या किस सूची में है । सदस्यों के पास काम अधिक होता है और समय कम ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले प्रत्येक सूची में संख्या अलग-अलग होती थी और वह १ से शुरू होती थी, अब १ से १००० तक सभी सूचियों में एक ही क्रम में संख्या दी जाती है, अतः सदस्यों को उसे ढूंढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । मैं इसलिये अधिक समय न दूंगा । सदस्यों को इस बारे में थोड़ी तकलीफ उठानी चाहिये ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : वह कल संगठित सूची भेज दें ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह असुविधाजनक तरीका है । इस से सभा की कार्यवाही के साथ-साथ संशोधनों को देखते चलने में परेशानी होगी । नियत किये गये थोड़े से समय में संशोधनों को खोजने में ही बहुत समय लग जायेगा । पुराना तरीका ठीक था ।

उपाध्यक्ष महोदय : पुराना तरीका तो प्रत्येक सूची में १ से संख्या शुरू करने का था । अब एक ही क्रम संख्या रखने से कोई दिक्कत नहीं है । दुबारा पूरी सूची छापने से कोई लाभ न होगा । मान लो, अब कुछ संशोधन आयें, तो उन को १, २, ३ के क्रम से न रखा जायेगा । एक क्रम संख्या दे कर और फिर यह एक कुंजी निकाल देने का तरीका कुछ समय से चल रहा है । माननीय सदस्यगण को थोड़ी असुविधा की परवाह नहीं करनी चाहिये ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : कार्यालय हमारी सहायता के लिये है और उसे कुछ असुविधा उठानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा माननीय मंत्री जी ।

खंड २ से १०

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इन के संशोधन संख्या २४५ से २६७ तक, संशोधन संख्या २८२ से २८४ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । इस से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि आपको सूचना मिली है कि कुछ और संशोधन रखे गये हैं, जो स्वीकार करने योग्य हैं, इसलिये मैं उन का क्रमांक बताना चाहता हूं । वे खंड २ के संशोधन संख्या ३२५, ३२७, ३२९, ३३३, ३३५, और ३३७ हैं । ये सब श्री सी० सी० शाह के नाम से हैं । हम उन्हें स्वीकार कर लेना चाहते हैं ।

यद्यपि २४५ से २६७ के संशोधनों की संख्या अधिक मालूम पड़ती हैं, परन्तु उन का स्पष्टीकरण बहुत संक्षिप्त सा है । इन संशोधनों का उद्देश्य खंड २, उपखंड (३) में आये हुए 'सहकारी' (एसोशियेट) शब्द की परिभाषा को अपेक्षतया अधिक सीमित कर देना है । प्रबंधक एजेंसी कम्पनी के प्रबंधक या निदेशक के किसी रिश्तेदार को अनर्ह बनाने के लिये यह प्रत्यक्ष ही जरूरी है, अन्यथा खंड ३५६ के अन्तर्गत सहकारियों की विक्रय-ऐजेंट, क्रय-एजेंट आदि के रूप में नियुक्ति पर बंधन लगाने वाले उपबन्ध बेकार हो जायेंगे । किसी रिश्तेदार को अनर्ह बनाना, परन्तु उस फर्म को अनर्ह न बनाना, जिस में उस के

अंश हैं—भले ही यह अंश चौदह आने का ही हो—असंगत होगा और अनर्हता लगाने के उद्देश्य को विफल बना देगा। उसी प्रकार भागीदार को अनर्ह बनाने का अर्थ है, उस फर्म को भी अनर्ह बनाना जिस में भागीदार एक सदस्य है। एक निगम-निकाय में कुल मतदान-शक्ति का प्रतिशतक जोड़ने के लिये जिस के परिणाम-स्वरूप निगम-निकाय अनर्ह हो जायेगा, यह आवश्यक है कि केवल भागीदार या भागीदारों या फर्म या फर्मों के द्वारा प्रयुक्त किये जा सकने वाले मतदान-अधिकार को ही शामिल न किया जाये, बल्कि रिश्तेदार या रिश्तेदारों और निजी कम्पनी या कंपनियों द्वारा प्रयुक्त किये जा सकने वाले मतदान, अधिकार को भी शामिल किया जाये। भागीदार की स्थिति रिश्तेदार जैसी ही है और निजी कम्पनियों की स्थिति फर्मों जैसी है। निजी कम्पनियों को शामिल किये बिना केवल फर्मों को ही शामिल करना हमारे उद्देश्य को विफल कर देगा, क्योंकि अपने आप को निजी कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध करा के कोई भी फर्म अनर्हता से बच जायेगी। यह बात खंड २(३) के सभी संशोधनों को समेट लेती है।

खंड २(४) के संशोधन उपखंड (३) के सशोधनों के आधार पर ही रखे गये हैं, जिसके बारे में मैं कह चुका हूं। उनमें नयी बातें नहीं हैं, और न उन सशोधनों के कारण वही हैं, जो उपखंड (३) के संशोधनों के हैं।

अब मैं खंड २ के कुछ और संशोधनों को लेता हूं। खंड २(१५) का संशोधन संख्या २८५ है। इस का अभिप्राय खंड ५० को स्पष्ट करना है, जिस में आयकर अधिनियम के अनुसरण में निकाले गये आयकर नोटिस आदि के दस्तावेजों के, या किसी अधिनियम के अनुसार नहीं, बल्कि सामान्य रूप में भेजे गये पत्रों आदि के, दिये जाने के तरीकों का उपबन्ध रखा गया है। यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की सिफारिश के अनुसार किया गया छोटा सा संशोधन है।

फिर खंड २ के उपखंड (३०) का एक छोटा सा संशोधन संख्या २८३ है :

वहां जो तीन धाराओं के नाम दिये गये हैं, वे गलती से छप गये हैं। उन में से किसी में भी लेखा-परीक्षक का उल्लेख नहीं है। इसलिये इन खंडों के निर्देश का लोप दफ्तर की गलती ठीक कर देता है।

फिर खंड २(४०) का संशोधन संख्या २८४ है। वह खंड ४ के विस्तार के कारण आनुषंगिक है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त, संयुक्त और उप पंजीयकों (रजिस्ट्रारों) की नियुक्ति करने की व्यवस्था अलग से की गयी है।

फिर खंड ३ (१) (२) (च) का संशोधन संख्या २८५ है। यह संशोधन कंडिका (च) को बढ़ा देता है, जिस से उस में न केवल भाग 'ख' राज्य आ जायें, बल्कि विलीन प्रदेश भी आ जायें, जो भाग 'ग' राज्यों को और भाग 'क' राज्यों में विलीन प्रदेशों को भी समेट लेंगे। यह कंडिका को भारतीय आयकर अधिनियम में दी गयीं विद्यमान समवाय की परिभाषा के अनुकूल बना देता है। यहां पर हमें आयकर अधिनियम की धारा २ के खंड ७ 'क' का निर्देश करना चाहिये, जो उस में १९५४ के अधिनियम ४१ के द्वारा रखी गयी थी।

फिर खंड ४ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या २८६ भी है। स्पष्टीकरण यह है कि जहां इंगलैंड में पंजीबद्ध किसी निगम निकाय या किसी अन्य कंपनी में मतदान प्रणाली इस विधेयक में अपनायी गयी प्रणाली से भिन्न है, यह हो सकता है कि वह कंपनी इंगलैंड की विधि या किसी अन्य विधि के अनुसार निगम-निकाय की एक सहायक या अंशधारी कंपनी हो, पर भारतीय विधि के

[श्री सी० डी० देशमुख]

अनुसार स्थिति यह नहीं है । इस के फलस्वरूप एक असंगति पैदा हो जायेगी अर्थात् इंगलैंड में इंगलैंड की कंपनी की सहायक कंपनी इस देश में उसी कम्पनी की सहायक कंपनी नहीं मानी जायेगी । अतः यह वांछनीय समझा जा रहा है कि एक विदेशी निगम निकाय की सहायक या अंशधारी कंपनी को इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये भी उस निगम निकाय की सहायक या अंशधारी कंपनी बना दिया जाये

इस वर्ग में अन्तिम संशोधन संख्या २८७ है, जिस का सम्बन्ध खंड ६ से है । यह वांछनीय समझा गया कि सगे चचा और दामाद आदि के लड़का और लड़कियों को यदि वे उसी संयुक्त परिवार के सदस्य न हों, तो रिश्तेदार न माना जाये ।

सरकार के संशोधनों या उन संशोधनों के बारे में जिन को सरकार स्वीकार करती है, बस यही कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बीच में कार्यालय से संशोधन-सूचियों के बारे में बात कर रहा था । यदि संशोधन पुनः खंडवार छापे जायें, तो सदस्यों की निःसंदेह सुविधा होगी । पर जांच करने पर पता चला कि इस में यह दिक्कत है कि किन्हीं खंड समूहों पर चर्चा आरम्भ होने से पहले किसी समय विशेष तक सभी संशोधन आ जायें, तो संगठित सूची बन सकती है, पर अन्तिम खंड तक उन के पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र की परंपरा आती रहती है । ऐसी स्थिति में उन्हें कैसे संगठित किया जा सकता है । ब्रिटिश हाऊस आफ कामन्ज में पहली संगठित सूची, दूसरी संगठित सूची इस प्रकार सूचियां निकाली जाती हैं । मैं देखता हूं कि एक निश्चित समय विशेष तक सभी संशोधनों का सोच लेना सदस्यों के लिये कठिन है और कुछ चर्चा के बाद और संशोधनों की आवश्यकता महसूस होने लगती है । इरादा यह नहीं है कि संशोधनों का देखना सदस्यों के लिये किसी प्रकार असुविधाप्रद बना दिया जाये ।

पहले अलग-अलग क्रमांकों वाली सूचियां निकलती थीं, फिर क्रमांक एक ही कर दिये गये । बाद में अब खंडवार कुंजी भी दी जाने लगी है । अब खंडवार पूरी संगठित सूची की मांग की जा रही है । यह निश्चित रूप से सुविधाजनक होगी और संभव भी है, पर प्रश्न यह है कि इस दिशा में खंड समूह विशेष के बारे में एक निश्चित समय तक निश्चित दिन, घंटा मिनट तक—संशोधन दिया जाना बन्द कर देना पड़ेगा । हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या हम इस के लिये तैयार हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : पहले संगठित सूची बने और फिर पीछे आने वाले संशोधन अलग सूचियों में निकलें । बाद में सब को संगठित कर दिया जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : संविधान सभा में इसी प्रकार पहली, दूसरी आदि संगठित सूचियां निकलती थीं । मान लो, १५ सूचियां निकलीं तो, उन्हें संगठित किया जा सकता है, शेष बाद वाली सूचियां अलग रहें । मैं ने तो सभी संशोधन ध्यान से पढ़ लिये हैं । पर साधारणतः सदस्यों को पता न चलेगा कि कौन संशोधन कहां हैं, कौन सरकार द्वारा स्वीकार किये जा रहे हैं । अतः अच्छी प्रकार से चर्चा करने के लिये संगठित सूची आवश्यक है । अन्यथा हम कुछ न समझेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा

श्री एस० एस० मोरे : वित्त मंत्री जी ने अपने संशोधनों की संख्या बताने की कृपा की थी । इतनी बड़ी संख्या में से उन्हें खोजना बड़ा

कठिन है । सरकारी संशोधनों या सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने वाले संशोधनों की हमें पहले सूचना दे दी जाये, तो हम तैयार हो कर आयेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करना संभव नहीं है । माननीय मंत्री जी यहां लोगों के बहुमत के विचार से बाद में भी किसी संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं । वह पहले सूचना कैसे दे सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विरोधी-दल के सशोधन भी स्वीकार कर सकता हूं; मैं स्वयं पहले से नहीं जान सकता ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं वैसा आशावादी नहीं

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य से स्वयं या अन्य सदस्यों के साथ मिल कर प्रत्येक संशोधन को पढ़ने की आशा की जाती है । यह आसान नहीं है कि वित्त मंत्री जी पहले से बता दें कि वह कौन-कौन से संशोधन स्वीकार करेंगे ।

में कार्यालय और अध्यक्ष महोदय से संगठित सूची के बारे में बात करूंगा । संभव हुआ, तो वैसा हो जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे संशोधन तो एक सिलसिले में होने से कारण संगठित ही हैं, जैसे वे २४५ से लगातार २६७ तक हैं । अतः पंडित ठाकुर दास भार्गव को न समझने की शिकायत .....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने तो सभी संशोधन पढ़े हैं, और समझ लिये हैं । परन्तु प्रत्येक सदस्य के लिये समझना कठिन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे भी उसी प्रकार समझ सकेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ऐसा कहते हुए वास्तव में अंकित सत्य बता रहा हूं कि यदि आ संशोधन सख्या २४५ से प्रारम्भ करते हैं तो आप को २६७ तक विचार करते चले जायेंगे । इस सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा वक्तव्य भी दे चुका हूं । ये सभी छोटे छोटे संशोधन हैं क्योंकि वे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, एक दूसरा अन्य संशोधन वर्ग २८२ से २८७ तक का है। परन्तु वह अन्य स्थान पर हैं। सूची में भी ये संशोधन एक साथ ही लिये जायेंगे तथा स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा इसलिये यदि सारे संशोधन आप के समक्ष हैं तो उन को समझना कठिन होगा । अतः यदि आप उन की आलोचना करना चाहते हैं तो आप को उन संशोधनों से सम्बधित बातों का अध्ययन करना पड़ेगा ? परन्तु यदि माननीय सदस्य उन्हें तभी देखें जब मैं उन्हें पढ़ूं तो उन को वह कभी भी नहीं समझ सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम २ से १० तक के खंडों सम्बन्धी संशोधनों पर विचार करेंगे, यह खंड समवाय विधि की आत्मा है तथा इस के लिये पांच घंटे निश्चित किये गये हैं ।

श्री तुलसी दास: मैं ने खण्ड २ पर संशोधन संख्या १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२ तथा १५३, खंड ५ पर संशोधन संख्या १५४ तथा खण्ड ६ पर संशोधन संख्या १५६ प्रस्तुत किये हैं ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

संशोधन संख्या १४७ से १५० रिश्तेदारों के प्रश्न के सम्बन्ध में हैं । मैं परिभाषा में सहकारी (ऐसोसियेट) शब्द का विरोधी नहीं हूं प्रत्युत चाहता हूं कि वहां से सम्बन्धी शब्द हटा दिया जायें । भारतीय समवाय (संशोधन) अधिनियम १९५१ में 'प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सहकारी' शब्द रखे गये हैं । तथा समवाय विधि समिति के २८ वें प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि 'प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सांझेदारों' शब्दों की परिभाषा की आवश्यकता

[श्री तुलसी दास]

इसलिये हुई क्योंकि जिस से भारतीय समवाय अधिनियम में कोई कमी ही न रह जाये। प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कार्यों पर नियंत्रण लगाना व्यर्थ रहेगा यदि ये प्रबन्ध अभिकर्ता अभिकरण के कार्य को अपने साथियों द्वारा कराते रहें।

इसका प्रभाव निम्नलिखित खण्डों पर पड़ता है। खण्ड २, खण्ड १८८ (२) (ग), खण्ड २३८, खण्ड २३६, खण्ड २४०, खण्ड २४१, खण्ड २४२, खण्ड २४४, खण्ड २४६, खण्ड २४८, खण्ड ३०६, खण्ड ३५६, खण्ड ३५७, खण्ड ३५८, खण्ड ३६०, खण्ड ३६१, खण्ड ३६३, खण्ड ३६६, खण्ड ३७१।

मूल विधेयक में, 'सहकारी' शब्द की परिभाषा के सम्बन्ध में भाभा समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई थी। परन्तु फिर भी संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया तथा उन्होंने इस में सम्बन्धियों को भी सम्मिलित कर दिया है। 'सहकारियों' की परिभाषा में बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं कुछ तो जन्म आदि से ही सहकारी होते है तथा कुछ विवाह तथा व्यपार प्रारम्भ करने के पश्चात् साथी बनते हैं।

इस के द्वारा माननीय वित्त मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी समवाय निर्माता नहीं हैं कुछ समवाय अन्य प्रकार के कार्य भी करती हैं तथा इस प्रकार की शर्तों से हम सभी व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध अभिकरण तथा व्यापार साथ साथ दोनों कार्य करने पर नियंत्रण लगाते हैं। तथा यदि एक प्रबन्ध अभिकर्ता किसी संस्था का अंशधारी बन जाता है तो उस संस्था के सभी अंशधारी आदि किसी भी प्रकार अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं इस के परिणामस्वरूप किसी संस्था के अंशों के बिकने में कठिनाई होगी।

मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस पर भी ध्यान दें कि संविधान पर भी इस का प्रभाव पड़ता है। मेरी सम्मति से अनुच्छेद १६ (१) (घ) का उल्लंघन करता है क्योंकि इस अनुच्छेद से प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार करने की अनुमति है।

इस कारण मैं यह चाहता हूं कि शब्द सम्बन्धी को निकाल दिया जाये। भाभा समिति का यह भी विचार था कि इस प्रकार की निर्योग्यता हमें सम्बन्धियों के लिये नहीं रखनी चाहिये। प्रबन्ध अभिकर्ता को भाभा समिति ने यह भी अधिकार दिये थे कि वह प्रबन्ध अभिकरण में किसी निदेशक या भागीदार के सम्बन्धी को नियुक्त न करे तथा इसी सिफारिश को मूल विधेयक की अनुसूची ७ में रखा गया है परन्तु संयुक्त समिति ने ही सम्बन्धियों को 'सहकारियों' में ही शामिल कर लिया तथा इस प्रकार सम्पुर्ण परिभाषा को ही परिवर्तित कर दिया।

जिस प्रकार सरकारी सेवाओं के लिये सम्बन्धियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है उसी प्रकार इस गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि 'सहकारी' शब्द की परिभाषा में सम्बन्धी शब्द को शामिल नहीं करना चाहिये।

आप खण्ड २३८ को ले लीजिये। इस में यदि सम्बन्धी केवल विद्यार्थी है तो भी उसे निरीक्षक को प्रलेख प्रस्तुत करने पड़ेंगे। पिता तथा पुत्र और भाई, भाई को ले लीजिये। वह एकदम अलग अलग रहते हैं परन्तु फिर भी उन के साथ विधि को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये। इस के अतिरिक्त एक सम्बन्धी कलकत्ते में व्यापार कर रहा है तथा समवाय बम्बई में है, फिर आप उसे अपना व्यापार करने की अनुमति क्यों नहीं देना चाहते हैं। इसीलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रबन्ध अभिकरण के प्रबन्धक आदि के सम्बन्धियों की अनायास में ही खोज की जायेगी तथा व्यर्थ में ही तंग किया जायगा।

संशोधन संख्या १४९ से १५१ 'सहकारियों' के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में है। १९१३ अथवा १९५१ के अधिनियमों अथवा भाभा समिति के प्रतिवेदन में यह नहीं है। परन्तु यह स्पष्टीकरण एक स्पष्टीकरण नहीं है प्रत्युत परिभाषा का ही एक अंग बन गया है। तथा इस लिये इस को परिभाषा में ही रखना था। परन्तु जब सरकार तथा प्रवर समिति ने इस को परिभाषा में नहीं रखा तो इस स्पष्टीकरण को रखना ही व्यर्थ है।

यदि 'सहकारियों' की परिभाषा में सम्बन्धी शब्द रखा गया तो इस से बड़ी कठिनाई होगी। यह मानव सिद्धान्त है कि कोई व्यक्ति अपने व्यापार को उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में सौंपता है तथा उन्हीं का विश्वास करता है जिन को वह अपना समझता है। परन्तु परिभाषा के द्वारा वह वस्तुओं को बेचने तथा खरीदने का अधिकार अपने विश्वासपात्र को नहीं दे सकता है। तथा एक अजनबी उतना ध्यान क्यों रखेगा जितना कि ध्यान अपना एक सम्बन्धी रखेगा। मैं यह नहीं समझ सका। वित्त मंत्री से मेरी यह प्रार्थना है कि यदि वह देश के ३०,००० समवायों को उन्नति के इच्छुक हैं तो उन्हें इस बात को अवश्य समझना चाहिये।

वित्त मंत्री का अन्तिम संशोधन और भी आगे बढ़ गया है। उस में 'प्रबन्धक अथवा निदेशक' भी आ जाते हैं। प्रत्येक स्थान पर 'सम्बन्धी' शब्द रख दिया गया है इस से प्रति दिन के कार्य में बाधा पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करें। कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि नियुक्त होने वाला व्यक्ति प्रबन्धक आदि का सम्बन्धी है या नहीं।

अब मैं ऋणपत्रों की परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं ने संशोधन संख्या १५२ प्रस्तुत किया है। मैं यह चाहता हूं कि १९१३ के अधिनियम के अनुरूप ही इस को रखा जाये। भाभा समिति ने भी यही सिफारिश की है। समवाय विधि समिति ने भी यही सुझाव दिया था कि ऋणपत्र में, भांडार, बौंड तथा समवाय की अन्य प्रतिभूतियां ही हों। "अन्य प्रतिभूति" शब्द के बहुत अर्थ हैं तथा इस प्रकार इस को बैंक के ऋण के पश्चात ही प्राथमिकता मिलेगी। परन्तु बीमा अधिनियम में उपबन्धित है कि बीमा समवाय तभी अपना धन 'ऋणधारियों' के द्वारा देंगी जब इस की आस्तियों के प्रभार पर उन को प्रथमता दी जायेगी परन्तु इस परिभाषा से प्राथमिकता नहीं रहेगी तथा बीमा समवाय अपना धन ऋणपत्रों में नहीं लगायेंगी।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि विधेयक में 'ऋणपत्र' शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है जिस से ज्ञात होता है कि परिभाषा के द्वारा इतना महत्व दिया जाना ठीक नहीं होगा। वर्तमान अधिनियम में दी गई परिभाषा के द्वारा कोई कठिनाई नहीं थी इसलिये मैं संशोधन के द्वारा 'अन्य प्रतिभूतियां....' आदि शब्दों को इस परिभाषा से हटा देना चाहता हूं।

खण्ड ५ पर मैं ने संशोधन संख्या १५४ की सूचना दी है। १९१३ के अधिनियम तथा १९५१ के संशोधक अधिनियम में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। मूल विधेयक में भी यह है कि कोई पदाधिकारी यद्यपि उस की स्वेच्छा न हो, फिर भी जानते हुए कार्य करता है, तथा उस के करने की अनुमति देता है, तो वह अपराधी है। संयुक्त समिति ने 'इच्छापूर्वक' शब्द और रख दिया है। भाभा समिति ने इस उपबन्ध में परिवर्तन करने की कोई सिफ़ारिश नहीं की है। तथा ब्रिटेन के अधिनियम में वर्तमान अधिनियम की सभी बातें हैं।

मूल विधेयक में अनावश्यक ही पदाधिकारियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है

[श्री तुलसीदास]

जानबूझ कर कोताही करने वाले तथा जान बूझ कर ऐसी कोताही की अनुमति देने वाले अधिकारियों में विभेद का करना निरर्थक सा विभेद है। मैं यह नहीं समझ सकता कि उस अधीन पदाधिकारी को जो अपने उच्च अधिकारी के अनुदेश के अनुसार किसी कोताही का अपराधी होता है, कैसे अपराधी समझा जा सकता है जब कि उच्च अधिकारी को तभी अपराधी समझा जाता है जब उस के सम्बन्ध में ऐसी कोताही का जानबूझ कर किये जाने को सिद्ध करना जरूरी है। अच्छा होता यदि इंगलिस्तान के अधिनियम में दी गई परिभाषा को ही अपना लिया जाता। मैं आशा करता हूं कि सभा ऐसे काल्पनिक विभेदों की अनुमति नहीं देगी।

मैं खण्ड ७ का भी विरोध करता हूं। यह खण्ड १९१३ और १९५१ के दोनों अधिनियमों में नहीं था। यह वाक्य कि "person in accordance with whose directions or instructions directors are accustomed to act" [जिस व्यक्ति के निदेश या अनुदेश के अनुसार निदेशक लोग प्रायः काम करते हैं] न तो इंगलिस्तान के अधिनियम में ही थे और न ही १९५१ के अधिनियम में थे। भाभा समिति ने इन के समवाय अधिनियम में रखे जाने की सिफारिश की है। उस समिति ने निदेशकों को ऋणों के दिये जाने सम्बन्धी उपबन्धों को उन व्यक्तियों पर भी लागू किया जाय जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अनुदेशों के अनुसार कार्य करते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या माननीय सदस्य व्यवसायिक परामर्शदाता को खण्ड ७ में दिये जाने वाले संरक्षण से वंचित करना चाहते हैं? यदि खण्ड ७ को निकाल दिया जाय तो प्रभाव यही होगा।

श्री तुलसीदास : मैं इस समूचे खण्ड का विरोध करता हूं। मैं अभी इस के कारण बतलाऊंगा।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि माननीय सदस्य 'अनुदेशानुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों' इत्यादि शब्दों को निकाल देते हैं तो खण्ड ७ का निकालना एक आनुषंगिक संशोधन मात्र ही रह जायेगा।

श्री तुलसीदास : मेरा कहना यह है कि समवाय विधि को उन व्यक्तियों की क्रियाशीलताओं के नियंत्रण तक सीमित कर दिया जाये जो समवायों के प्रबन्ध आदि में जुटे हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि आप इन शब्दों को किसी और समुचित स्थान पर रखना चाहें तो आप खण्ड ७ को हटा देने के लिये कह सकते हैं। अन्यथा आप इस खण्ड में उपबन्धित विमुक्ति को ही हटा रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि इस खण्ड को पारित किया जाता है तो सभा इस सिद्धान्त से बाग्वद्ध हो जाती है।

श्री तुलसीदास : इस परिभाषा को स्वीकार कर लेने से मैं दूसरे खण्डों के सम्बन्ध में संशोधनों को प्रस्तुत नहीं कर सकता। यदि माननीय मंत्री इस खण्ड को दूसरे सम्बन्धित खण्डों के आने तक स्थगित कर दें तो मैं उस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार हूं, वरन् इस के पारित होने से मैं दूसरे खण्डों सम्बन्धी संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता। मेरा इस खंड का विरोध करने का यही कारण है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि इस खण्ड पर चर्चा का स्थगित करना सम्भव है। क्या इस में कोई आपत्ति है?

श्री सी० सी० शाह (गोडिलवाड-सोरठ): मैं तो यह कह रहा था कि यदि सभा सारवान खंडों के सारवान संशोधन स्वीकार कर लेती है, अर्थात्, जहां ये शब्द आयें वे निकाल दिये जायें, तो इस खंड का हटाया जाना एक आनुषंगिक संशोधन बन जाता है। यदि ये शब्द निकाल दिये जाते हैं तो इस खंड का उपबन्ध अनावश्यक है ।

पडित ठाकुर दास भार्गव : मान लीजिये यह खंड पारित हो जाता है । उस दशा में सभा इस सिद्धान्त को मानने के लिये वचनबद्ध हो जाती है; परन्तु साथ ही हमने सदैव इस सिद्धानत को भी माना है कि जब कोई खंड विचारार्थ आये तो माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार होगा कि ये शब्द निकाल दिये जायें और उस के परिणाम स्वरूप यह अमुक खंड निकाल दिया जायेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा कहना यह है कि यह केवल परिभाषा मात्र है : 'व्यक्ति, जिस के निदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार समवाय का निदेशक बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है' । जहां कहीं ये शब्द आयेंगे इन का यही निर्वचन होगा । परन्तु यदि आप उस खंड को ी पारित नहीं करते हैं तो स्वभावतः यह बेकार हो जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह बात तो सभी परिभाषाओं पर लागू हो सकती है। मान लीजिये कि अन्य "सहकारी" शब्द को बाद के सभी खंडों में से निकाल देते हैं परन्तु आप "सहकारी" की परिभाषा स्वीकार कर चुके हैं। ऐसी दशा में क्या होगा ? मेरा कहना यह है कि कोई ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिस के द्वारा इस पर एक आनुषंगिक संशोधन के रूप में विचार किया जा सके ।

सभापति महोदय : यह तो एक आनुषंगिक संशोधन मात्र होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस के विपरीत यदि यह अर्थ निकाला जा रहा है कि इस खंड को स्वीकार या अस्वीकार कर के हम अन्य खंडों के सार को मान रहे हैं तो मैं कहूंगा कि चीज यह नहीं है क्योंकि उन अन्य खंडों पर तो हम ने अभी विचार ही नहीं किया है ।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी ने जो कुछ कहा मैं उस से सहमत हूं । अब हम यह परिभाषा स्वीकार कर रहे हैं । मान लीजिये कि बाद में कोई ऐसा खंड पारित नहीं करते हैं जिस पर यह परिभाषा लागू होती हो तो स्वभावतः यह खत्म हो जायेगी । अतः इस पर चर्चा स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : तय तो यह करना है कि हम व्यावसायिक मंत्रणादाता को दी गई उन्मुक्ति के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं या नहीं । इस समय तो विचार केवल इस प्रश्न पर किया जाना है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यदि हम दूसरी बात मानें तो फिर परिभाषा सम्बन्धी सारे खंडों पर विचार स्थगित रखें । उदाहरण के लिए 'प्रबन्ध अभिकर्ता' को लीजिये । हो सकता है बाद में हम किसी क्षेत्र में प्रबन्ध अभिकर्ता न रखने के सम्बन्ध में निश्चय करें ।

सभापति महोदय : श्री तुलसीदास अपना भाषण जारी करें ।

श्री तुलसी दास : मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह परिभाषा किस प्रकार लागू की जायेगी : "कार्य करने का अभ्यस्त" यह खंड अत्याधिक अस्पष्ट है । इस के शब्द ऐसे होने चाहियें कि इस में किसी प्रकार की अस्पष्टता न हो । इस समय तो मैं केवल इतना ही कहूंगा । जब इन अमुक खंडों पर विचार होगा तब मैं यह बताऊंगा कि इस का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): माननीय वित्तमंत्री ने जो कुछ कहा है उस में कुछ सार है। क्या मेरे माननीय मित्र का कहना यह है कि उन्मुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

श्री तुलसीदास : मैं खंड १६१, २०२, ३०२, ३०४, ३०५ और ५९७ के बारे में कह रहा था : खंड ५९७ में समवायों के निदेशकों तथा 'कार्य करने को अभ्यस्त' शब्दों का उल्लेख है।

सभापति महोदय : जहां तक इस परिभाषा का सम्बन्ध है क्या हम इसे इस समय उठा नहीं रख सकते ? इसमें हर्ज ही क्या है ?

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : हम 'उन्मुक्ति' के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं, परिभाषा के सम्बन्ध में नहीं।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस खंड को पारित करके आप अन्य खंडों को स्वीकार करने के लिये वचनवद्ध हो जायेंगे।

सभापति महोदय : श्री तुलसीदास भाषण जारी रखें। इस पर कल निर्णय किया जायेगा।

श्री तुलसीदास : खंड १० तक मेरे यह संशोधन है। किसी अन्य खंड पर मेरा कोई संशोधन नहीं है। इन खंडों के संशोधनों पर मैं बहुत विस्तार से कह चुका हूं और मेरा सभा से निवेदन है कि वह इन सब बातों पर विचार करे। यदि कुछ बराइयां पाई गई हैं। तो उससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सभी क्षेत्रों में बुराइयां विद्यमान हैं। बुराइयां इस तरह से दूर नहीं की जा सकतीं। बुराइयों का दूर करना तो इस बात पर निर्भर है कि अधिनियम को किस प्रकार प्रवर्तित किया जाता है।

अन्त में, मेरा विचार है कि सम्बन्धियों की तथा अन्य ऐसी परिभाषाओं के सम्बन्ध में रूपभेद की आवश्यकता है ताकि लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकें। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पहलू पर विचार करें।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्योंकि सभा की बैठक समाप्त होने में कुछ मिनट ही बाकी रह गये हैं, मैं इस समय केवल कुछ ही बातों का उल्लेख करूंगा। किसी प्रबन्ध अभिकर्ता के सम्बन्ध में "सहकारी" की परिभाषा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह विधेयक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंडों में से एक है। परन्तु इस संशोधन के सम्बन्ध में मैं सरकार द्वारा हाल ही में रखे गये संशोधन संख्या २६० का जिक्र करना चाहता हूं। उस संशोधन के अनुसार न केवल किसी निदेशक का कोई भागीदार अथवा सम्बन्धी ही सहकारी है बल्कि कोई प्रबन्धक या प्रबन्धक का कोई सम्बन्धी भी सहकारी हो जाता है।

सभापति महोदय : श्री चेट्टियार अब अपना भाषण कल जारी रखें। अब मैं उन संशोधनों के बारे में घोषणा करूंगा जिन्हें स्तुत किये गये समझा गया है।

समवाय विधेयक के खंड २ से १० तक के निम्नलिखित संशोधन वे हैं जिन के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि वे अन्या ग्राह्य हों तो उन्हें प्रस्तुत किया जाये;

खंड संख्या	संशोधनों की संख्या
२.	६३, ६४, २४५ (सरकारी), २४६ (सरकारी), १३, २४७ (सरकारी) २४८ (सरकारी), ३२२, ३२३, २४९, (सरकारी), २५० (सरकारी), २५१ (सरकारी), २५२ (सरकारी), २५३ (सरकारी), १४७ (वही जो २५३ है), २५४ (सरकारी), २५५ (सरकारी), २५६ (सरकारी), ३२४, २५७ (सरकारी), २५८ (सरकारी), २५९ (सरकारी) १४८ (वही जो २५९ है), २६० (सरकारी),

३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, १४९, २६१ (सरकारी), २६२ (सरकारी), २६३ (सरकारी), ३३०, ३३१, २६४ (सरकारी), २६५ (सरकारी), २६६ (सरकारी) १५० (वही जो २६६ है), ३३२, २६७ (सरकारी), ३३३, ३३४, ९१, ३३५, ३३६, ३३७, १५१, १५२, ६५, २८२(सरकारी), ९२, ९३, २९, २८३ (सरकारी) ६६, २८४ (सरकारी), १५३, १४, ३४३, ३४४

३. २८५ (सरकारी), ३०, ९४ (वही जो ३० है)

४. ३५०, ९५, २८६ (सरकारी)

५. १५४, ३५१, ३५२

६. ९६, १५५, २८७ (सरकारी)

८. १५

९. ६८

१०. ६९, १६, १७

खंड २—(परिभाषायें)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १, उपखण्ड ३, पंक्ति २९ में, "partner" [भागीदार] शब्द के पश्चात् "or relative" [अथवा सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ १, उपखण्ड (३), पंक्ति ३० में, "such individual" [ऐसे व्यक्ति] शब्दों के पश्चात् "partner or relative" [भागीदार अथवा सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ १, उपखण्ड (३), पंक्ति ३३ में, "any such partner" [ऐसे कोई भागीदार] शब्दों के पश्चात् "relative" [सम्बन्धी] शब्द रखा जाय ।

(४) पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति ३ में, "manager" [प्रबन्धक] शब्द के पश्चात् "and" [तथा] शब्द रखा जाय ।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ २, पंक्ति ५ में, "one-half" [आधा] के स्थान पर "one-third" [एक तिहाई] शब्द रखा जाय ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २, उपखण्ड ३, पंक्ति १० में, "any such" (ऐसा कोई) शब्द हटा दिये जायें ।

(२) पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति १० में "partner or partners" [भागीदार या भागीदारों] शब्दों के पश्चात् "relative or relatives" [सम्बन्धी या सम्बन्धियों] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति १० और ११ में, "and any such" [और ऐसा कोई] शब्द हटा दिये जायें ।

(४) पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति ११ में "firm or firms [फर्म या फर्मों] शब्दों के पश्चात् "and private company or conmpanies" (और निजी समवाय या समवायों] शब्द रखे जायें ।

(५) पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति ११ और १२ में, "and any relative of such individual" [और ऐसे व्यक्ति का कोई सम्बन्धी] शब्द हटा दिये जायें ।

(६) पृष्ठ २ उपखंड (३), पंक्ति १६ में "partner" [भागीदार] शब्द के पश्चात् "or relative" [या सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

(७) पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति १७ और १८ में "any such member" [ऐसा कोई सदस्य] शब्दों के पश्चात् "partner or relative" [भागीदार या सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

(८) पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति २१ में, "partner" [भागीदार] शब्द के पश्चात्, " relative" [सम्बन्धी] शब्द रखा जाय ।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खंड, २ पंक्ति २६ में "one-half" [आधा] के स्थान पर "one-third" [एक तिहाई] रखा जाय ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २, उपखंड (३) पंक्ति ३२ में, "partner or partners" [भागीदार या भागीदारों] शब्दों के पश्चात् "relative or relatives" [सम्बन्धी या सम्बन्धियों] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ २ उपखंड (३), पंक्ति ३३ में, "and other firm or firms" [और अन्य फर्म या फर्मों] शब्दों के स्थान पर "other firm r firms and private company or companies" [अन्य फर्म या फर्मों और निजी समवाय या समवायों] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ २, उप खंड (३), पंक्ति ३३ और ३४ में , "and any relative of any such member" [और ऐसे किसी सदस्य का कोई सम्बन्धी] शब्द हटा दिये जायें ।

(४) पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति ४४ में, "thereof" [उसका] शब्द के पश्चात् "any partner or relative of any such director or manager, any firm in which such director, manager, partner or a relative, is a partner"" [ऐसे किसी निदेशक या प्रबन्धक का कोई भागीदार या सम्बन्धी ; कोई फर्म जिस में ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, भागीदार या सम्बन्धी, भागीदार है] शब्द रखे जायें ।

श्री सी० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २,

(१) पंक्ति ३८ में, "any subsidiary" [कोई सहायक] के पूर्व "(१)" रखा जाय

(२) पंक्ति ४४ में" thereof (उसका) के पश्चात् " any partner or relative of any such director or manager; any firm in which such director, manager, partner or relative, is a partner;" [ऐसे किसी निदेशक या प्रबन्धक का कोई भागीदार या सम्बन्धी ; कोई फर्म जिस में ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, भागीदार या सम्बन्धी, भागीदार है;] शब्द रखे जायें; और

(३) पंक्ति ४५ से ५४ के स्थान पर, ये शब्द रखे जायें :

"(ii) any other body corporate at any general meeting of which not less than one half of the total voting power in regard to any matter may be exercised or controlled by any one or more of the following, namely the body corporate and the companies and other person specified in paragraph (i) above; and"

[(२) कोई अन्य निगम या निकाय जिस के साधारण अधिवेशन में किसी विषय के बारे में कुल

मतदान संख्या के आधे से अन्यून का प्रयोग या नियंत्रण निम्नलिखित में से कोई एक या अनेक कर सकें, अर्थात् निगम निकाय और उपरोक्त कण्डिका (१) में उल्लिखित समवाय या अन्य व्यक्ति ; और]

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति २ और ३ में, 'private Company" [निजी समवाय] के पश्चात्, "or a body Corporate having not more than fifty members" [या एक निगम निकाय जिस में पचास से अधिक सदस्य न हों] शब्द जोड़े जायें ।

(३) पृष्ठ ३, पंक्ति ६ के अन्त में "or body Corporate" [या निगम निकाय] शब्द जोड़े जायें ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३, उपखण्ड (४), पंक्ति १६ में "partner" [भागीदार] के पश्चात् "or relative" [अथवा सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ ३, उपखण्ड ४, पंक्ति १८ में "any such member" [ऐसा कोई सदस्य] शब्दों के पश्चात् "partner or relative" [भागीदार या सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ ३, उपखंड (४), पंक्ति २१ में, "partner" [भागीदार] शब्द के पश्चात् "relative" [सम्बन्धी] शब्द रखा जाय ।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २६ में "one-half" [आधा] के स्थान पर "one-fourth" [एक चौथाई] रखा जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३, उपखंड ४, पंक्ति ३१ में, "partner or partners" [भागीदार या भागीदारों] शब्दों के पश्चात् "relative or relatives" [सम्बन्धी या सम्बन्धियों] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ ३, उपखंड ४, पंक्ति ३१ और ३२ में "and other firm or firms" [और अन्य फर्म या फर्मों] शब्दों के स्थान पर "other firm or firms, and private company or companies" [अन्य फर्म या फर्मों और निजी समवाय या समवायों] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ ३, उपखंड ४ पंक्ति ३२ और ३३ में "and any relative of any such member" [और ऐसे किसी सदस्य का कोई सम्बन्धी] शब्द हटा दिये जायें ।

(४) पृष्ठ ३, उपखंड (४), पंक्ति ४२ में "holding company thereof" [उसका सूत्रधारी समवाय] शब्दों के पश्चात् ये शब्द रखे जायें --

"any partn r or relative of anv such director or manager; any firm in which such director, manager, partner. or relative, is a partner"

[ऐसे किसी निदेशक या प्रबन्धक का कोई भागीदार या सम्बन्धी, कोई फर्म जिस में ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, भागीदार या सम्बन्धी, भागीदार है ।]

श्री सी० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३,

(१) पंक्ति ३७ में, "any subsidiary" [कोई सहायक] के पूर्व (१) रखा जाय ।

[श्री सी० सी० शाह]

(२) पंक्ति ४२ में "there of" [उसका] के पश्चात्

"any partner on relative of any such director or manager; any firm in which such director, manager, partner or relative is a partner;"

[ऐसे किसी निदेशक या प्रबन्धक का कोई भागीदार या सम्बंधी; कोई फर्म जिस में ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, भागीदार या सम्बबधी, भागीदार है ;] शब्द रखे जायें; और

(३) पंक्ति ४२ में, " any " [कोई] शब्द के पूर्व "2" [२] रखा जाये और पंक्ति ४३ से ५१ के स्थान पर यह शब्द रखे जाय–

"other body corporate at any general meeting of which not less than one-half of the total voting power in regard to any matter may be exercised or controlled by anyone or more of the following, namely, the body corporate and the companies and other persons specified in paragraph (i) above; and"

["अन्य निगम निकाय जिस के साधारण अधिवेशन में किसी विषय के बारे में कुल मतदान संख्या के आधे से अन्यन का प्रयोग या नियंत्रण निम्न लिखित में से कोई एक या अनेक कर सकें, अर्थात् निगम निकाय और उपरोक्त कण्डिका का (१) में उल्लिखित समवाय या अन्य व्यक्ति; और"]

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ, ३ पंक्ति ४४ तथा ४५ में, "one-half" [आधा] के स्थान पर "one-fourth" [एक चौथाई] कर दिया जाये ।

श्री सी० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ४, पंक्ति ३ के अन्त में, ये शब्द जोड़ दिये जायें "or a body corporate having not more than 50 members" [या एक निगम निकाय जिस में ५० से अधिक सदस्य न हों]

(२) पृष्ठ ४, पंक्ति ६ के अन्त में, "or body corporate" [अथवा निगम निकाय] शब्द जोड़ दिये जायें ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ४, उपखण्ड (१५),

(१) पंक्ति ३६ में " notice " [सूचना] शब्द के पश्चात् "requisition" [आधग्रहण आदेश] शब्द रखा जाये और "and" [तथा] शब्द हटा दिया जाये ।

(२) पंक्ति ३७ में, "and register [और पंजिया] शब्दों के पश्चात् "whether issued sent, or kept in persuance of this or any other Act or other wise"[चाहे वे इस या किसी अन्य अधिनियम के अनुसरण में या अन्यथा निकाली, भेजी, या रखी गई हों"] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ ६, उपखंड (३०), पंक्ति ६ में, "६१६, ६१७, ६१८" ये अंक हटा दिये जायें ।

(३) पृष्ठ ६, पंक्ति ४१ और ४२ उपखंड ४० में "or an Assistant registrar" [या सहायक पंजीयक] शब्दों के स्थान पर "an Additional, a Joint, a Deputy or an Assistant registrar [अतिरिक्त, संयुक्त उप अथवा सहायक पंजीयक] शब्द रखे जायें ।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ७, पंक्ति ४ और ५ में "or body corporate not being the managing agent" [अथवा निगम निकाय जो प्रबन्ध अभिकर्ता न हो] शब्द हटा दिये जायें ।

(२) पृष्ठ ७, पंक्ति ८ और ९ में, "or body corporate [अथवा निगम निकाय] शब्द हटा दिये जायें ।

इस के अतिरिक्त खंड २ पर निम्नलिखित सशोधन प्रस्तुत किये गये —

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री राने	६३,६५,६६
श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी	६४, ९१,९२,९३
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१३, १४
श्री के०के० बसु	३२३, ३२६, ३२८, ३३१, ३३६
श्री तुलसीदास	१४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३
श्री एस० वी० रामस्वामी	२९

खंड ३—("समवाय" आदि की परिभाषायें)

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ८, उपखंड १ (ii) (च), पंक्ति २ और ३ में "in a part B State at any time before the first day of April 1951" [एक अप्रैल १९५१ से किसी भी समय पूर्व, भाग ख राज्य में] इन शब्दों और अंकों के स्थान पर "in the merged territories or in a part B State or any part thereof, before the extension thereto of the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913)" [विलीन प्रदेशों में अथवा किसी भाग ख राज्य या उसके किसी भाग में, उन पर भारतीय समवाय अधिनियम १९१३ (१९१३ का ७) लागू किये जाने से पहले] शब्द रखे जायें ।

खंड ३ पर श्री एस० वी० रामस्वामी ने संशोधन संख्या ३० प्रस्तुत किया और श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने संशोधन संख्या ९४ प्रस्तुत किया । दोनों में कोई अन्तर न था ।

खंड ४—(सूत्रधारी समवाय आदि का अर्थ)

श्री के० के० बसु ने संशोधन संख्या ३५० तथा श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने संशोधन संख्या ९५ प्रस्तुत किये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १०, नई उपधारा ६, पंक्ति ८ के पश्चात् यह उपखण्ड जोड़ा जाये—

"(6) In the case of a body corporate which is incorporated in a country outside India, a subsidiary or holding company of the body corporate under the law of such country shall be deemed to be a subsidiary or holding company of the body corporate within the meaning and for the purposes of this Act also, whethre

[श्री सी० डी० देशमुख]

the requirements of this section are fulfilled or not".

[६. ऐसे निगम निकाय के विषय में जो भारत के बाहर किसी देश में निगमित हो, ऐसे देश की विधि के अधीन उस निगम-निकाय का सहायक या सूत्रधारी समवाय इस अधिनियम के भी प्रयोजनों के लिए और अर्थ के अन्तर्गत उस निगम निकाय का सहायक या सूत्रधारी समवाय समझा जायेगा, चाहे इस धारा की शर्तें पूरी हों या न हों।)

खंड ५–("चूक करने वाले पदाधिकारी का अर्थ")।

खंड ५ पर श्री तुलसीदास ने संशोधन संख्या १५४ और श्री के० के० बसु ने संशोधन संख्या ३५१ तथा ३५२ प्रस्तुत किये।

खंड ६–("सम्बन्धी" का अर्थ)

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने संशोधन संख्या ९६ और श्री तुलसी दास ने संशोधन संख्या १५५ प्रस्तुत किये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १०, पंक्ति २९ में, " grand parent" (महाजनक) शब्द के पश्चात् ये शब्द रखे जायें—

"provided the cousins are members of a Hindu joint family whether governed by the mitakshra, the Dayabhaga, the marumakhathayam the Aliyasanthana or any other system of law".

[यदि वे चचेरे भाई हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हों, चाहे उन पर मिताक्षरा, दायभाग मरुमक्कतयम्, आलिया संतान या अन्य कोई भी विधि लागू हो।]

खंड ८–(केन्द्रीय सरकार की शक्ति आदि)

श्री यू० एम० त्रिवेदी ने संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत किया।

खंड ९—(सीमा नियमों, अन्तर्नियमों, आदि का अधिनियम के अधीन रहना)

श्री राने ने संशोधन संख्या ६८ प्रस्तुत किया।

खंड १०–(न्यायालयों का क्षेत्राधिकार)

श्री राने ने संशोधन संख्या ६९ प्रस्तुत किया। और श्री यू० एम० त्रिवेदी ने संशोधन संख्या १६ तथा १७ प्रस्तुत किये अन्तिम संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ ११ में पंक्ति ४० और ४१ को हटा दिया जाय।

सभापति महोदय : अब यह संशोधन सभा के समक्ष चर्चा के लिये प्रस्तुत है।

(इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार २४ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

GIPND—HS—244 LSD—6-7-56—190